खण्ड ५—अंक १६
६ अगस्त, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

184 L.S.D.

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा

सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डा० सालाज़ार का भाषण

†*७२२. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, गत मई में पुर्तगाल के राष्ट्रीय संघ के चौथे सम्मेलन के खुले सत्र में डा० सालाज़ार द्वारा दिये गये भाषण की कोई अधिकृत प्रति मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के विरुद्ध लगाये गये झूठे आरोपों का विरोध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी नहीं। परन्तु भारत सरकार ने डा० सालाज़ार के भाषण को समाचार पत्रों में पढ़ा है।

(ख) डा० सालाज़ार के आरोपों का खंडन प्रधान मंत्री ने ४ जून, १९५६ को बम्बई में दिये गये अपने सार्वजनिक भाषण में किया था ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस प्रकार का कुछ आभास मिला है कि गोवा के संबंध में पुर्तगाल सरकार के रवैये में कुछ परिवर्तन हो गया है ?

†**श्री सादत अली खां :** उस सरकार के व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन की हमें जानकारी नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** प्रधान मंत्री अपने हाल के विदेशी दौरे में क्या यह पता कर सके थे कि विश्व के कैथिलिकों के मनों में यह भावना भर दी गयी कि भारत उनका विरोधी है ?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे यह नहीं मालूम कि प्रधान मंत्री ने अपने दौरे में कैथोलिकों के मस्तिष्कों की बात पढ़ने का प्रयत्न किया था।

†**डा० लंका सुन्दरम :** क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विदेशों में अपने राजदूतों को गोआ की सही कहानी बताने वाली कई पुस्तिकायें अथवा पुस्तकें परिचालित की हैं, और यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

†**श्री सादत अली खां :** जी हां, हमने भारतीय दूतावासों को तथ्य बताये हैं जिससे वह पुर्तगाल के निराधार प्रचार का विदेशों में विरोध कर सकें।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या यह सच नहीं है कि पुर्तगाल की गोआ संबंधी दमन नीति इस भाषण के पश्चात् और कड़ी हो गई है ? यदि हां, तो क्या यह प्रत्यक्ष रुप से उसी भाषण का परिणाम है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** दमन की नीति की कड़ाई तो प्रत्यक्ष है। मै नहीं कह सकता कि यह उस भाषण से संबंधित है अथवा नहीं।

†**श्री ति० सु० अ० चेटिट्यार :** क्या सरकार ने पोप की इस सम्मति के कि यह कैथोलिक प्रश्न नहीं है परन्तु केवल एक राजनैतिक प्रश्न है, प्रसारण के संबंध में कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विभिन्न प्रकाशनों में हमने इस मामले को पर्याप्त महत्व दिया है।

†**डा० लंका सुन्दरम :** मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि गोआ के संबंध में सही स्थिति बताने वाली विदेशों के दूतावासों में भेजी गई सामग्री क्या सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां। यह सामग्री सार्वजनिक रुप से परिचालित की गई है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जस्ता शोधने का कारखाना

† *७२३. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जस्ता शोधित करने के संयंत्र की स्थापना के लिये कोई योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तों इसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या सरकार राजस्थान से बाहर किसी बन्दरगाह पर इस उद्योग को, सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों के विपरित स्थापित करने का विचार कर रही है ?

†**श्री म० म० शाह :** जी नहीं।

रेडियो धर्मिता

† *७२४. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान कालिज के वैज्ञानिकों के दल ने सब्जियों, दूध घी तथा चावल में रेडियो धर्मिता पायी है ; और

(ख) यदि हां, तो मानव शरीर पर इनका क्या प्रभाव हुआ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) :** (क) और (ख). कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता के आस पास मिलने वाली सब्जियों, दूध आदि मे थोड़ी मात्रा में रेडियो धर्मिता की सूचना मिली है। इसकी प्रकृति के बारे में अभी अध्ययन नहीं किया गया है। इस समय रेडियो धर्मिता का जो स्तर मिला है वह खतरनाक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी :** आणाविक आयुक्त परिक्षणों के परिणामस्वरुप वातावरण में रेडियो धर्मिता बढ़ जाने से मानव समाज को होने वाली हानि के संबंध में यद्यपि वैज्ञानिकों का मतभेद है परन्तु क्या वह यह स्वीकार करते हैं कि इससे वर्तमान पीढ़ी को होने वाली बहुत हानि के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी हानि होगी। विशेषतया आयुओं के परिक्षणों के द्वारा रेडियों धर्मी तथ्यों के शरीर में प्रवेश करने से जनेन्द्रीय को होने वाले प्रभाव ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ने रेडियो धर्मिता के संबंध में पूछा । मैं समझता हूं कि आणविक आयुधों के संबंध में माननीय सदस्य पूछ रहे थे क्योंकि रेडियो धर्मिता, एक्स-रे फोटो आदि जैसी कई सौ सर्व चीजों में होती है । जहां तक आणविक अयुधों का संबंध है, सभी सहमत हैं कि इनमें खतरा है । कितना है, इस के संबंध में कुछ व्यक्तियों में मतभेद है, परन्तु संभावना है कि जितना खतरा समझा जाता है उससे अधिक है । इसलिये इन आणविक आयुधों के परिक्षणों को जारी रखकर मानवता के भविष्य से खिलवाड़ करना उचित नहीं है ।

†**श्री गिडवानी :** क्या यह सच है कि ब्रिटिश चिकित्सा गवेषणा परिषद ने कहा है कि रेडियों धर्मी वस्तुओं में सब से खतरनाक वस्तु स्ट्रोन्टियम है जोकि कुओं में पड़ी उन भेड़ों की लाशों में पाया गया जिन्होंने रेडियो धर्मि पौधे खाये थे । यदि हां, तो क्या मानव की हड्डियों में स्ट्रोन्टियम के इकट्ठे होने का तथा कैंसर और अन्य रोग पैदा करने का भय नहीं हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि वह प्रश्न करते समय सामान्यत: लम्बे वक्तव्य पढ़ते हैं। प्रश्न छोटे तथा संक्षिप्त होने चाहिये तथा उत्तर भी ऐसा ही होना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** मैं माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों को उस पुस्तक का निर्देश करुंगा जोकि हमने आणविक परीक्षणो के लिये कुछ दिन पूर्व जारी की है । यह सभा के पुस्तकालय में रखी है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी:** कुछ सप्ताह पूर्व समाचार पत्रों में समाचार था कि कलकत्ता चिकित्सा कालिज के एक प्रोफैसर रेडियों रोगचिकित्सा के उपयुक्त आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं तथा जुलाई २१ से ३१ तक मेक्सिको नगर में होने वाली रेडियोलाजी अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस में इनको रखेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि प्रोफैसर हालडेन के कलकत्ते में दिये गये वक्तव्य के आधार पर कि वर्षा तथा मजबूत मकानों को बनाकर रेडियो धर्मिता का नियंत्रण लगाना भारतीय दशा के अनुकुल नहीं है, क्या दिया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** मुझे ठीक नहीं मालूम । उन्होंने पूछा कि संरक्षण तत्वों का क्या हुआ ? हमारा विचार है कि ये खतरनाक है तथा रोके जाने चाहिये । हमने निरस्त्रीकरण आयोग के समक्ष दृड़ता पूर्वक इसे प्रस्तुत किया है । हमने एक पुस्तक निकाली है जिसके बारे में मेरा विचार है कि सभी प्राप्य सामग्री को एक साथ रखने का प्रथम प्रयत्न है । मैं समझता हूं किसी अन्य देश ने उनको एक साथ इस प्रकार नहीं रखा है । एक प्रोफेसर तथा अंतराष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में उन्होंने क्या कहा था यह नहीं जानता । संभवतया वह वहां जा रहे है परन्तु मैं निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**क्या सरकार कों इसकी जानकारी कराई गई है कि प्रोफेसर हालडेन ने कहा है कि आणविक अयुध परिक्षण के कारण जितना इंगलैंड को खतरा है भारत को उससे पांच गुना खतरा है तथा अबतक भारत में हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं कि कितना खतरा होगा । क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या सरकार आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिये वैज्ञानिकों का एक दल नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

†**श्री जवहारलाल नेहरू :** मैंने आज प्रात: प्रो० हालडेन के कथन को समाचार पत्रों में पढ़ा है । संभव तथा माननीय सदस्य उसी ओर निर्देश कर रहे हैं : यदि हमको उनके किसी सुझाव से लाभ होगा तो हम उससे लाभ अवश्य उठायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत :** क्या प्रधान मंत्री को याद है कि सभा के गत सत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये उन्होंने कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों को यह जानकारी हुई है कि बम्बई की वायु में रेडियो धर्मिता है, और यदि हां, तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या बम्बई से भी वैसे ही समाचार मिले हैं कि सब्जियां, दूध, घी आदि का वैसा ही प्रभाव हुआ है जैसा कलकत्ता में हुआ है ?

†**श्री जवहारलाल नेहरु :** जो उत्तर मैंने पढ़ा वह बम्बई में ही परीक्षित परिणाम के आधार पर है।

†**श्री कामत :** मैं समझा नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि जो उत्तर उन्होंने पढ़ा वह बम्बई में परीक्षित परिणामों पर आधारित है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** जहां यह काम किया गया वह स्थान बम्बई है।

†**श्री कामत :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या बम्बई में भी उनका प्रभाव पढ़ा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु :** मैं नहीं कह सकता कि बम्बई की सब्जियां, दूध आदि की विशेष रूप से जांच की गई है। परन्तु हमारी रेडियो धर्मिता की जांच तथा अन्वेषण का स्थान बम्बई ही है।

†**श्री साधन गुप्त :** प्रो० हालडेन की खतरे की चेतावनी के आधार पर क्या सरकार ने क्रिसमस द्विपसमूह मे आणविक परीक्षण करने के विरुद्ध ब्रिटेन को विरोध पत्र भेजने के संबंध में विचार किया है क्यों कि क्रिसमस द्वीप समूह, अन्य परीक्षण स्थानों की अपेक्षा भारत के अधिक निकट है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रो० हालडेन के भाषण के अतिरिक्त हम गंभीरता पूर्वक कितनी ही बार कई अवसरों पर ऐसा कर चुके हैं। मैं किसी विषेश स्थान की ओर इंगित नहीं कर रहा हूं। द्वीप समुह के संबंध में कुछ गड़बड़ हो सकती है। परन्तु इन आणविक परीक्षणों के संबंध में हम लगातार आन्दोलन कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पुर्तगाल का मामला

†***७२५. श्री कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** १८ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५६० के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के विरुद्ध पुर्तगाल द्वारा की गई शिकायत के मामले की सुनवाई के लिये हेग न्यायालय की बैंच में अपनी इच्छा के न्यायाधीश का नाम-निर्देशन करने का अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामला किस स्थिति पर है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख) पुर्तगाल के भारतीय प्रदेश से मार्ग के अधिकार के दावे के संबंध में हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मामले की विधि विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जायेगी सरकार यह निर्णय नहीं कर सकती है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के नामनिर्देशन सहित क्या आवश्यक कार्यवाही की जाये।

†**श्री कामत :** हेग न्यायलय ने, पुर्तगाल की शिकायत पर भारत के उत्तर को प्रस्तुत करने के लिये क्या तिथि निश्चित की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा विचार है कि पुर्तगाल के शासन अथवा पत्रिका के प्रस्तुत होने के पश्चात् हमको छः मास दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत :** क्या सरकार ने इस मामले के संबंध में निर्णय किया है कि प्रारंभ में ही हेग, के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस शिकायत को लेने के क्षेत्राधिकार का विरोध करे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरा निवेदन है कि अनुपूरक प्रश्नो में हम मामले पर तर्क नहीं कर सकते है ।

†**श्री कामत :** मैं यह नहीं चाहता कि आप तर्क करें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं जानता हूं । हम अपने विद्वान वकील के परामर्श के अनुसार कार्य कर रहे हैं । तथा अन्य बातों के साथ हमने कुछ प्रारंभिक आपतियां भी उठाई हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** पुर्तगाल के दुर्व्यवहार के आधार पर तथा इस आधार पर कि कुछ देशों जैसे चेकोस्लोवाकिया ने अपने विरुद्ध कुछ शिकायतों को विश्व न्यायालय से अपनी फाईलों से हटा देने को कहा है क्या प्रधान मंत्री बतायेंगे कि क्या हम इस शिकायत की फाइल को विश्व न्यायालय से हटाने के लिये कहने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार से इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

आजाद हिन्द फौज स्मारक, सिंगापुर

*७२६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** ३० मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या निश्चय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). मामले पर विचार हो रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बतलाने की कृपा की जायेगी कि सूचना एकत्र करने में क्या अड़चन पड़ रही है ?

श्री सादत अली खां : अड़चन तो कोई खास नहीं है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जाहिर सी बात है कि यह मामले दूसरे मुल्कों के मामले हैं, हमारे मुल्क के मामले नहीं है । दूसरे मुल्कों के मामले में हम क्या करें ? हजारों अड़चनें होती है, वहां की गवर्नमेंट क्या राय दे, क्या मुनासिब समझे, क्या नहीं, हम उस पर कोई दबाव तो डाल नहीं सकते ।

श्री भक्त दर्शन : सिंगापुर की सरकार ने इस मामले में क्या अपना सहयोग देने का विचार प्रकट किया है, या कि उस ने कोई उत्तर ही नहीं दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सिंगापुर सरकार के सामने भी बड़े बड़े प्रश्न हैं, यहां तक कि अपनी जिन्दगी का प्रश्न है । इस लिये शायद उन्होंने इस मसले पर इतना ध्यान नहीं दिया है, जितना यहां के मेम्बरान दे रहे हैं ।

†**श्री कामत :** क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि जो बात श्री डेविड मार्शल ने गत मई अथवा जून में त्याग पत्र के समय कही थी वही उनके उत्तराधिकारी का सिंगापुर में आइ० एन० ए० स्मारक निर्माण के संबंध में विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंनेअभी कहा कि सिंगापुर सरकार की अपनी समस्यायें है, सांविधानिक तथा अन्य, तथा हम सावधानी पूर्वक ही उनका परामर्श ले सकते हैं। हम वह कर रहे हैं ; तथा हम अपने परामर्श में आक्रमणत्मक नहीं हो सकते अथवा उन पर दबाव नहीं डाल सकते।

भारतीय इस्पात मिशन

† *७२७. **श्री विभति मिश्र :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक भारतीय इस्पात शिष्टमंडल यूरोप भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसे भेजने का प्रयोजन क्या है और शिष्टमंडल ने कौन-कौन से देशों का दौरा किया है ;

(ग) क्या शिष्टमंडल ने वापस आकर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) जी हां।

(ख) तथ्य निरूपण शिष्टमंडल भारत की मांग पूरी करने में विशेषकर के प्रयोजन रेलवे की आवश्यकताओं के संबंध में यूरोप के इस्पात की उसकी किस्म, उपयुक्तता और उपलब्धता का निश्चय करना था। उसने फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, हालैंड, बेल्जियम, लग्जेम्बर्ग, इंगलिस्तान, आस्ट्रिया, हंगरी और युगोस्लाविया का दौरा किया था ?

(ग) जी नहीं, अभी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : यह जो मिशन गया था, क्या उसने सब जगहों पर घूमने के बाद यह बताया है कि कहा का लोहा सस्ता, ज्यादा अच्छा और हिन्दूस्तान की रेलवे के लिये उपयुक्त साबित हुआ है ?

श्री म० म० शाह : जैसा मैंने बताया उसकी रिपोर्ट आने वाली है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या इस दौरे में हमारे लोगों ने इस्पात के आयात के लिये किसी देश से करार किया है ?

†**श्री म० म० शाह :** शिष्टमंडलों के इन सदस्यों को किसी से करार करने का अधिकार नहीं था।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस दौरे के दौरान में इन लोगों के प्रमुख उत्तरदायित्व क्या थे ?

†**श्री म० म० शाह :** जैसा कि मैं अपने उत्तर में पहले ही बता चुका हूं, उसका उत्तरदायित्व विभिन्न देशों में इस्पात की किस्म, उपयुक्तता, उपलब्धता और उसके मूल्य का पता लगाना था।

विभाजन परिषद

† *७२९. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन परिषद की बैठक १ दिसम्बर, १९४७ के पश्चात् से क्यों नहीं हुयी है ;

(ख) परिषद को सौंपे गये कार्य किस प्रकार निबटाये गये ; और

(ग) क्या दिसम्बर, १९४७ से पूर्व परिषद द्वारा किये गये सारे निर्णय कार्यन्वित हो गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) चूंकि विभाजन परिषद को जितने बड़े-बड़े मामले सौंपे गये थे उनको उसने १ दिसम्बर, १९४७ तक निबटा दिया था इस कारण उसके पश्चात् बैठने की आवश्यकता नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विभाजन से जो मामले उत्पन्न होते हैं उनका विवरण दोनों सरकारों के बीच के मामलों के रुप में किया जाता है।

(ग) आस्तियों और दायित्वों के बटवारे संबंधी कुछ निर्णयों को छोड़कर अधिकांश निर्णय कार्यान्वित किये जा चुके हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** विभाजन परिषद को सौंपा गया काम क्या जल्दी पूरा हो गया था और यदि हां, तो उसे अन्य काम पूरे होने के लिये क्यों नहीं सौंपे जाते ?

†**श्री सादत अली खां :** विभाजन परिषद के निर्णयों का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था, उदाहरणार्थ व्यक्तियों, आस्तियों और दायित्व केन्द्रीय राजस्व, करेंसी, टंकन विनिमय संविदों, व्यापारिक व आर्थिक नियत्रणों इत्यादि का वितरण। यह काफी बड़ा क्षेत्र है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि छोटे संविदों तथा अन्य मामलों में रुपये संबंधी हजारों मामले अभी तय नहीं हुये हैं ? इन मामलों को कौन व्यवहृत कर रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह उत्तर दिया जा चुका है कि इन प्रश्नों का निबटारा दोनों सरकारों के वीच किया जा रहा है।

विदेश से वित्तीय सहायता लेने वाले अखबार

† *७३०. **श्री मु० ला० अग्रवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** १४ जून १९५६ को रोहतक में दिये गये अपने भाषण के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उन अखबारों के विरुद्ध कोई दाण्डिक अथवा निरोधक कार्यवाही की है जिन्हें विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** कानूनी कार्यवाही करना सामान्यतः कठिन होता है क्योंकि वर्तमान कानून के अनुसार यह इतना सुगम नहीं है। यदि कोई सबूत मौजूद भी हो तो भी हो सकता है कि न्यायालय के सम्मुख यह पर्याप्त साक्ष्य न हो। कभी कभी चेतावनी दे दी जाती है क्या सरकारी विज्ञापन भेजना बंद कर दिया जाता है ?

†**श्री मु०ला० अग्रवाल :** कौन सी विदेशी शक्तियां इन समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता दे रही हैं और इन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि मैंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है तो मैं इसे अब करता हूं। मेरे किसी भी भाषण में किसी विदेशी शक्ति का कोई निर्देश नहीं। विदेशी स्रोतों की बात कही गई है। विदेशी शक्ति अथवा सरकार और विदेशी स्रोत में भारी अन्तर है।

†**श्री मु० ला० अग्रवाल :** इन विदेशी स्रोंतो का किन देशों में प्रादुर्भाव हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उन में से कुछेक का जन्मस्थान मिल जुला है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** किस किस समाचारपत्र को चेतावनी दी गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** में तत्काल ही नहीं कह सकता हूं; मेरे पास एक सूची है। मेरे विचार में मेरे लियें यह कहना अच्छा नहीं होगा। किन्तु चेतावनियां जो दी गई हैं उनमें से कुछ सरकारी तौर पर दी गई है कुछ गैर-सरकारी तौर पर दी गई है और कुछ तो एक तरह की बातचीत के द्वारा दी गई हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं।

†**सरदार इकबाल सिंह :** यह चेतावनियां कितनी भार दी गई।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सामान्यता राज्य सरकारों का मामला है। राज्य सरकार ही यह करती है। केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट मामले की ओर ध्यान दिलाती है और कार्यवाही सदैव राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब०स० मूर्ति :** प्रधान मंत्री के भाषण के बाद क्या इन समाचारपत्रों ने विदेशी स्रोतों से सहायता लेनी बंद कर दी है अथवा क्या उन्हों ने अपने पिछले आचरण पर खेद प्रकट किया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मेरी जानकारी यह है कि उनकी निर्दोषता की घोषणा करने के लिये हमें सब से ज्यादा दोषी माना जाता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** चंकि प्रधान मंत्री ने खुलेआम यह बताना उचित समझा है कि कुछ समाचारपत्रों को विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त होता रहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में क्यों न नियमित रुप से दस्तावेजों का सहारा लिया जा सकता है तथा क्यों न कोई निवारक कार्य-वाही की जा सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका कोई उपाय नहीं। हम निवारक कार्यवाही कर सकते हैं और समय समय पर यह करते भी हैं। मुझे मालूम नहीं कि 'दस्तावेजो' का सहारा लेने से माननीय सदस्य का क्या आशय है। स्वाभाविक रूप से जहां तक हम से हो सकता है हम दस्तावेज़ रखते हैं।

†**श्री कामत :** क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने जब अपने भाषण में इस मामले का उल्लेख किया था तो अखिल भारत समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन अथवा कुछ अन्य समाचारपत्र सम्पादक संस्थाओं ने उनके इन शब्दों पर विरोध प्रकट किया था तथा उन्हों ने इस मामले को स्पष्ट करने के भी प्रार्थना की थी ; तथा यदि यह सच है तो सरकार ने अथवा प्रधान मंत्री ने क्या स्पष्टीकरण जारी किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस सम्मेलन से मुझे एक पत्र मिला था तथा इसका मैं ने उत्तर भी भेजा। पहली बात जो मैं ने उन्हें लिखी यह थी कि मैंने जो कुछ कहा है वह भारत के सभी समा-चारपत्रों पर लागू नहीं होती है। इन में से बहुत सारे उच्च श्रेणी तथा उच्च स्तर के हैं परन्तु यह कुछेक पर लागू होता जो कि बड़े शहरों में अथवा छोटे शहरों में हैं। दूसरे मैं ने उन्हे यह भी स्पष्ट किया कि देशों के विरुद्ध कुछ नहीं कहा वैसे गया है अपितु स्रोतों के विरुद्ध कहा गया है।

†**श्री कामत :** क्या सभा को यह समझना चाहिये कि प्रधान मंत्री के मन में अभी तक कोई स्पष्ट धारणा नहीं है कि किस समाचारपत्र को इस प्रकार विदेशी साधनों से धन मिलता है ? क्या यह अस्पष्ट आरोप है या निश्चित आरोप ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अधिक कुछ कहे बिना ही मैं कह सकता हूं कि मुझे कुछ समाचार पत्रों के बारे में स्पष्ट धारणा है और कुछ दूसरों के बारे में मेरी कोई स्पष्ट धारणा नहीं है।

विशेष इस्पात

†*७३१. **श्री साधन गुप्त :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि दूसरी पंच वर्षीय योजना में विशेष रुप से विशेष इस्पात के निर्णय का उपबन्ध नहीं है, तथापि क्या विशेष इस्पात का निर्माण आरम्भ किया जायेगा :

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस इस्पात की देश को कितनी आवश्यकता है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) तथा (ख). जी हां।

सरकारी क्षेत्र के किसी एक इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादन के भाग के रुप में विशेष और मिश्रित इस्पात का निर्माण आरम्भ करने का विचार है। इस समय परियोजना की प्रारंभिक स्थिति की योजना बनाई जा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न प्रकार के विशेष इस्पात की मांग की भविष्यवाणी करना कठिन है। पता चलता है कि केवल राज्य उपक्रमों के लिये १०,००० टन से अधिक विशेष इस्पात की आवश्यकता होगी। दूसरे उद्योगों से भी इसकी बहुत मांग होगी।

†**श्री साधन गुप्त** : सरकार क्षेत्र का कौन सा इस्पात कारखाना विशेष इस्पात का निर्माण आरंभ करेगा ?

†**श्री म० म० शाह** : इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये विशेष इस्पात करना प्राप्त बहुत कठिन होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुये देश में जब विशेष इस्पात का निर्माण किया जायेगा तो क्या छोटे पैमाने के उद्योगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्री म० म० शाह** : सब उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की आशा की जाती है, जिन में छोटे पैमाने के उद्योग सम्मिलित हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने कहा की उन्हें दूसरी योजना में विशेष प्रकार के इस्पातों की होने वाली मांग का पता नहीं है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये मैं जानना चाहती हूं कि समूचे व्यय की किस प्रकार योजना बनाई जा रही है ? किस आधार पर इस का आयोजन किया जा रहा है और कितना उत्पादन होगा ?

†**श्री म० म० शाह** : हम इस दृष्टि से तीनों संयंत्रों के आर्थिक पहलुओं को देख रहे हैं और जहां यह सर्वाधिक लाभदायक होगा, यह संयंत्र विशेष वही लगाया जायेगा। मैं संयंत्र की उत्पादन क्षमता पहले ही बता चुका हूं।

†**डा० रामा राव** : भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाना उंचे दर्जे और विशेष प्रकार का इस्पात बनाने के लिये पहले ही विख्यात है। क्या सरकार दूसरे प्रकार के विशेष इस्पातों का निर्माण करने के लिये इस इस्पात कारखाने की सहायता करना उचित समझती है ?

†**श्री म० म० शाह**: इस बात पर विचार किया जा चुका है और यह पाया गया है कि कच्चे लोहे की बजाय टूटे फूटे लोहे से इस्पात तैयार करना बेहतर है। इसी कारण यह नवीन इस्पात कारखाना विशेष कर मिश्रित इस्पात कारखाना, इन तीनों नवीन इस्पात संयंत्रो में से किसी एक के साथ लगाया जायेगा।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इस विषय के प्रविधिक पहलू में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये क्या किसी शिष्ट मंडल या व्यक्ति को विदेश भेजा गया है, और यदि हां, तो उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम क्या है ?

†**श्री म० म० शाह** : अभी तक कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य से विदेश नहीं भेजा गया, किन्तु प्रशिक्षण का प्रश्न विचाराधीन है। ज्यों ही योजना तैयार हो जायेगी, कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या अस्थायी रुप से यह निश्चय किया गया है कि सरकार के इस प्रस्ताविक उपक्रम द्वारा हमारी कितनी प्रतिशत मांग पूरी की जायेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि संयंत्र एक पारी में १०,००० से १५,००० टन तक उत्पादन करेगा और दूसरी योजना के अन्त तक यह हमारी प्रत्यक्षित मांग है।

†**श्री साधन गुप्त** : विशेष इस्पात के निर्माण संबंधी प्रशिक्षण की सुविधायें देने के लिये यदि किसी देश ने इच्छा प्रकट की है, तो उस देशों के क्या नाम हैं ?

†**श्री म० म० शाह** : इटली, पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनी, ब्रिटेन, रुस और अमेरीका।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारीयल जटा उद्योग प्रशिक्षण स्कूल

†*७३२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारीयल जटा उद्योग संबंधी प्रशिक्षण के लिये तीन प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं और योजना की अन्य रुपरेखा क्या है ?

†**उपभोक्ता उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) ऐसा कोई कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री राम कृष्ण** : क्या मुञ्ज जटा के लिये भी कोई केन्द्र खोला जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : मुञ्ज सर्वथा भिन्न चीज है और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई प्रस्थापना है । किन्तु राज्य सरकारों से आने वाली प्रस्थापनाओं का स्वागत किया जाता है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति**: क्या किसी राज्य सरकार ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना के लिये प्रार्थना की है, और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या राय है ।

†**श्री कानूनगो** : किसी राज्य सरकार ने ऐसे प्रशिक्षण की योजना पेश नहीं की ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि चूंकि दक्षिण में यह हमारा एक मुख्य उद्योग है इस के लिये प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की मांग है ? यदि हां, तो सरकार उस मांग को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : नारीयल जटा बोर्ड की इस प्रशिक्षण की कोई प्रस्थापना नहीं है जिस के ऊपर विशेष रुप के इस उद्योग का भार है । स्पष्टत: देश में इस काम के लिये काफी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या आन्ध्र राज्य ने काकिनाडा मे स्कूल स्थापित किया है और क्या उस स्कूल के लिये आन्ध्र सरकार ने प्रविधिक या वित्तीय सहायता मांगी है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

निर्यात ऋण प्रत्य भूति योजना

†*७३३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण प्रत्यभूति योजना संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कारवाई की गई है या करने का विचार है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) सरकार इस समय प्रतिवेदन का परीक्षण कर रही है ?

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस समिति की नियुक्ति और इसके कार्य के फलस्वरुप निर्यात बाजार में अभी तक कोई सुधार हुआ है ?

†**श्री करमरकर** : इस समिति के कार्य का अभी परीक्षण करना है । इसके प्रयत्नों से कोई परिणाम कैसे निकल सकता है ; जिन्हें अभी कार्य रुप में लाना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेशम-कृमि पालन

*७३५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में दौरा करके राज्य सरकारों को रेशम-कृमि पालन की उन्नति, उसका विकास करने और उसको प्रोत्साहन देने के लिये संगठित कार्यवाही करने में सहायता देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने क्या अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति की सिफारिशों की सूची सभा-पटल रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३९]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस सूची से ज्ञात होता है कि बहुत सी सिफारिशें की गई हैं क्या मैं जान सकता हूं कि इनमेंसे कितनी सिफारिशों को आचरण में लाया गया है ?

श्री रा० गि० दुबे : बहुतेरी सिफारिशों को आचरण में लाया गया है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : भारत वर्ष में इस वक्त कितनी सिल्क मिल्स हैं और क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इनको बढ़ाने का कोई विचार है ?

श्री रा० गि० दुबे : अभी तो सिर्फ मैसूर में एक सिस्क मिल है और दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान में वैस्ट बंगाल और असाम वगैरह में चार जगहें सिल्क मिल्स खोलने की योजना है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस समिति की जो रिपोर्ट है, क्या इसको छापने का भी विचार किया जा रहा है ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** समिति की रिपोर्ट को छापने के बारे में समिति की राय इसके पक्ष में नहीं है क्योंकि जो रिपोर्ट है वह समिति की जो डे-टू-डे एक्टिविटीज हैं, उनमें उसका मार्गदर्शन करने के लिये है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि समिति के कौन सदस्य थे ?

†**श्री रा० गि० दुबे :** श्री के० शमसुद्दीन खां,उप सभापति,बंगलौर; श्री जानकीरमन, सचिवा, बम्बई; श्री वेंकटराव, निदेशक रेशम कीट पालन संस्था, बंगलौर; श्री डी० पी० मन चौधरी, उपनिदेशक, उद्योग, पश्चिम बंगाल और श्री मुरारजी जे० वैध, बम्बई ।

बिजली के पंखे

† *७३६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली के पंखों का निर्माण उनकी मांग से बढ़ गया है;

(ख) क्या बिजली के पंखों का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां तो किन देशों को इन का निर्यात किया जाता है ?

†**उपभोक्ता उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ फैक्टरीयां बंद हो गई हैं और कुछ अपनी पूरी क्षमता से काम नही कर रही हैं और हां तो इस का क्या कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : हमें किसी फैक्टरी के बंद होने अथवा अपनी क्षमता से कम उत्पादन करने की कोई सूचना नहीं मिली । प्रतिवर्ष उत्पादन बढ़ता जा रहा है और प्रस्थापित क्षमता के साथ उत्पादन में अधिक वृद्धि होने की बहुत गुंजाइश है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस सूची में जिन ३४देशों के नाम हैं उनको निर्यात किये गये बिजली के पंखो का क्या मूल्य है ?

†**श्री कानूनगो** : १९५६ में जनवरी से मई तक कुल लगभग ६,२४,०००रुपये की लागत के पंखों का निर्यात किया गया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन ३४ देशों में हमारे पंखों की बहुत मांग है, इस कारण क्या उन के गुण प्रकार में सुधार करने के लिये एक निर्यात विकास परिषद स्थापित की जाने वाली है ?

†**श्री कानूनगो** : निर्यात विकास परीषद की कोई आवश्यकता नहीं है,क्यों कि जिन देशों में हमारे पंखे भेजे जाते हैं, वहां इन की प्रशंसा की जाती है, और निर्यात बढ़ रहा है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : हमारा कितने प्रतिशत उत्पादन हमारी मांग से अधिक है ?

†**श्री कानूनगो** : हमारे पास उत्पादन के आंकड़े हैं और निर्यात के आंकड़े हैं,इस से माननीय सदस्य मांग का अनुमान लगा सकते हैं । आशा की जाती है कि दुसरी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर मांग ६,००,००० होगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह समझना चाहिये कि सरकार अनुमान लगाये बिना काम करती है ?

भारत जापान करार

† *७३७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २८ फरवरी १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस योजना के बारे में भारत और जापान के बीच अन्तिम सभा से बातचीत तय हो गई है, जिस के अनुसार जापान को बहुत लोहा भेजा जायेगा, भारत के पूर्वी तट की बन्दरगाह का विकास होगा और रेलवे लाइनें बिछाई जायेंगी, जिन में जापान भी धन लगायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो योजना या करार की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : भारत और जापान के बीच जो बातचीत हो रही थी, क्या वह बन्द हो गई है या वह अभी जारी है ?

†**श्री करमरकर** : वह अभी जारी है। जहां तक जापान का संबंध है, कुछ समझोता हुआ है । अब हमें अमेरिका से योजना के बारे में चर्चा करनी है,क्योंकि दूसरी सहायता प्रेसीडेंट की विशेष निधि से आने वाली है ?

†**सरदार इकबाल सिंह** : जापान भारत के पूर्वी तट की किस बन्दरगाह पर धन लगायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** विशाखापटनम बन्दरगाह में जहाज ठहरने की दो नवीन गोदियां और कुछ रेलवे मार्ग बनाने का विचार है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** माननीय मंत्री ने कहा है जापान सहायता से सहमत होने के लिये अमेरीका की प्रतीक्षा कर रहा है । इस दौरान, उस बन्दरगाह से कच्चे लोहे के निर्यात की सुविधायें देने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**श्री करमरकर :** हमें लोहा अयस्क के निर्यात में अवश्य ही दिलचस्पी है। यह हो रहा है । हमें किसी विशिष्ट बन्दरगाह में दिलचस्पी नहीं । जापान और भारत के बीच यह विशेष समझोता यथाशीघ्र कार्यान्वित होगा । यदि इसमें गलती न हो इस योजना के अतिरिक्त विशाखापटनम बन्दरगाह में लोहा अयस्क में शीघ्रता करने के द्वारा कुछ करने का कोई लाभ नहीं है ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या लोहा अयस्क का निर्यात राज्य व्यापार निगम के द्वारा होगा या गैर-सरकारी निकायों द्वारा ?

†**श्री करमरकर :** माननीय मित्र को पृथक प्रश्न पूछना चाहिये ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या जापानी विनियोजन कुछ विशिष्ट शर्तों पर होगा या भारत रेलवे की सामान्य विनियोजन निधि में शामिल किया जायेगा ?

†**श्री करमरकर :** व्यय का कुछ भाग जापान देगा। परियोजना में सामालकोट से तितलीगढ़ तक नवीन लाइन बनाने और विजय नगरम् से तथा वाल्टेयर के बीच के रास्ते को डबल करने तथा ७५ नवीन इंजिनों तथा ५००० माल डिब्बों के अर्जन का विचार है । जापान को इंजिन देने होंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** परियोजना पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री करमरकर :** जापान हमें ८० लाख डालर सहायता देगा,जिस में ७५इंजिनों का मूल्य सम्मिलित होगा,और शेष ढाई करोड़ डालर एशिया के आर्थिक विकास के लिये प्रेसीडेंट की विशेष निधि से ऋण के रूप में दिया जायेगा ।

ओम एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली

†***७४१. श्री अ०क० गोपालन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के तेल व्यापारियों ने सरकार से ओम एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली, को वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के अधीन मान्यता देने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से ओम एक्सचेंज लिमिटेड को स्वीकार किया?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) कुछ आभ्यावेदन मिले है ।

(ख) दिल्ली से जिन सस्थाओं ने प्रार्थना की थी उन में से ओम एक्सचेंज एक ऐसी संस्था थी । जिसका एकमेव कार्य तेज और तिलहनों का व्यापार था, और जिसमें तेल और तिलहनों में मुख्य रूप दिलचस्पी रखने वाले सदस्यों की सब से अधिक संख्या है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या दिल्ली के तेल व्यापारियों से इस आशा का अभ्यावेदन मिला है कि ओम एक्सचेंज लिमिटेड गैर-हस्तांतरणीय प्रदान सविदाओं के अनिवार्य तत्वों (सिद्धान्तों) का पालन न करके व्यापारियों को हानि पहुंचाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** इस आशय की शिकायतें थीं। यह पाया गया कि वायदा आयोग अधिनियम द्वारा जो बातें स्पष्ट रूप से रोकी गई थी,उन के बारे मे सामान्य अज्ञान है। हमने स्थिति का स्पष्टीकरण किया और यह भी पाया कि फर्म ने ऐसी कोई बात नहीं की, जिसमें विधि का अतिक्रमण हुआ हो।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने समवाय विधि के प्रादेशिक प्रशासन विदेशक को एक उर्दू इश्तहार के बारे में जांच करने को कहा है, जिस में कुछ सूचना छापी गई थी, और यदि हां तो उस जांच का क्या परीणाम है ?

†**श्री करमरकर :** इस मामले में वित्त मंत्रालय की जांच के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि वायदा बजार आयोग ने शिकायत की बहुत ही बातों का परीक्षण किया था, और उस फर्म के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। यह पाया गया कि सब कुछ ठीक है।

†**श्री रामा राव :** क्या तेल व्यापारी संघ ने सरकार को कई तार और पत्र भेजे हैं और क्या सरकार ने उन का उत्तर दिया है ?

†**श्री करमरकर :** जी हां। हमारा, अनुभव है कि कई बार लोग तार भेज देते हैं यद्यपि यह अनावश्यक होता है, परन्तु इस से तार विभाग की आय में अच्छी वृद्धि हो जाती है।

†**श्री नंबियार :** यद्यपि इस से संचार मंत्रालय की आय की वृद्धि होती है,परन्तु क्या संबंध मंत्रालय को किंचित चिंता नहीं होती ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सूचना उन्हें अधिक उपयोगी नहीं होगी।

पालार जल विवाद

† *७४२. **श्री वोडयार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालार जल की भागिता के विवाद के संबंध में केन्द्रीय सरकार, मद्रास और मैसूर सरकारों का बंगलौर में हाल ही में सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां मद्रास और मैसूर सरकारों के चीफ इंजीनियरों और केन्द्रीय सरकार के एक प्रतिनिधि का सम्मेलन हुआ था।

(ख) मद्रास और मैसूर सरकारों से सम्मेलन में किये गये निश्चयों की पुष्टि करने की प्रार्थना की गई है।

†**श्री वोडयार :** क्या यह सच है कि मद्रास सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे निराधार थे?

†**श्री हाथी :** कोई दावा तो वस्तुतः नहीं किया गया था किन्तु कुछ शिकायतें की गई थीं कि मैसूर सरकार ने १८९२ में समझोते का उल्लंघन किया। कुछ मामलों में तो यह पता लगा कि कोई उल्लंघन न था किन्तु एक दो मामलों में वास्तविक सिंचाई के बारे में अभी और आंकड़े प्राप्त करना बाकी है। उसके बाद ही हम अन्तिम रूप से यह जान सकेंगे कि उन मामलों में कोई उल्लंघन था या नहीं।

†**श्री ना०रा० मुनिस्वामी :** क्या यह काफी पुराना झगड़ा है और क्या उस सम्मेलन में कोई गैर-सरकारी अधिकारी भी बुलाया गया था ?

†**श्री हाथी :** झगड़े का संबंध वस्तुतः इस बात से था कि मैसूर सरकार अपने अधिकार से अधिक पानी काम में लाती थी और यह दोनों राज्य के इंजीनियरों के बीच एक प्राविधिक विषय है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के प्रतिनिधियों को पता लगा कि कुछ मामलों में अधिक पानी नहीं लिया गया था। अतः प्रविधिक जांच की आवश्यकता न थी जिस के लिये किसी गैर-सरकारी अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** इस सम्मेलन का सभापतित्व किस ने किया था और क्या उसे प्रेस वक्तव्य जारी करने का अधिकार था ?

†**श्री हाथी :** नहीं। सम्मेलन में सभापतित्व करने का कोई प्रश्न नहीं था। दोनों राज्यों के दो मुख्य इंजीनियर थे और एक अधिकारी केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग का था। जांच के बाद उन्होंने कुछ निश्चय किये। बैठक की कायवाही अनुमोदन के लिये राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

केन्द्रीय मार्केटिंग संगठन

*७४३. **श्री ख० चं० सौधिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के केन्द्रीय मार्केटिंग संगठन में किस प्रकार का और कितना विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस वर्ष के बजट में हथकरघा बोर्ड के प्रचार तथा विज्ञापन विभाग के खर्च में कोई कमी की गई है ?

उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री काननगो) : (क) अभी और कोई विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) गत वर्ष किये गये खर्च की तुलना में इस वर्ष के बजट में इस मद में कोई कमी नहीं की गई है।

श्री ख० चं० सौधिया : क्या यह विस्तार का प्रस्ताव दूसरी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है ?

श्री कानूनगो : वह तो सारे विस्तार की योजना है। अभी जो तीन रीजनल और १२ सब-रीजनल आफिसर हैं वह काफी समझे जाते हैं।

बच्चों के लिये फिल्में

*७४६. **डा० रामा राव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में बच्चों की फिल्में बनाने का क्या कार्यक्रम है ;

(ख) वे किन भाषाओं में बनाई जायेंगी ; और

(ग) तेलुगू में कितनी फिल्में बनाई जायेंगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) बच्चों की फिल्म बनाने का मुख्य काम बाल फिल्म सोसाइटी को सौंपा गया है जो एक पंजीकृत संस्था है और यद्यपि उसे सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं फिर भी वह स्वतंत्र रूप से काम करती है। ज्ञात हुआ है कि सोसाइटी चालू वर्ष में दो फीचर फिल्म और, एक छोटी फिल्म बनाना चाहती है और पांच विदेशी फिल्मों का रूपान्तर करना चाहती है। इस द्वित्तीय वर्ष में भारत सरकार का फिल्म डिवीजन छः शिशु समाचार पत्रिकायें बनाना चाहता है।

(ख) और (ग). ज्ञात हुआ है कि ये फिल्में मुख्यतः या हिन्दी में होंगी।

†**डा० रामा राव :** जिस संस्था का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है उस को कितनी रकम दी गई है ?

†**डा० केसकर :** १९५५–५६ में सोसाइटी को २,३०,००० रुपये का अनुदान दिया गया। चालु वित्तीय वर्ष में सोसाइटी को ४,००,००० रुपये का सहायक अनुदान देने का उपबंध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रामा राव :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के पास एक सुसंगठित फिल्म्स डिवीजन है, सरकार इस विषय को एक संस्था को सौंप कर एक ही भाषा में यह काम कराने के बजाय स्वयं क्यों नही विभिन्न भाषाओं में फिल्म तैयार करती ?

†**डा० केसकर :** इस के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो यह है कि भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन के पास बहुत अधिक काम है और उस के लिये हमारे कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। इस के अतिरिक्त हम ने यह अनुभव किया कि यदि कोई स्वतंत्र संस्था होगी तो यह अधिक कलात्मक गुणों का समावेश कर सकेगी और अधिक शीघ्रता से काम कर सकेगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या भारत सरकार द्वारा कोई अमेरीकी महिला आमंत्रित की गई थी जो बच्चों की फिल्मों की विशेषज्ञ थी और यदि हाँ, तो क्या उस ने इस विषय पर कोई राय दी है ?

†**डा० केसकर :** मेरे विचार में इस में कुछ गलतफहमी है। शिक्षात्मक फिल्मों पर एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ मिस मेरी सेटन जो कि अमेरिकी नहीं बल्कि एक अंग्रेज महिला हैं भारत आई थीं। उन्होंने हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी। उन्होंने अनेक भाषण दिये और जाने से पहले उन्होंने अपने अनुभव भी बताये। निसन्देह वे बाल फिल्म सोसाइटी के लिये काफी लाभदायक होंगे किन्तु हमने उन्हें पथ प्रदर्शन के लिये कोई सरकारी आमंत्रण नहीं दिया था।

†**डा० लंकासुन्दरम :** माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि फिल्म डिवीजन के पास बहुत काम है, तो क्या सरकार उन गैर-सरकारी एजन्सियों के साथ भागीदार बनने को तैयार है जो बच्चों की फिल्म बनाना स्वीकार करें ? क्या इस दिशा में अभी तक कोई आवेदन विशेषत: कानपूर से, किया गया है कि वहां बच्चों की फिल्मों की एक संस्था खोली जाये ?

†**डा० केसकर :** बच्चों की फिल्मों के सब प्रश्न पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा विचार किया जायेगा। जहां तक सरकार का संबंध है, पिछले सप्ताह एक प्रश्न के उत्तर में एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया था जिस से सदस्यों को ज्ञात हुआ होगा कि इस वर्ष हम जो फिल्में बना रहे हैं उनमें से ५० प्रतिशत फिल्में गैर-सरकारी निर्माताओं द्वारा बनाई जायेंगी।

†**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न भाषाओं में बच्चों की कुछ बहुत अच्छी फिल्में बनाई गई हैं, क्या सरकार बाल फिल्म सोसाइटी से कहेगी कि बच्चों की फिल्में बनाने के लिये उन फिल्मों के निर्माताओं से सहायता ले ?

†**डा० केसकर :** ऐसा तो होता ही है। किन्तु मैं माननीय सदस्या के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि हमारे देश में बच्चों की बहुत अच्छी फिल्में काफी तादाद में बनाई गई है। कुछ आवश्य हैं और सरकार ने सोसाइटी को उन का ध्यान दिलाया है किन्तु वह तो स्वयं ऐसे गुणों और ऐसी फिल्मों की तलाश में है।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** उत्तर में कहा गया है कि फिल्में हिन्दी में बनाई जायेंगी तो फिर प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में बच्चों की फिल्में बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**डा०केसकर :** मैं सोसाइटी की ओर से कुछ नहीं कह सकता किन्तु सोसाइटी ने यह तय किया है कि आरंभ में हिन्दी में फिल्में बनाई जायें क्योंकि उन का काफी प्रचार होगा। इस समय उस के पास रुपया कम है किन्तु भविष्य में वे प्रादेशिक भाषाओं में भी फिल्म बनायेगी ?

डा० रामा राव : इस कार्य को एक गैर-सरकारी संस्था को सौंपन का एक कारण माननीय मंत्री ने यह बताया है कि गैर-सरकारी संस्थाओं को अच्छे कलाकार मिल जात हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण कथन से पहले क्या माननीय मंत्री ने इस बात का प्रयत्न किया था कि किसी फिल्म के लिये अच्छे कलाकार ढूंढे जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप ऐसे विशेषण क्यों लगाते हैं जो आपत्ति जनक हों ?

†**डा० लंकासुन्दरम् :** माननीय मंत्री आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

†**डा० केसकर :** मैं प्रश्न को नहीं समझा हूं।

†**डा० रामा राव :** मैं जानना चाहता हूं कि फिल्म्स डिवीजन में बच्चों की फिल्में बनाने के लिये क्या माननीय मंत्री ने अच्छे कलाकार ढूंढने का प्रयत्न किया था ?

†**डा० केसकर :** इन फिल्मों में किसी क अभिनय करन अथवा भाग लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता फिल्म्स डिवीजन की विशषता उसक प्रलख चित्र हैं और वे फीचर्ज फिल्म से एक पृथक वस्तु है, जिनमें दृष्य और अन्यत्र किये गये कार्यो को चित्रित किया जाता है तथा जहां प्राविधिक विषयों में हमारा काम देश के अच्छे अच्छ निर्माताओं के काम से बढ़ा चढ़ा रहता है। कलाकारों और अन्य लोगों की सहायता के लिये तो हमें एक अलग विभाग की जरुरत पड़ेगी। अत: सोसाइटी यदि स्वतंत्र रुप से कार्य करे तो वह ऐसे लोगों को सरलता से प्राप्त कर सकती है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : श्रीमती गांधी अभी विदेशों से आयी हैं और उन्होंने इस बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। क्या मैं जान सकती हूं कि उन से भी पूछा गया है कि यह बच्चों की फिल्म किस तरह से बनायी जायें ?

डा० केसकर : श्रीमती गांधी सोसाइटी की वाइस प्रेसीडेंट हैं।

†**श्री वे० प० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा है कि दो मौकों पर लगभग ६लाख रुपये की राशि इस संस्था को दी जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सोसाइटी द्वारा बच्चों को कितनी फिल्म बनाई गई हैं या बनाई जाने वाली हैं और सरकार ने उसे किन शर्तों पर यह ऋण दिया है ?

†**डा० केसकर :** यह ऋण नहीं बल्कि एक सहायक अनुदान है। सोसाइटी ने दो फिल्में बनाई हैं जो दो भारतीय रूपक फिल्मों का रूपान्तर तथा संक्षिप्तीकरण है और उन्हें बच्चों के लिये सरल बना दिया गया है। उस ने एक फिल्म बिल्कुल मौलिक बनाई ह। उन्होंने रूस और ब्रिटेन की छः फिल्मों का रूपान्तर किया है। यह सब पिछले वर्ष का निर्माण है।

इस वर्ष के निर्माण का कार्यक्रम यह है : दो मौलिक फिल्म और एक छोटी फिल्म; बच्चोंकी चार विदेशी फिल्मों का रूपान्तर और एक रूपक फिल्म का रूपान्तर । यही इस समय का कार्यक्रम है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन

†***७४८. श्री तुलसीदास :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्तरिक खपत में संभावित वृद्धि के कारण द्वितोय पंच वर्षीय योजना निश्चित औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्यों का पुनरीक्षण करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुयें क्या हैं जिन के लक्ष्यों का पुनरीक्षण विचाराधीन है ?

†**सिंचाई और योजना उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) हां, श्रीमान्। इस विषय के बारे म द्वितीय पंच वर्षीय योजना की रिपोट के पैरा ४६ के उप पैरा में पृष्ठ ४०६में विवेचन किया गया है।

(ख) यह प्रश्न अभी विचार के लिये नहीं लिया गया है।

स्थानीय विकास कार्य

†***७४९. श्री नि० बि० चौधरी :** क्या **योजना** मंत्री इस आशय का विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में पिछले तीन वर्षों में स्थानीय विकास कार्य के लिये कितनी रकम दी गई और कितनी वास्तव में खर्च की गई ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४१]**

†**श्री नि० बि० चौधरी** : स्थानीय कोषों में जनता के ५० प्रतिशत अंशदान के बाद भी जिला अधिकारी स्थानीय विकास कार्यों के लिये अधिक रकम का उपबंध नहीं कर सकते है, इसका कारण क्या है और खर्च में कमी के क्या कारण हैं ?

†**श्री हाथी** : १९५५–५६ में पश्चिमी बंगाल को ४१·२५ लाख रुपये दिये गये थे जब कि व्यय ४५·१८७ लाख रुपये हुआ । अतः खर्च की इस वर्ष कोई कमी नहीं हुई ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : पिछले वर्षों में क्या दशा थी ?

†**श्री हाथी** : पिछले वर्षों में अवश्य कमी थी । हम ने कार्यक्रम आरंभ किया और तब स्वीकृत देने में कुछ दिक्कतें आईं । किन्तु अन्य समय पर हम ने वास्तविक व्यय हो जाने के बाद रुपया दिया है । अतः स्वीकृति के अभाव के कारण व्यय में कमी नहीं हुई और न विलंब हुआ । यह तो किसी काम को व्यवहार में परिणत करने का प्रश्न है । मूल्यांकन करने वालों का कहना है कि जिला अधिकारियों को रकम देने का अधिकार नहीं था । इस बात पर अब विचार किया जा रहा है । इन योजनाओं की स्वीकृति देने के लिये जिला अधिकारियों को कुछ शक्ति दी जायेगी ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : चालू वर्ष के बजेट में पश्चिमी बंगाल को कम रकम देने का क्या कारण है ?

†**श्री हाथी** : कोई कमी नहीं की गई है । १९५३–५४ में १७·४ लाख रुपये दिये गये थे, १९५४–५५ में ४१·२५ लाख और १९५५–५६ में भी ४१·२५ लाख रुपये थे । इसमें कोई कमी नहीं की गई है ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : मैं तो चालू वर्ष अर्थात् १९५६–५७ के लिये पूछ रहा हूं ।

श्री हाथी : इस वर्ष के लिये ३४ लाख रुपया है ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : १९५५–५६ में तो यह रकम ४१ लाख रुपये थी और इस वर्ष केवल ३४ लाख रुपये है अतः यह तो बहुत कम है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह तो साफ जाहिर है ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : इस वर्ष का आवण्टन किस प्रकार किया गया है ?

†**श्री हाथी** : वह जन संख्या के आधार पर किया गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह सच है कि सरकार ने जनता के अंशदान को ७५ प्रतिशत करने का निश्चय किया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में लोगों की प्रतिक्रिया का पता लगाया है ?

†**श्री हाथी** : नहीं श्रीमान् । सरकार ने ऐसा निश्चय नहीं किया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार को पता है कि कुछ जिलों में लोगों से स्थानीय विकास कार्य के लिये ७५ प्रतिशत अंशदान के लिये कहा गया है और अनेक कार्य इसी वजह से रुक गये हैं ।

†**श्री हाथी** : जहां तक नये कार्यों का प्रश्न है, उन के बारे में नीति अभी विचाराधीन है । अंशदान में वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं है । पुराने काम तो चल रहे हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में स्थानीय विकास कार्यों को प्रारंभ करने के संबंध में निश्चय करने में योजना आयोग क्यों विलंब कर रहा है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) :** स्थिति यह है कि स्थानीय विकास कार्यों के नये कार्यक्रम के आरंभ के पहले उस काम का अंकन करना आवश्यक समझा गया, जो पहले से हो रहा है। यह काम कर लिया गया है और इन कार्यों के साथ आगे बढ़ने का हाल ही में निश्चय कर लिया गया है।

†**श्री नि० बि० चौधरी :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि पश्चिमी बंगाल में यद्यपि जिलों में आवण्टन किया जाता है तथापि कुछ जिले अपनी रकम को खर्च नहीं कर पाते किन्तु अन्य जिले जो खर्च करना चाहते ह व उन जिलों की रकम खर्च नहीं कर पाते जहां रकम बच जाती है ?

†**श्री हाथी :** हमारे पास प्रत्येक जिले का ब्यौरा नहीं है क्योंकि ये योजनायें राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** क्या यह सच है कि सहरसा जिले में स्थानीय कार्यों को करने में मुख्य कठिनाई सहयोग का अभाव, अंशदान अथवा सहायता का अभाव नहीं है बल्कि सीमेंट, इस्पात कोयला आदि सामान का अभाव है ? इन योजनाओं को जल्दी लागू करने के लिये क्या सरकार ऐसा सामान देने वाली एजेन्सियों में एकसूत्रता स्थापित करना चाहती है ?

†**श्री हाथी :** यह राज्य सरकारों का विषय है क्यों कि धनराशि के आवण्टन के उपरान्त देखना राज्य सरकारों का काम है कि लोगों को इस सामान को प्राप्त करने में दिक्कत न हो। ऐसे कामों में कुछ कठिनाइयां अवश्य होती है अतः सरकार उन कार्यों को यथाशीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न करेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सन्थाल परगना आदि कई ज़िलों में सरकार उन कार्यों के लिये ३१ मार्च के बाद ५० प्रतिशत अंशदान देने के लिये सहमत नहीं है जो जून तक पूरे हो जायेंगी और इस बात को दृष्टि में रखते हुए भी कि सरकार और आगे काम बन्द करना चाहती है, क्या वह इस नियम में कुछ रियायत करने पर विचार करेगी और जिन योजनाओं के लिये वह सहमत है उन के लिये ५० प्रतिशत तदर्थ अनुदान देगी ?

†**श्री नन्दा :** हम राज्य सरकारों को एक पत्र भेज रहें हैं। हमने उन्हें पहले ही लिख दिया है कि वे इन योजनाओं का कार्य जारी रख सकते हैं।

प्रथम पंच वर्षीय योजना के परिणाम

† *७५०. **श्री न० मा० लिंगम्** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न लिखित दृष्टिकोण से प्रथम पंच वर्षीय योजना के परिणामों का अंतिम अंकन किया गया है :—

(१) वित्तीय व्यय;

(२) पूरे किये गये भौतिक लक्ष्य ; और

(३) जनता का जीवन-स्तर ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री श्री (हाथी) :** (क) १९५५–५६ का प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। उसके बाद संपूर्ण प्रथम पंच वर्षीय योजना का अंकन किया जायेगा। आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा रही है।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) ज्यों ही लेख तैयार हो जायेंगे इन की प्रतियां संसद सदस्यों को दी जायेंगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास का लक्ष्य क्या था और मैं यह भी जान सकती हूं कि उक्त दोनों क्षेत्रों में से प्रत्येक में कितने प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है ?

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्या इस प्रश्न को प्रश्न संख्या ७४८ से मिला दे रही हैं। यह प्रश्न संख्या ७५० है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। उनके उपलब्ध होने के बाद हम पूर्ण विवरण दे सकेंगे। वह कुछ समय के बाद उपलब्ध होंगे।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना काल के अन्त में राष्ट्रीय आय में ठीक-ठीक नहीं तो लगभग कितनी वृद्धि हुई है और, यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय आय में हुई इस वृद्धि का समान वितरण लोगों के बीच हुआ है अथवा वह उच्च वर्ग के कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में ही एकत्रित हुई है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : विभिन्न संकेतों और हमारे द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी राष्ट्रीय आय में निस्सदेह वृद्धि हुई है। जहां तक वितरण का संबंध है हमारे पास कोई सही आकड़े नहीं है जिन से यह बताया जा सके कि विभिन्न वर्गों में वितरण किस प्रकार हुआ है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि जो प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है वह यह भी बतायेगा कि लोगों के जीवन-यापन स्तर पर प्रथम पंच वर्षीय योजना का क्या प्रभाव पड़ा है जहां तक मुझे जानकारी है, प्रगति प्रतिवेदनों ने इस विषय के बारे में कुछ कहा नहीं है ?

†**श्री नन्दा** : जो कुछ जानकारी उपलब्ध होगी वह दी जायेगी।

†**श्री गाडगील** : क्या मैं जान सकता हूं कि आयकर विवरणयों से यह पता लगाना संभव नहीं है कि जो लोग धनी थे वे अधिक धनी हुए या नहीं ?

†**श्री नन्दा** : देश क संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र का यह अत्यंत ही छोटा भाग है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या म जान सकता हूं कि राष्ट्रीय आय भी राज्यवार वृद्धि की प्रतिवेदन में दी जायेगी ?

†**श्री नन्दा** : यह इस अवस्था में सम्भव नहीं है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूं कि जब कि सरकार को कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं है तो वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहूंची कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों में से उसने लगभग ९० प्रतिशत पूरे कर लिये हैं ?

†**श्री नन्दा** : हम उसे प्रति वर्ष प्रकाशित करते रहे हैं ; वह लगभग सही है किन्तु पिछले वर्ष के बारे में जो सही आंकड़े हैं वह सभा के सदस्यों को बहुत शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि व्यय में भी अत्यंत वृद्धि हुई है इस बात को देखते हुए राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि पूर्णतः काल्पनिक है ?

†**श्री नन्दा** : माननीय सदस्य को गणना की विधि ज्ञात नहीं है। उसमें मूल्य स्तर में हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखा जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

रुपी कंपनी की स्थापना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. (श्री साधन गुप्त)**: क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसाम में पाये गये तेल निक्षेपों से तेल निकालने और उसे शुद्ध करने के बारे में आसाम आइल कंपनी से कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार के मुख्य पहलू क्या हैं ;

(ग) उक्त तेल निक्षेपों से लाभ उठाने के लिये क्या कोई रूपी कंपनी स्थापित की जायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियो में सरकार का कितना अंश होगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). हाल ही में आसाम में पाये गये तेल निक्षेपों से तेल निकालने और उसे शुद्ध करने के बारे में आसाम ऑइल कंपनी से कोई औपचारिक करार नहीं हुआ है। जिन क्षेत्रों के अधिकार आसाम ऑइल कंपनी को पहले ही दे दिये गये थे तथा जहां तेल खोज निकाला गया है उन क्षेत्रों से तेल की खोज उत्पादन और परिवहन के लिये सरकार की भागीदारी के साथ एक या अधिक रुपया कंपनी निर्माण करने के बारे में मंत्रायल के प्रतिनिधियों और आसाम ऑइल कंपनी के बीच प्रारम्भिक बातचीत हो चुकी है। तेल शोधन के बारे में यह प्रस्थापना है कि सरकारी क्षेत्र में एक शोधनशाला स्थापित की जाय जिस में सरकार का कम से कम ६६-२/३ प्रतिशत अंश हो। यह पूरा मामला अब भी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि शोधनशाला कहां स्थापित की जायेगी तथा वह कितनी बड़ी होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ये दो प्रश्न सरकार और दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के सक्रिय विचाराधीन हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच है कि आसाम ऑइल कंपनी ने आर्थिक आधारों पर शोधनशाला के कलकत्ता में स्थापित किये जाने की जोरदार सिफारिश की है और, यदि हां, तो इस सिफारिश के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सच है कि आसाम ऑइल कंपनी के प्रतिनिधि इस आशय का अस्थायी सुझाव दे रहे हैं कि नई शोधनशाला की स्थापना कलकत्ता में की जाये।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या मैं जान सकती हूं कि इस पूरे प्रश्न का निर्णय करने में सरकार आसाम जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होने देगी क्योंकि कलकत्ते में उद्योगों की संख्या बहुत अधिक है और यदि शोधनशाला कलकत्ते में स्थित होती है तो उससे मौजूदी उद्योगों की संख्या और बढ़ जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ऐसी सब बातें निश्चय ही सरकार के समक्ष हैं।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि सरकार का अब भी यह ख्याल है कि शोधनशाला आसाम में स्थापित हो सकती है और उसे एक स्थान में या दूसरे में स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं इस प्रश्न की जांच के लिये क्या वह उसका निर्देश विशेषज्ञों से करने जा रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** शोधनशाला की स्थापना के स्थान के बारे में सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है। किन्तु यह सच है कि शोधनशाला के लिये एक उपयुक्त स्थान खोज निकालने के प्रश्न की पूरी जांच करने के लिये सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री साधन गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि जिस शोधनशाला की स्थापना की प्रस्थापना है उससे, शोधित तेल की हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी कितनी प्रतिशत पूर्ति होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में शोधनशाला की क्षमता के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। जिन प्रस्तावों पर इस समय विचार किया जा रहा है उनमें यह सुझाव दिया गया है कि १५ लाख टन तेल का शोधन करने की क्षमता रखने वाली एक शोधनशाला स्थापित की जाये जिसकी क्षमता को बढ़ा कर २५ लाख टन किये जाने की संभावना होगी। यह सुझाव दिये गये सुझावों में से केवल एक है।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम में तेल के जो नये कुंए खोज निकाले गये हैं उनसे प्रतिवर्ष कितना अपरिष्कृत तेल प्राप्त होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** आसाम ऑइल कंपनी के विशेषज्ञों ने हमें अब तक यह सूचना दी है कि वह प्रतिवर्ष १० लाख टन से अधिक अपिरिष्कृत तेल का उत्पादन कर सकेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हज समिति

***७२८. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९५६ में हज समिति की बैठक ने हज तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं।

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : ४ जून, १९५६ को बम्बई में हुई केन्द्रीय हज कमेटी की मीटिंग में यह कहा गया था कि तीर्थयात्रियों के जहाज़ों को वैसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसी कि भारत-अफ्रीका यात्री-सेवाओं को दी जाती हैं। इस समय, तीर्थयात्री जहाज़ों को वे सभी सुविधाएं दी जाती हैं, जिनका उल्लेख भारतीय तीर्थ यात्री-जहाज़ नियमों (इंडियन पिलग्रिम शिप रूल्स) में हैं। कमेटी चाहती थी कि भारत सरकार इस मामले की और अधिक जांच करे और जरूरी कार्रवाई करे।

जहाज़रानी के डायरेक्टर-जनरल से कहा गया है कि वे इस मामले में जांच करे और इसकी रिपोर्ट तैयार करें कि भारत अफ्रीका सेवाओं के तीर्थयात्री जहाज़ों और यात्री जहाज़ों को एक दूसरे की तुलना में, कौन सी सुविधायें मिलती हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर, दूसरी जरूरी कार्रवाइयां की जाएंगी।

पारपत्र

†***७३४. डा० सत्यवादी :** क्या **प्रधान मंत्री** १४ मई, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २,०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रवीण कामगारों को पारपत्र देने पर जो मौजूदा निर्बन्ध हैं उन्हें शिथिल किये जाने के बारे में पंजाब राज्य के कुछ संगठनों से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)**: भारत सरकार ने अभ्यावेदनों पर पूरी तौर से विचार कर लिया है। हाल ही में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और छोटे मोटे व्यापार अथवा नौकरी के लिये इंगलैंड जाने वाले अशिक्षित अथवा अर्द्ध-शिक्षित व्यक्तियों के बारे में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। जाली पार-पत्र देने की घटनाएं हुई हैं और लोग भारत लौटने के लिये बाध्य हुए हैं। इंगलैंड में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आ जाने से नए सामाजिक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। इन सब पहलुओं पर पूर्ण विचार करने के पश्चात सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ऐसे अशिक्षित अथवा अर्द्धशिक्षित व्यक्तियों को एक बड़ी संख्या में इंग्लैंड जाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं होगा।

यद्यपि ऐसे व्यक्तियों को दिये जाने वाले पारपत्र सम्बन्धी निर्बन्ध कायम रहेंगे तथापि सरकार ने इस आशय के आदेश दिये हैं कि नीति यथा शक्ति उदार होनी चाहिये और जब इंगलैंड की यात्रा के लिये वास्तविक कारण हों तो पारपत्र सुविधाएं दी जानी चाहिये।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस

† *७३८. **श्री मादिया गौडा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री ५ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस के विस्तार की योजना के ब्यौरे अब अन्तिम रूप से निश्चित किये गये हैं?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)**: द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विस्तार योजनाओं को सम्मिलित किया गया है जिन पर लगभग ६ करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें से २ मदो प्रथम पंचवर्षीय योजना के हिस्से के बतौर पहले ही मंजूर किया जा चुका है। शेष अभी विचाराधीन हैं।

संचालन समिति

*७३९. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि एक अरसे से चले आ रहे मासलों को हल करने के तरीकों की खोज करने के लिये भारत और पाकिस्तान सरकार द्वारा स्थापित दो कर्णधार समितियों ने मार्च, १९५५ के बाद क्या कोई प्रगति की है?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : फरवरी और मार्च १९५५ में कर्णधार समितियों ने अपनी बैठकों में सहमत हो कर जो निश्चय किये उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान सरकारों ने प्रमुख प्रश्नों को हल करने के लिये कार्यवाही की है। कर्णधार समितियों ने जो विभिन्न मदें भारत सरकार को सौंप दी हैं उनके बारे में भारत सरकार के मंत्रालय और मंत्री पाकिस्तान के मंत्रालय और मंत्रियों से पत्र-व्यवहार आदि करते रहे हैं। कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग से, पाकिस्तान सरकार से जिन प्रश्नों के बारे में कूटनीतिक स्तर पर चर्चा की जानी है, उनके बारे में कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। कर्णधार समितियों ने ११ और १२ मार्च, १९५५ को दिल्ली में आयोजित बैठकों में कुछ मदों पर चर्चा की और वह उनम से कुछ मदों पर सहमत हुईं।

चूंकि मार्च, १९५५ के बाद कर्णधार समितियों की कोई बैठक नहीं हुई है इसलिये विभिन्न स्तरों पर की गई बात चीत की प्रगति की समीक्षा करना सम्भव नहीं हुआ है।

वाई० एम० सी० ए० और वाई० डब्ल्यू० सी० ए०

† *७४०. **श्री धूसिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों में छात्रावासों का निर्माण करने के लिये वाई. एम. सी. ए. और वाई. डब्ल्यू . सी. ए. को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण दिये गये हैं?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पु० शे० नास्कर)** : अप्रैल, १९५३ में वाई. डब्ल्यू. सी. ए. को ५०,००० रुपये का एक ऋण दिया गया था। वाई. एम. सी. ए. को अब तक कोई ऋण नहीं दिया गया है।

कपड़े का निर्यात

†*७४५. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रा० प्र० गर्ग :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से भारत में बने कपड़े के निर्यात में कोई कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) इसके लिये क्या कारण हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल से जून १९५६ तक सूती कपड़े का निर्यात लगभग १८.४२ करोड़ गज था जब कि १९५५ में इन्हीं महीनों में १९.२ करोड़ गज का निर्यात हुआ था।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान, ९ मई, १९५६ को उनके और श्री विश्वनाथ राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २०४९ के भाग (ख) का जो उत्तर मेरे द्वारा दिया गया है, उसकी ओर आकर्षित किया जाता है।

स्वयं चालित करघे

†*७४७. **डा० ज० न० पारिख :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले दो वर्षों में सूती कपड़े की मिलों में कितने स्वयंचालित करघे स्थापित किये जाने की सम्भावना है और यह करघे किन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : ऐसी आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में १४,६०० स्वयंचालित करघे स्थापित किये जायेंगे जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन है। साधारण करघों के स्थान पर स्वयंचालित करघों की स्थापना की रीति से इस समय कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत स्वयंचालित करघे जिन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे उनके बारे में जानकारी देने में सरकार इस समय असमर्थ है।

अल्प आय वर्ग आवास योजना

†*७५१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकान बनाने के लिये ऋण देने की जो योजना है वह केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिये विशेष उपयोग की नहीं है जिन्हें ४०० रुपये से कम वेतन मिलता है क्यों कि आसपास और केन्द्रीय सचिवालय से ५ मील या उससे अधिक दूरी पर स्थित बस्तियों में जमीन की कीमत बहुत ऊंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कुछ क्षेत्रों का विकास करके उन्हें कम वेतन पाने वाले इन अफसरों को इस आधार पर बेचने के लिये तैयार है जिसमें उसे कोई लाभ अथवा हानि न हो; और

† मूल अंग्रेजी में

(ग) उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को कौन सी पूर्ववर्तिता दी गयी है जिन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त मकान में विस्थापन आवास प्राप्त करने से विवाजित किया गया है और जिन्हें एक स्थायी मकान की आवश्यकता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पु० शे० नास्कर)** :(क) यह योजना दिल्ली के सम्बन्ध में नहीं बनाई गई है और यदि दिल्ली में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अवकाश प्राप्ति के बाद रहने के लिये अपने आप के लिये दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों में मकान बनाते हैं तो यह उनके लिये लाभदायक होगा विशेषकर जब कि सचिवालय के आसपास भूमि की कीमत ऊंची है और जब कि नौकरी के काल में उनमें से अधिकांश को सरकारी क्वार्टर किराये पर मिल जायेंगे।

(ख) सरकार आशा करती है कि इस प्रयोजन के लिये सहकारी आवास समितियां बन जायेंगी।

(ग) चूंकि इस योजना का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को सहायता देना है जिन्हें रहने के लिये खुद का मकान नहीं है, इसलिये विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई विशेष विभेद करना आवश्यक नहीं समझा गया।

झींगा मछली का निर्यात

†*७५२. **श्री मात्तन :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन और बर्मा के बीच झीगां मछलियों के व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है ;

(ख) १९५५–५६ में बर्मा को कितनी मात्रा का निर्यात किया गया था ; और

(ग) छोटी मछलियों के १०,००० बोरे प्राप्त करने के लिये बर्मा की सरकार ने जो टैण्डर आमंत्रित किये थे उनका क्या हुआ ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) और (ख) समुद्र के जरिये होने वाले व्यापार के लेखे में विभिन्न किस्म की मछलियों के निर्यात के आंकड़े अलग नहीं रक्खे जाते इसलिये जो जानकारी मांगी गई है वह उपलब्ध नहीं है किन्तु बर्मा को भेजे जाने वाली मछलियों की सभी किस्मों का हमारा निर्यात १९५४–५५ में १३८ लाख रुपये से घट कर १९५५–५६ में ५७ लाख रुपये हो गया है ;

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है किन्तु यह विदित हुआ है कि हाल ही में बर्मा सरकार ने भारत से छोटी मछलियों के १४,००० बोरों के आयात के लिये टैण्डर आमंत्रित किये हैं।

राष्ट्र गान

†*७५३. **श्री चट्टोपाध्याय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय गान की जो धुन सरकारी वाद्य-वृन्द अधिकारियों ने बनाई थी वह हमारे देश के ख्याति-प्राप्त संगीतज्ञों द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी है ;

(ख) क्या अंतिम चुनाव करने से पूर्व रवीन्द्र संगीत के सुविख्यात व्याख्याताओं से राय ली गयी थी ; और

(ग) क्या वाद्य वृन्द द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली राष्ट्रीय गान की धुन में सुधार करने की कोई प्रस्थापना है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**:(क) से (ग). वाद्यवृन्द द्वारा राष्ट्र गान की जो रचना की गयी है वह मुख्यत: सेना के बैण्ड अथवा यूरोपीय तर्ज के वाद्यवृन्द के प्रयोजन के लिये है। इसे १९४९ में तैयार किया गया था क्योंकि सेना के लोगों द्वारा राष्ट्रीय गान की कोई उचित धुन बजाने की अत्यन्त आवश्यकता थी। यह धुन विश्व भारती के प्रमाणीकृत वृतान्तर पर आधारित है। चूंकि वह केवल पाश्चात्य वाद्यवृन्द अथवा बैण्ड के लिये है इसलिये रवीन्द्र संगीत के व्याख्याताओं से परामर्श लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

आल इण्डिया रेडियो भारतीय वाद्य वृन्द्र के जरिये एक प्रमाप समुहगान सम्बन्धी वृतान्तर और एक और वृतान्तर तैयार किया है जो कि भारतीय सिद्धान्तों पर आधारित है। उसे विश्व-भारती और रवीन्द्र संगीत के योग्य व्याख्याताओं की सहायता से तैयार किया गया है। यह जनता को भी उपलब्ध है।

ब्रिटेन और अमरीका को निर्यात

*७५४. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से वर्ष १९५५–५६ में ब्रिटेन और अमरीका को किये गये निर्यात में कमी होने के क्या कारण है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित जानकारी सदन की मेज पर उपस्थित एक विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४२]**

त्रिपुरा में अल्प संख्यक

†*७५५. **श्री दशरथ देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के कमलपुर नामक स्थान से अल्पसंख्यक (मुसलमान) इस समय पाकिस्तान जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कारण है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** :(क) और (ख). जी, नहीं।

कोयला

†*७५७. **श्री सें० वे० रामस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण को कोयला भेजने के बारे में मौजूदा स्थिति क्या है ;

(ख) क्या स्थिति पहले से अधिक अच्छी हुई है या और बिगड़ गई है ; और

(ग) कोटे का कितना प्रतिशत भाग पहुंचाया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). दक्षिण को भेजे जाने वाले कोयले के यातायात सम्बन्धी स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है ; १९५६ के प्रथमार्द्ध में कोंटे के सम्बन्ध में दी गई प्रतिशतता ६३ थी जब कि १९५५ के प्रथमार्द्ध में वह ५८ थी।

त्रिपुरा में परीक्षण साहायता केन्द्र

†*७५८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के लिये त्रिपुरा के किन स्थानों में परिक्षणात्मक सहायता केन्द्र खोले गये हैं ;

---

† मूल अंग्रजी में

(ख) परीक्षणात्मक सहायता के आधार पर महिलाओं को बस्तियों में और बाहर कौनसे काम दिये गये हैं ; और

(ग) बाढ़पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये जुलाई १९५६ में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय में लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

काफी की खेती

†*७५९. **श्री मु० इस्लामुद्दीन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ४ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर कनारा के जंगलों और कुर्ग के परित्यक्त क्षेत्रों को कॉफी की खेती के लिये काम में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: काफी पैदा करनेवाले क्षेत्रों में, जिनमें कुर्ग और उत्तर कनारा शामिल हैं, काफी के उत्पादन को बढ़ाने के लिये हाल ही में एक योजना मंजूर की गई है। और बातों के साथ-साथ यह योजना १६,७०० एकड़ भूमि में काफी की खेती करने के लिये किसानों को ऋण देने का उपबन्ध करती है। कुर्ग और उत्तर कनारा के जिन किसानों के पास काफी की खेती के लिये उपयुक्त भूमि है उन्हें सहायता के लिये काफी बोर्ड को आवेदन करना चाहिये।

हाथ से कूटा हुवा चावल

†*७६०. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री असथाना :
बाबू रामनारायण सिंह :
श्री देवगम :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बिहार राज्यों में हाथ से कूटे हुए चावल का उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) उक्त किस्म के चावल की आवश्यकता के अनुपात में उत्पादन कितना है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि०दुबे)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र लोकसभा पटल पर रखी जायेगी।

दक्षिण ध्रुव

†*७६१. **श्री श्रीनारायण दास :**
सरदार अकर पुरी :
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

† मूल अंग्रेजी में

(क) संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अलग बैठक में दक्षिणी ध्रुव के प्रश्न को उठाने सम्बन्धी प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए क्या भारत सरकारने राष्ट्र संघ का प्रस्तुत करने के लिये इस प्रश्न के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन तैयार किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव से उत्तेजित होकर कई देशों के विरोध-पत्रों की झड़ी लगा दी है;

(ग) जिन देशों से औपचारिक विरोध-पत्र प्राप्त हुए हैं उनके नाम क्या हैं; और

(घ) उठाये जाने वाले प्रश्न में कौनसी बातें पुछी जायेंगी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (घ). मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). इस मामले में दिलचस्पी रखने वाले कुछ देशों ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं किन्तु उनके ब्यौरों की चर्चा करना लोकहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

अलुमिनियम का कारखाना

*७६२. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अलूमीनियम की छड़ों और चादरों का निर्माण करने के लिये एक संयत्र की स्थापना के बारे में राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने कोई योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). एक अलूमीनियम संयत्र की स्थापना सम्बन्धी एक प्रस्ताव राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के विचाराधीन हैं। ब्यौरे अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं।

पूर्वी पाकिस्तान में वैमानिक तथा नाविक अड्डे

*७६३. **श्री कामत :**
श्री ह० रा० नथानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा अमरीकी सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में हवाई अड्डे और नाविक अड्डे बनाए गए हैं अथवा बनाए जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू)** : पाकिस्तान को अमरीका से सैनिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस सहायता से पूर्वी पाकिस्तान में कोई हवाई अड्डे अथवा नाविक अड्डे बनाये जा रहे हैं या नहीं इस बारे में भारत सरकार को ठीक ठीक जानकारी नहीं है।

धर्मदाय संस्थायें

*७६४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना मंत्री** ३० मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू धर्मदाय संस्थाओं और मन्दिरों की आय का अधिक अच्छा उपयोग करने और उनकी व्यवस्था में सुधार करने का जो प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन था, क्या उस पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और अन्तिम निर्णय कब तक होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह विषय अभी भी योजना आयोग के विचाराधीन है।

भिलाई और दुर्गापुर ईस्पात के कारखाने

† *७६५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई में एक भवन-निर्माण तथा मशीन निर्माण सम्बन्धी कारखाना और दुर्गापुर में एक भवन-निर्माण सम्बन्धी कारखाना खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : इण्डियन स्टील वर्कस कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा दुर्गापुर में एक ढांचे सम्बन्धी कारखाना खोलने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। इन प्रस्तावों पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा चर्चा की जा रही है जो कि इस समय दुर्गापुर में लोहे के कारखानें के ठेके को अन्तिम रुप से निश्चित करने की बातचीत करने के लिये लन्दन में हैं। दुर्गापुर में कारखानें के सम्बन्ध में हो रही बातचीत के परिणामस्वरूप प्राप्त आधार पर भिलाई में एक ढांचे सम्बन्धी कारखाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने का विचार है।

रेशम उद्योग

† *७६६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य को रेशम उद्योग के विकास के लिये १९५५–५६ में कोई अनुदान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे) : १९५५–५६ में उक्त राज्य में रेशम उद्योग के विकास के लिये बिहार सरकार को ६७,१०० रुपयों की एक राशि अनुदान के बतोरे दी गयी थी।

मिट्टी खोदने की मशीनरी

† *७६७. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बान्ध, जलविद्युत परियोजनाओं और सिंचाई के कार्य के निर्माण के लिये प्रतिवर्ष मिट्टी हटाने वाली जिस मशीन का आयात किया जाता है उसका मूल्य क्या है ;

(ख) क्या व्यय को कम करने के लिये जलविद्युत और सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक यंत्र और यांत्रिक उपकरण के प्रमाणीकरण सम्बन्धी योजनाओं के बारे में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और वह शीघ्रातिशीघ्र लोकसभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) अभी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उर्वरक

† *७६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान, उत्पादन मंत्रालय के १९५५–५६ के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय १ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। संक्षेप में सिन्दरी कारखाने की क्षमता को ६०% से बढ़ाया जा रहा है और १९६०–६१ तक अपेक्षित मांग की पूर्ति के लिये अतिरिक्त नाइट्रोजेन युक्त उर्वरक का उत्पादन करने के लिये नांगल, नाइवेली और रुरकेला में तीन अतिरिक्त कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

जल-पथ संचार की प्रगति

†*७६९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के जल-पथ संचार के विकास के बारे में नौ-परिवहन विदेशालय ने अब तक क्या प्रगति की है और

(ख) भावी प्रगति के मार्ग में कौनसी मुख्य कठिनाइयां हैं ?

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जलपथ संचार के विकास के बारेमें की गई प्रगति बताने वाला एक विवरण (अनुबन्ध) लोकसभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

शान्ति स्थापना आयोग

†*७७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत ने शान्ति स्थापना आयोग में क्या कार्य किया है ;

(ख) १९५५ में आयोग की मुख्य गतिविधियां क्या रही ; और

(ग) क्या उसके सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). १९५५ में आयोग की केवल एक बैठक हुई जिसमें उसके कार्यकर्ताओं का चुनाव हुआ और भारत के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। १९५५ में आयोग ने कोई अन्य कार्य नहीं किया।

(ग) नहीं।

श्रीलंका में भारतीय

†*७७१. **डा० रा० सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, १९५४ में दिल्ली में जब नेहरू-कोटलेवाला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तब श्रीलंका में अस्थायी आवास के परमिट लेकर रहने वाले भारतीयों की संख्या क्या थी ; और

(ख) उनमें से अब तक कितने व्यक्ति भारत में प्रत्यावर्त्तक के नाते अथवा अन्यथा लौट आए हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) लगभग ७०,०००।

(ख) २१–७–५६ तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक ऐसे ९०५८ व्यक्ति लौट आए हैं जिन्हें श्रीलंका छोड़न के लिये सूचना दी गयी थी। अन्य १७,४६८ व्यक्ति स्वेच्छा से भारत लौट आए हैं।

---

† मूल अंग्रेजी म

रेशम

†*७७२. { श्री घुसिया :
श्री रघूनाथ सिंह :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारसी साड़ियों के लिये रेशम किन स्थानों से आयात की जाती है ;

(ख) क्या रेशम का आयात सरकार द्वारा किया जाता है या किसी अन्य अभिकरण द्वारा ; और

(ग) एक बुनकर द्वारा १ माह में साधारणत: कितने कच्चा रेशम की मांग की जाती है तथा उसे कितना संभरण किया जाता है और सम्भरण किस अभिकरण के माध्यम से किया जाता है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) चीन और जापान।

(ख) कच्चे रेशम का सभी आयात इस समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रत्येक बुनकर द्वारा प्रत्येक महीने में कच्चे रेशम की कितनी मांग की जाती है यह बताना सम्भव नहीं है। किन्तु बनारस के रेशम बुनकर उद्योग को प्रतिमास १७,००० पौण्ड देशी रेशम के अतिरिक्त लगभग २४,००० पौण्ड आयातित कच्चे रेशम की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिमास २०,००० पौण्ड आयातित रेशम का सम्भरण इस समय केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ के जरिये किया जाता है जो कि सरकार द्वारा नाम निर्देशित है ।

पश्चिम बंगाल में तुफान

*७७३. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, २४ परगने, हावड़ा इत्यादि जिलों में विस्थापित व्यक्तियों के जो शिबिर तथा अन्य अस्थायी मकान उध्वस्त हुए हैं उन्हें ठीक करने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री महरचन्द खन्ना)** : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय यह लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार

†*७७४. **श्री न० म० लिंगम** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एक नया अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार सम्पन्न करने सम्बन्धी बातचीत इस समय किस अवस्था में है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : बातचीत पूरी होने वाली है।

सिंध के विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

†*७७५. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंधी शरणार्थियों के लिये सौराष्ट्र में भावनगर, पालिटाना और जामनगर में बनाय गये क्वार्टरों की संख्या क्या है :

(ख) क्या यह सत्य है कि यह क्वार्टर घटिया किस्म के है, और नगरों से बहुत दूर है और बहुत अधिक किरायों पर दिये गये है ;

(ग) क्या मुख्य समझौता आयुक्त ने हालही में इन स्थानों का दौरा किया था ; और

---

† मल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो उनकी इस संबंध प्रतिक्रियायें क्या हैं?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** :

(क) भावनगर ९८७

पलिताना २८३

जाम नगर ८००

(ख) नहीं। यह क्वार्टर घटिया किस्म के नहीं है, वे नगरपालिका की सीमा के अन्दर हैं, और उनके किराये दूसरे राज्यों में प्रचलित दरों पर ही निर्धारित किये गये हैं।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोयले के मुल्य में वृद्धि

†*७७६. **श्री साधन गुप्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के मूल्य में वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) किस सीमा तक वृद्धि करना स्वीकार किया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण है?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हां।

(ख) अपेक्षित सूचना देनेवाला एक विवरण लोकसभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ग) अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला खाने विवादों) के पंचार अनुसार खनिकों को अतिरिक्त सुविधाओं और अधिक वेतन दिये जाने के कारण कोयला खनन की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण कोयला के मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक हो गया।

मधुमक्खी पालन केन्द्र

*७७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **उत्पादन** मंत्री २४ फरवरी १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आसाम के हिमालय-क्षेत्र में मधुमक्खी पालन केन्द्र और उप-केन्द्र स्थापित करने और उस काम को आगे बढ़ाने में इस बीच कितनी प्रगति हुई है?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबंध संख्या ४५]**

कच्चा तिवू द्वीप

†*७७९. **श्री झूलन सिंह :**
सरदार अकर पुरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

† मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार से इस संबंध में अभ्यावेदन किया गया है कि जब तक कि पाक जलड़मरु मध्य में स्थित कच्चा तिवू द्वीप के स्वामित्व का निर्णय न हो जाय तब तक उसे परीक्षात्मक बमबाजी और चांदमारी रेंज के रूप में काम में लाया जाना बन्द कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो अब इस संबंध में स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). श्रीलंका स्थित भारती उच्चायुक्त ने श्रीलंका की सरकार से प्रार्थना की थी कि जब तक कि इस द्वीप के स्वामित्व के प्रश्न का निर्णय न हो जाये तब तक इस द्वीप को उक्त कार्य के लिये काम में लाये जाने के निर्णय को स्थगित कर दिया जाय। इस मामले में अभिलेखों की जांच कि जा रही है।

पुराना किला शरणार्थी कैम्प

† *७८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कब तक दिल्ली के पुराने किले के निवासी उस स्थान से हटा दिये जायेंगे ;

(ख) क्या उक्त स्थान के निवासियों द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। और यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) इस संबंध बेघर और पुनर्वासित होने वालों की संख्या क्या होगी ? और

(घ) इस प्रकार दूसरा स्थान देने पर सरकार को कुल कितना खर्चा करना पड़ेगा ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अभी मामला विचाराधीन है।

(ख) जी, हां, किसी उपयुक्त वैकल्पिक स्थान को खोजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) ६८३ परिवार।

(घ) यह सूचना वैकल्पिक स्थान का चुनाव कर लिये जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

आकाशवाणी विदेश प्रचार

† *७८२. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विदेश प्रचार विभाग का पुर्तगाली उप-विभाग अभी भी कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो, इस के कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ;

(ख) कार्यक्रम में समाचार, वार्तायें, समालोचनायें, भेंटे, वादविवाद और भारतीय संगीत जिसमें गोआ का लोकसंगीत तथा इसी प्रकार की अन्य बातें सम्मिलित हैं।

औद्योगिक संपदा कल्यानी (पश्चिम बंगाल)

† *७८३. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पश्चिम बंगाल की औद्योगिक सम्पदा, कल्याणी के संबंध में अब तक क्या प्रगति हूई है ;

(ख) इस योजना के लिये कितनी धन राशि पृथक रक्षित की गयी है ; और

(ग) योजना कितने समय में पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस औद्योगिक समपदा के लिये भूमि पहले ही प्राप्त कर ली गयी है और उसे समतल भी कर लिया गया है। भूमि के मूल्य के लिये रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को २.४ लाख रुपये का ऋण भी दे दिया गया है और जब भी कभी राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ेगी तो और धनराशि भी राज्य सरकार को दी जायेगी।

(ख) योजना पर कुल खर्चे का अनुमान ५४ लाख रुपये है।

(ग) इस संबंध में अभी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, परन्तु आशा है कि योजना एक वर्ष अथवा १८ मास में पूर्ण हो जायेगी।

बाढ़ नियंत्रण कार्य

†४१५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गयी है।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय बजट में भाग (क) और (ख) में के राज्यों को उनकी बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं में सहायता देने के लिये पांच करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। राज्यवार बांट इस प्रकार से है :—

राज्यों के नाम	परीक्षात्मक बाटें (लाख रुपये में)
१. आंध्र	२५.०
२. आसाम	७५.०
३. बिहार	७५.०
४. जम्मू तथा काश्मीर	३५.०
५. उड़ीसा	४०.०
६. मध्य प्रदेश	१.०
७. पेप्सू	१०.०
८. पंजाब	१९.०
९. सौराष्ट्र	६.०
१०. उत्तर प्रदेश	१५०.०
११. पश्चिम बंगाल	६४.०
जोड़	५००.०

† मूल अंग्रेजी में

राज्यों में इस वर्ष धन की कमी के कारण कोई इस प्रकार की योजनाओं की कार्यान्वित में, यदि वह ठीक और वांछनीय हो तो, रोडा नहीं बनने दिया जायेगा। केन्द्रीय सरकार को हर मामले की पूरी जांच करने में सहायता देने के लिये राज्य सरकारों से पूर्णरूपेण विवरण मांगे गये है। अपेक्षित अतिरिक्त धन की परिमात्रा इन योजनाओं के ब्यौरों की जांच करने के पश्चात निर्धारित की जायेगी।

ग्रामोद्योगों का विकास

†४१६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों में ग्रामोद्योगों के गहन विकास के लिए चुने गये क्षेत्रों के नाम, राज्यवार क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामोद्योगों के गहन विकास के लिये अब तक चुने गये स्थानों के नाम यह है :–

पुखरायां	उत्तर प्रदेश
खिमेल	राजस्थान
कथाना	बम्बई
खिरपई	पश्चिमी बंगाल
लोहारा	हैदराबाद
थिबगांव	मध्य भारत

राज्यो की प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत निला योजनायें

†४१७. **श्री हेमराज :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश राज्यों में जिलावार कितनी धनराशि के व्यय किये जाने की प्रस्थापना की गयी थी ;

(ख) प्रथम पंच वर्षीय योजना अवधि में जिलेवार खर्च की गई वास्तविक धनराशि कितनी थी ;

(ग) उक्त अवधि में यह धनराशि कितनी प्रतिशत कम पड़ी है, और

(घ) उसके क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (घ). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ट्रैक्टर का आयात

†४१८. **श्री भीखा भाई :** क्या **वाणिज्य उद्योग** मंत्री १८ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे आकार के ट्रैक्टरों के आयात के लिये अब तक निर्यातकों से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) आगामी छः मास मे कितने ट्रैक्टरों के आयात किया जाने की संभावना है, और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दस अश्वशक्ति के एक ट्रैक्टर का लगभग मूल्य क्या है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (म० म० शाह)** : (क) अभी तक कोई नहीं।

(ख) से (ग). आयात किये जाने पर ही यह सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

कुटीर उद्योग

†४१९. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ और १९५५–५६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम राज्य सरकार को कुटीर उद्योगों के विकास के लिये दिये गये ऋणों और अनुदानों की कुल राशि कितनी है ; और

(ख) क्या इन ऋणों और अनुदानों को जिस उद्देश्य के लिये वे दिये गये थे उन्ही के संबंध में एक निश्चित अवधि में खर्च कर दिया गया है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) आसाम सरकार को यह धनराशियां खादी और ग्रामोद्योग, दस्तकारी और रेशम के कीट पालने के उद्योगों के विकास के लिये अनुदानों के रूप में दी गई थी :

क्रम संख्या	उद्योग	वर्ष	अनुदान	ऋण
			रुपये	रुपये
१	ग्रामोद्योग	१९५४–५५	—	—
	गुड़ और खंड़सारी	१९५५–५६	२५,३७५	—
२	रेशम कीट पालन	१९५४–५५	१,४७,२९८	—
		१९५५–५६	९३,०००	—
३	खादी	१९५४–५५	—	—
		१९५५–५६	—	१२,३००
४	दस्तकारी	१९५४–५५	—	—
		१९५५–५६	३,०००	१२,०००

(ख) इन राशियों के खर्च किये जाने संबंधी राज्य सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम

†४२०. **श्री नि० बि० चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के अरामबाग सब-डिवीजन में दामोदर घाटी निगम की योजना के अन्तर्गत बन रही नहर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : अभी वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इसे अक्तूबर १९५६ से आरम्भ किया जायेगा और जून १९५७ तक इसे समाप्त कर दिया जाना है। इस क्षेत्र में पानी के भी जुलाई १९५७ से मिल जाने की आशा है। डिजाइन बनाने का ७५ प्रतिशत कार्य समाप्त हो गया है।

† मूल अंगेजी में

पूर्वी पाकिस्तान से भारत में और भारत से पूर्वी पाकिस्तान मे प्रव्रजन

†४२१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५६ तक की अवधि में कितने विस्थापित व्यक्तियों ने पूर्वी पाकिस्तान से आप्रवास प्रमाण पत्रों के साथ भारत में प्रव्रजन किया ; और

(ख) इसी प्रकार और इसी अवधि में कितने मुसलमानों ने भारत से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को प्रव्रजन किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जनवरी से जून १९५६ तक आप्रवास प्रमाण पत्रों सहित जितने हिन्दुओं ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया उनकी कुल संख्या, २,०८१७९ है।

(ख) इसी अवधि में उन मुसलमानों की कुल संख्या जो भारत पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को गये क्रमश: ३,८२४ और १७७ है।

नेपाल की परियोजनायें

†४२२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल की विभिन्न परियोजनाओं पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई है ; और

(ख) अपूर्ण और पूर्ण परियोजनाओं के नाम क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) लगभग ४,५२,८९,३०० रुपये १९५५–५६ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नेपाल में परियोजनाओं पर खर्च किये गये हैं ।

(ख) **पूर्ण**

१. गोचर हवाई अड्डे का धावनपथ मई, १९५५ में पूर्ण हुआ।

२. लिंक रोड की स्थायी मरम्मत (अमलेखगंज-भीमपेडी-मैसी रोड) जून, १९५५ में पूर्ण हुई।

३. झाज नदी की सफाई पूर्ण हुई।

अपुर्ण

१. त्रिभुवन राजपथ : १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

२. गोचर हवाई अड्डे के लिये टर्मिनल इमारत।

३. नेपाल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का मान चित्रण और त्रिकोणात्मक भू-परिमाप।

४. त्रिशूली परियोजना—भारत सरकार ने नेपाल की त्रिशूली जल बिजली परियोजना में सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

५. त्रिशूलि रोड — त्रिशूल जल विद्युत परियोजना को पूर्ण करने के लिये २८ मील लम्बी सड़क का निर्माण ।

६. **सिंचाई परियोजनाये** —

(१) महादेव खोला सिंचाई परियोजना लगभग पूर्ण

(२) टिका मैरों सिंचाई परियोजना लगभग पूर्ण

(३) विजयपुर खोला (निपली) सिंचाई परियोजना अपूर्ण

---

† मूल अंग्रजी में

(४) विजयपुर खोला (उपरली) सिंचाई परियोजना कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

(५) पीने के पानी के लिये हाथ नलकों का लगाया जाना लगभग पूर्ण

समाचार फिल्मों का वितरण

†४२३. **श्री मादिया गौडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाचार फिल्मों के वितरण के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) इस वितरण के लिये अभिकरण कौन से हैं ;

(ग) वितरण की क्या लागत है ;

(घ) इनके उधार लेने पर क्या शर्तें लगाई गई हैं ;

(ङ) वितरण के परिणामस्वरूप कितना धन वसूल किया गया ; और

(च) वर्ष १९५५–५६ के वितरण में कितना लाभ या हानि हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) यह वितरण फिल्म डिवीजन के वितरण विभाग के केन्द्रों द्वारा सभी चलचित्र गृहों के लिये किया जाता है :

(ख) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लखनऊ और विजयवाडा में स्थित फिल्म डिवीजन के शाखा-कार्यालयों द्वारा ;

(घ) यह चलचित्र गृहों को पांच से १५० रुपये प्रति सप्ताह के किराये पर दी जाती है। गैर-व्यावसायिक प्रदर्शनों के लिये इन समाचार फिल्मों को लेने वाले सभी निकाय मुफ्त और अन्य निकाय आठ आना प्रति समाचार-फिल्म के हिसाब से ले सकते हैं।

(ग), (ङ) और (च). वृतान्त चलचित्रों और समाचार फिल्मों के लिये अलग-अलग आय और व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिये इस दशा में वितरण द्वारा होने वाला लाभ या हानि की गणना करना वांछनीय नहीं है।

व्यापारिक शिष्ट मंडल

†४२४. **श्री जयपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक भारत में कितने व्यापारिक शिष्ट-मंडल आ चुके हैं ;

(ख) उनके साथ कितने और किस प्रकार के व्यापार समझौते किये गये हैं ; और

(ग) इन शिष्ट-मंडलों के सम्बन्ध में सरकार ने कितना व्यय किया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) चार ।

(ख) युगोस्लाविया, पौलैण्ड और बलगेरिया के साथ नये व्यापार समझौते किये गये हैं ; इन दस्तावेज़ों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) लगभग ७,५००० रुपये।

बाढ़ की रोकथाम की योजनायें

†४२५. **श्री अमजद अली :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई बाढ़ नियंत्रण योजनाओं में से कितनों को अनुमोदित किया है ;

(ख) औसत रूप से इन में से प्रत्येक पर लगभग लागत कितनी आयेगी ; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन पर कितनी धन राशि व्यय की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड उन योजनाओं का अनुमोदन करता है जिनमें से प्रत्येक की अनुमित लागत दस लाख रुपये या इससे अधिक होता है, बोर्ड द्वारा अभी तक ऐसी ४१ योजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

(ख) इन योजनाओं की अनुमानित लागत १२.२ लाख रुपये से ३०० लाख रुपये तक है।

(ग) लगभग ७ १/२ करोड़ रुपये।

शान्तिपुर्ण उपयोग के लिये आण्विक गवेषणा

†**४२६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ फरवरी, १९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने शान्ति-पूर्ण उपयोग के लिये की जा रही आण्विक गवेषणा में भागीदार बनने के लिये अन्य देशों की सरकारों के साथ जो समझौते किये हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा के एन आर एक्स प्रकार के रीएक्टर (प्रबाधक यंत्र) के उपहार के सम्बन्ध में कनाड़ा के साथ किये गये समझौते की प्रतियां पहले ही ९ मई, १९५६ को लोकसभा पटल पर रख दी गई थीं। जहां तक कि इस रीएक्टर के लिये भारी पानी के सम्भरण का सम्बन्ध है, अमरीका उसके लिये तैयार हो गया है और उसने २८ डालर प्रति पौंड के मूल्य पर २१ टन भारी पानी दिया भी है। इसी प्रकार, स्विमिंग पूल रीएक्टर के लिये आवश्यक ईंधन केवल इंगलैण्ड द्वारा दिये गये हैं। औपचारिक या अनौपचारिक, सभी प्रकार के यह समझौते आण्विक ऊर्जा (शक्ति) के शान्ति-पूर्ण उपयोग के विकास के सम्बन्ध में हैं।

दक्षिण अफ्रीकी आप्रवास संशोधन विधेयक

†**४२७.** { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा अधिनियमित किये जाने वाले प्रस्तावित आप्रवासी संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : दक्षिण अफ्रीकी आप्रवास विनियमन अधिनियम, १९१३ के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पहले से ही 'प्रतिबन्धित आप्रवासी' हैं। इसलिये, यह वर्तमान विधान दक्षिण अफ्रीका के भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों की वर्तमान निर्योग्यताओं में किन्ही और विशेष कठिनाइयों की वृद्धि नहीं करेगा।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सामने दक्षिण अफ्रीकी संघ में भारतीय उद्भव वाले व्यक्तियों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार के प्रश्न को उठाया है। इसलिये दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा अधिनियमित किये जाने वाले प्रत्येक विधान के सम्बंध में अलग-अलग कार्य-वाहियां करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी मिशनों का निरीक्षण

†**४२८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ में अभी तक कितने विदेशी मिशनों का निरीक्षण किया गया है ; और

(ख) कितने मिशनों का निरीक्षण किया जाना अभी शेष है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) २१।

(ख) २०।

---

† मल अंग्रेजी में

निर्यात संवर्धन संस्था

†४२९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में दस्तकारी की वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करने के लिये एक निर्यात संवर्धन संस्था स्थापित करने की योजना का ब्यौरा तैयार करने के हतु स्थापित की गई समितिने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ख) उस प्रतिवेदन की विषयवस्तू क्या है और सरकार ने उस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ईस्पात संबंधी आवश्यकतायें

†४३०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को इस्पात सम्बन्धी कुल अनुमानित आवश्यकता कितनी है ; और

(ख) इसे किस प्रकार पूरा किया जाता है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) ;** (क) वर्तमान गणना के अनुसार, लगभग १२५ लाख टन।

(ख) देशीय उत्पादन सामर्थ्य के बढ़ाकर और आयातों के द्वारा।

मुंज उद्योग का उत्पादन

†४३१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में मूंज की वृद्धि में सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) धन और सामग्री के रूप में मूंज का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :**(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इंजीनियरिंग कर्मचारी

†४३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में इंजीनियरिंग कर्मचारियों सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं का अनुमान लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों में कितने-कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी, हां।

(ख) इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

---

† मूल अंग्रेजी में

विवरण

इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये इन आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है :

स्नातक

१. सिविल	११,११४
२. मिकेनिकल	५,१६६
३. इलैक्ट्रिकल	५,४७३
४. टेलीकम्यूनिकेशन्स	१,३२०
५. माइनिंग	४६९
६. मैटलर्जीकल	६९३
७. केमीकल	२,२५६

उपाधि-धारी

१. सिविल	२५,७०५
२. मिकेनिकल	१२,०४१
३. इलैक्ट्रिकल	१०,४२१
४. टेलीकम्यूनिकेशन्स	५६२
५. माइनिंग	६९२
६. मैटलर्जीकल	२०४
७. केमीकल	८०६

पैट्रोल तथा भट्टी में जलाने का तेल

†४३३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अतिरिक्त मोटर स्पीरिट तथा भट्टी में जलाये जाने वाले तेल की कितनी मात्रा पास के देशों को निर्यात की गई ; और

(ख) उन देशों के नाम जिनको कि ये उत्पाद निर्यात किये गये ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) मोटर-स्पिरिट ७८,८०० टन, भट्टी में जलाने का तेल १,६९,८८२ टन।

(ख) आस्ट्रेलिया, ब्रह्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स और सिंगापुर।

अफगान जशन समोरोह

†४३४. **चौ० रघुबीर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत सरकार ने अफगान जशन समारोह में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ; और

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). अफगान जशन समारोह अगस्त, १९५६ के अन्तिम सप्ताह में होने वाले हैं। अफगान आलेम्पिक एसोसियेशन के निमंत्रण पर खिलाड़ियों के दल (एक हाकी का और दूसरा फुटबाल का) भेजने का निर्णय किया गया है।

(ग) भारत सरकार इन दलों का भारत से पेशावर तक जाने और आने का खर्च देगी। अनुमित व्यय १०,००० रुपये है।

सीमेंट का संग्रहीत मूल्य

†४३५. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के प्रस्तावित संग्रहीत मूल्य के लागू किये जाने से भाखड़ा बांध और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अन्य सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो बांधों और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं की लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां।

(ख) उनकी लागत की प्रतिशत वृद्धि उनमें प्रयुक्त किये जाने वाले सीमेंट की परिमात्रा के अनुसार विभिन्न होगी। सामान्यत: वह एक से पांच प्रतिशत तक हो सकती है ।

रुरकेला इस्पात कारखाना

†४३६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात परियोजना में इस समय कितने विदेशी सेवायुक्त हैं ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग या श्रेणी को कितना वेतन दिया जाता है ;

(ग) क्या एक ही वर्ग या श्रेणी के भारतीय और विदेशी राष्ट्रजनों को दिये जाने वाले वेतनों के मामले में कोई विभेद किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह):**(क) हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमीटेड एक विदेशी प्रविधिक परामर्शदाता के रूप में सेवायुक्त है।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्राविधिक परामर्शदाता को प्रतिवर्ष आय कर से मुक्त १२,५०० डालर वेतन दिया जाता है।

(ग) चूंकि इस परियोजना में प्रविधिक परामर्शदाता का एक ही पद है, इस लिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सिमेंट का उत्पादन

†४३७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सीमेंट फैक्टरियों में बनाये जानेवाले सीमेंट की (फैक्टरीवार) प्रति टन लागत कितनी है ;

(ख) विभिन्न फैक्टरियों में प्रति टन लागत के भिन्न-भिन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) यह लागत उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट स्थित सरकारी सीमेंट फैक्टरी में बनाये जाने वाले सीमेंट की दरों की तुलना में कम है या अधिक ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह):** (क) से (ग). एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६**]

बाढ़ें

†४३८. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने विज्ञान विभाग से मई, जून और जुलाई, १९५६ के महीनों में देश के विभिन्न नदी-समूहों में बाढ़ें आने से पहले के मौसम की दशाओं को बताने के लिये कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में बाढ़ों के आने से पहले की दशाओं के सम्बन्ध में उनकी रिपोर्ट क्या थी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग से ऐसा कोई भी अनुरोध नहीं किया था। फिर भी, वह विभाग स्वयं ही प्रतिदिन मौसम के ब्यौरे (मौसमकी वास्तविक अवस्थाओं) को एकत्रित करके प्रकाशित करता है। इन रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में आगामी २४ या ४८ घण्टों में होनेवाली संभावित वर्षा की भविष्यवाणी भी रहती है। हालांकि ये रिपोर्ट नदी-घाटियों के आधार पर नहीं दी जाती है तथापि वे समूचे देश के बारे में होती हैं।

विदेशी फर्में

४३९. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की विदेशी फर्मों में रु ३००–४९९ के वेतन समूह में पाकिस्तान से आने वाले गैर-भारतीय कर्मचारियों की संख्या में १९५४ की अपेक्षा १९५५ में अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : पाकिस्तानी नागरिकों को नौकर रखने वाली भारत की विदेशी फर्मों से मिले आंकड़ों के अनुसार रुपये ३००–४९९ के वेतन समूह में १९५४ के मुकाबले १९५५ में पाकिस्तानियों की संख्या में १३ की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि ६ फार्मों में हुई है। एक फर्म में नीची जगह से ऊंची जगह पर कर्मचारियों को तरक्की देने के कारण यह वृद्धि हुई है। एक दूसरी फर्म का पाकिस्तानी नागरिक दरअसल उसकी पाकिस्तान वाली शाखा में काम करता है और उसे इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाना चाहिये था। अन्य फर्मों के बारे में ठीक ठीक कारण उपलब्ध नहीं हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

शरणार्थी बस्तियां

†४४१. **श्री दशरथ देव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन के हरड़ कला, कालाछरी, मानिक भंडेर, मथिर मियां और बसन छार में शरणार्थी बस्तियां बसाने के लिये स्थानीय लोगों से कोई भूमि खंड प्राप्त किये हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन सब को कोई प्रतिकर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तों इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही हैं और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक आवास योजना

†४४२. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिये आसाम से प्राप्त कितने आवेदन पत्रों पर अभी कार्यवाही की जानी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** आसाम से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। छः आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं दी जा सकी है क्योंकि प्रार्थियों द्वारा अभी सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी अथवा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के दावेदार

†४४३. **डा० सत्यवादी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ग के प्राथमिकता-प्राप्त दावेदारों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) अब तक प्रत्येक वर्ग के कितने आवेदन पत्रों का निबटारा किया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) और (ख). प्राथमिकता प्राप्त दावेदारों में प्रत्येक वर्ग के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े तुरन्त ही उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इस जानकारी को एकत्र करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है और उपलब्ध होत ही इसे तुरन्त लोकसभा पटल पर रख दिया जायेगा।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ६ अगस्त, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	६६१–८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२२	डा० सालाजार का भाषण .	६६१–६२
७२३	जस्ता शोधन का कारखाना . . .	६६२
७२४	रेडियो धर्मिता	६६२–६४
७२५	अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पुर्तगाल का मामला .	६६४–६५
७२६	आजाद हिन्द फौज स्मारक, सिंगापुर	६६५–६६
७२७	भारतीय इस्पात मिशन .	६६६
७२९	विभाजन परिषद्	६६६–६७
७३०	विदेशों से वित्तीय सहायता लेने वाले अखबार .	६६७–६८
७३१	विशेष इस्पात	६६८–६९
७३२	नारयल जटा उद्योग प्रशिक्षण स्कूल . . .	६७०
७३३	निर्यात क्षण प्रत्याभूमि योजना	६७०
७३५	रेशम-कृमि पालन	६७१
७३६	बिजली के पंखे . . .	६७१–७२
७३७	भारत-जापान करार . .	६७२–७३
७४१	ओम एक्सचेंज लिमेटिड, दिल्ली .	६७३–७४
७४२	पालार जल विवाद . . .	६७४–७५
७४३	केन्द्रीय मार्केटिंग संगठन . .	६७५
७४६	बच्चों के लिये फिल्में	६७५–७७
७४८	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन . .	६७७
७४९	स्थानीय विकास कार्य	६७७–७९
७५०	प्रथम पंचवर्षीय योजना के परिणाम . . .	६७९–८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६—		
	रूपी कम्पनी की स्थापना	६८१–८२
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	६८२–७०४
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२८	हज समिति	६८२
७३४	पारपत्र	६८२–८३
७३८	मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्कस .	६८३
७३९	संचालन समिति . . .	६८३

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७४०	वाई. एम. सी. ए. तथा वाई. डब्ल्यू. सी. ए.	६८३–८४
७४५	कपड़े का निर्यात	६८४
७४७	स्वयंचालित करघे	६८४
७५१	अल्प आयवर्ग आवास योजना	६८४–८५
७५२	झींगा मछली का निर्यात	६८५
७५३	राष्ट्र गान	६८५–८६
७५४	ब्रिटेन और अमेरिका को निर्यात	६८६
७५५	त्रिपुरा में अल्प संख्यक	६८६
७५७	कोयला	६८६
७५८	त्रिपुरा में परीक्षण सहायता कार्य	६८६–८७
७५९	कॉफी की खेती	६८७
७६०	हाथ से कूटा हुआ चावल	६८७
७६१	दक्षिणी ध्रुव	६८७–८८
७६२	अलूमीनियम का कारखाना	६८८
७६३	पूर्वी पाकिस्तान में वैमानिक तथा नाविक अड्डे	६८८
७६४	धर्मदाय संस्थायें	६८८–८९
७६५	भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात के कारखाने	६८९
७६६	रेशम उद्योग	६८९
७६७	मिट्टी खोदने की मशीनरी	६८९
७६८	उर्वरक	६८९–९०
७६९	जलपथ संचार की प्रगति	६९०
७७०	शान्ति स्थापन आयोग	६९०
७७१	श्रीलंका में भारतीय	६९०
७७२	रेशम	६९१
७७३	पश्चिमी बंगाल में तूफान	६९१
७७४	अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार	६९१
७७५	सिन्ध के विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान	६९१–९२
७७६	कोयले के मूल्य में वृद्धि	६९२
७७८	मधुमक्खी पालन केन्द्र	६९२
७७९	कच्चा तिबू द्वीप	६९२–९३
७८०	पुराना किला शरणार्थी कैम्प	६९३
७८२	आकाशवाणी विदेश प्रचार	६९३
७८३	औद्योगिक सम्पदा, कल्याणी	६९३–९४

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नो के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न

संख्या	विषय	पृष्ठ
४१५	बाढ़ नियंत्रण कार्य	६९४–९५
४१६	ग्रामोद्योग का विकास	६९५
४१७	राज्यों की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला योजनायें	६९५
४१८	ट्रैक्टरों का आयात .	६९५–९६
४१९	कुटीर उद्योग . .	६९६
४२०	दामोदर घाटी निगम	६९६
४२१	पूर्वी पाकिस्तान से भारत में और भारत से पूर्वी पाकिस्तान में प्रव्रजन	६९७
४२२	नेपाल की परियोजनायें .	६९७–९८
४२३	समाचार फिल्मों का वितरण .	६९८
४२४	व्यापारिक शिष्ट मंडल .	६९८
४२५	बाढ़ की रोकथाम योजनायें . .	६९८–९९
४२६	शान्तिपूर्ण उपयोग के लिये आणविक गवेषणा	६९९
४२७	दक्षिण अफ्रीका आप्रवास संशोधन विधेयक	६९९
४२८	विदेशी मिशनों का निरीक्षण .	६९९
४२९	निर्यात संवर्द्धन संस्था .	७००
४३०	इस्पात सम्बन्धी आवश्यकतायें . .	७००
४३१	मूंज उद्योग का उत्पादन . .	७००
४३२	इंजीनियरिंग कर्मचारी . .	७००–०१
४३३	पैट्रोल और भट्टी में जलाने का तेल	७०१–०२
४३४	अफगान जशन समारोह .	७०२
४३५	सीमेंट का संग्रहीत मूल्य .	७०२
४३६	रूरकेला इस्पात कारखाना .	७०२–०३
४३७	सीमेंट का उत्पादन	७०३
४३८	बाढ़ें .	७०३
४३९	विदेशी फर्में .	७०३
४४१	शरणार्थी बस्तियां	७०४
४४२	औद्योगिक आवास योजना .	७०४
४४३	प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के दावेदार .	७०४

भा. स. मु. ना.—वि–३–१८४–लोक-सभा—२-७-५७— १९०

खण्ड ५—अंक १६
६ अगस्त, १९५६ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ७, १९५६

(६ से २५ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Parliament Library

तेरहवां सत्र १९५६

(खण्ड ७ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

231 L. S./57

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद दिनांक, ६ से २५ अगस्त, १९५६]

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६	पृष्ठ
स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में .	६९५–९६
स्थगन प्रस्ताव——	
त्रिपुरा में बाढ़े .	६९६–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६९८–९९
राज्य सभा से सन्देश . . .	६९९
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक .	७००
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	७००–३९
खंड २ से १५	७००–०२
खंड १६ से ४९ और अनुसूचि १ से ३	७०२–१९
खंड ५० से ७० . . .	७१९–३२
खंड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६	७३२–३९
दैनिक संक्षेपिका	७४०–४१

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६	
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक ४ और ५	७४३
बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक	७४३
राष्ट्रीय राजपथ विधेयक	७४३
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	७४४–८६
खंड २ से १५	७४४–६३
खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ . .	७६३–६६
खण्ड ११५ से १३१ . . .	७६६–८६
दैनिक संक्षेपिका . .	७८७

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६	
डा० ह० कु० मुकर्जी का निधन .	७८९–९०
स्वेज नहर के प्रश्न के बारे में वक्तव्य . . .	७९०–९५
दैनिक संक्षेपिका .	७९६

अंक १९ गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६ **पृष्ठ**

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७९७–९८

राज्य सभा से सन्देश ७९८

सभा का कार्य ७९८

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में ७९९

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ७९९–८५२

खण्ड २ से १३१, अनुसूची १ से ६ और खण्ड १ . . . . ७९९–८५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८५१

नदी बोंड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ८५२–६३

विचार करने का प्रस्ताव ८५२

दैनिक संक्षेपिका . . ८६४–६५

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति . . ८६७–६८

कार्य-मंत्रणा समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ८६८

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खण्ड ५ संख्या ६ . ८६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेकोवाल दुर्घटना के संबंध में पाकिस्तान द्वारा क्षतिपूर्ति . ८६८–६९

नदी बोर्ड विदेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ८६९–७४

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ८७४–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ८९४

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७–ख का हटाया जाना) . ८९८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ८९८–९११

बेकारी सहायता विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव . . ९११

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ९१८

पृष्ठ

मोटरों के पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क के बारे में आधे घंटे की चर्चा ९१९–२४

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक ९२४–२५

दैनिक संक्षेपिका . . ९२६–२७

अंक २१, शनिवार, ११ अगस्त, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश ९२९

सभा का कार्य ९२९–३०

नदी बोर्ड विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में— ९३०–४१

खण्ड २ से २९ और १ . . . . . ९३०–४०

पारित करने का प्रस्ताव ९४०

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ९४४

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ९४१–४४, ९४५–५४

खण्ड २ से १३ और १ . . . ९५३–५४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ९५४

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . ९५४–७४

दैनिक संक्षेपिका . . . ९७५

अंक २२, सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा . . . ९७७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ९७७–७८

राज्य सभा से सन्देश ९७८

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन)

विधेयक के बारे में याचिका . ९७८

आधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . ९७९

वाद-विवाद से अंश निकाले जाने के बारे में .

कार्य मंत्रणा समिति—

उन्तालीसवां प्रतिवेदन ९७९–८०

पृष्ठ

तोल और माप मानदण्ड विधेयक . . ९८०

राष्ट्रीय राज पथ विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ९८०–१०२४

खण्ड २ से १०, अनुसूची और खण्ड १ . १०१५–२४

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १०२४

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के बारे में प्रस्ताव . १०२४–३७

दैनिक संक्षेपिका १०३८–३९

अंक २३, मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०४१

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ . १०४२

अतिरेक अनुदानों की मांगें, १९५१–५२ . . . १०४२

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ (त्रावनकोर-कोचीन) १०४२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन . १०४२

विद्युत (सम्भरण) संशोधन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०४२–६८

बहु-एकक सहकारी संस्थाएं (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०७५–८०

खण्ड १ और २ . १०८०–८१

पारित करने का प्रस्ताव . १०८०

भारतीय खाल उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०८१–९०

खण्ड १ से ५ . १०९०

पारित करने का प्रस्ताव . . १०९०

भारतीय कपास उपकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १०९०–९२

अगरतला में बाढ़ पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १०९३–९७

दैनिक संक्षेपिका . १०९८–९९

अंक २४, गुरुवार, १६ अगस्त, १९५६

श्री शिवदयाल उपाध्याय का निधन ११०१

सदस्य का बन्दीकरण ११०१

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०१–०२

नियम समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११०२

लोक-लेखा समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन ११०२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में फसलों पर सूखे का प्रभाव ११०३–०४

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ११०४–५२

विचार करने का प्रस्ताव . ११०४

खण्ड २ से ४ और नया खण्ड ४ क ११४६–४८

दैनिक संक्षेपिका ११५३

अंक २५, शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

पटल पर रखे गये पत्र . . . ११५५

राज्य सभा से सन्देश ११५५

भारतीय रेलवे अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के बारे में याचिका . ११५६

सभा का कार्य ११५६,१२०६

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण) विधेयक . ११५६–८८

खण्ड ३ से ५१, अनुसूची तथा खण्ड १ . ११७७–८६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ११८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठावनवां प्रतिवेदन ११८८

चलचित्रों के उत्पादन तथा प्रदर्शन के नियंत्रण और विनियमन के बारे में प्रस्ताव . ११८८–१२०५

राज्य नीति के निदेशक तत्वों की कार्यान्विति संबंधी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १२०५

दैनिक संक्षेपिका . १२०७–०८

अंक २६, सोमवार, २० अगस्त, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद की स्थिति १२०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२१०

	पृष्ठ
राज्यसभा से सन्देश . . .	१२१०
समाचार-पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक .	१२११
सदस्यों का नन्दीकरण .	१२११
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१२११
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	१२११–१५
खण्ड २ से ५ और १ . . .	१२१५
पारित करने का प्रस्ताव	१२१५
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१२१५–२४
खण्ड २ से ४ और १ . . .	१२२३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१२२३
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१२२४–३४
खण्ड १ और २ . . .	१२३४
पारित करने का प्रस्ताव	१२३४
जम्मू तथा काश्मीर (विधियों का विस्तार) विधेयक—	
विचार करने तथा पारित करने के प्रस्ताव . . .	१२३५
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१२३५–३९
खण्ड १ से ३ .	१२३९
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१२३९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५६–५७ .	१२४०–५६
सभा का कार्य .	१२३९
दैनिक संक्षेपिका .	१२५७–५८

अंक २७, बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

नियम समिति—	
बैठक की कार्यवाही का सारांश . . .	१२५९
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१२६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
उनसठवां प्रतिवेदन	१२६०

पृष्ठ

मोटर गाड़ी अधिनियम के बारे में याचिका १२६०

सदस्य का निरोध १२५९
१२६०–६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे, १९५१–५२ . . . . १२६२–७३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम के बारे में प्रस्ताव .१२७३–१३०३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में १३०३–१५

विचार करने का प्रस्ताव १३०३

दैनिक संक्षेपिका १३१६–१७

अंक २८, गुरुवार, २३ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १३१९

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३१९

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३२०

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव १३२०–६०

खण्ड २ से ६, और खण्ड १ . . . . . १३५७–६०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३६०

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में प्रस्ताव १३६०–७८

दैनिक संक्षेपिका १३७९

अंक २९, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र. १३८१

विनियोग (संख्या ३) विधेयक १३८१–८२

विनियोग (संख्या ४) विधेयक १३८२

सभा का कार्य १३८२–८३

सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक . . . १३८३–९८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३८३

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक . . .१३९८–१४०५

विचार करने का प्रस्ताव . . १३९८

पृष्ठ

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १४०५–१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन १४१५–१६

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक १४१६

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— १४१६-२०,

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . १४२७–२८

संविधान (छठी अनुसूची का संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२०–२२

दण्ड विधि संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४२२–३४

दैनिक संक्षेपिका . . १४३५–३६

अंक ३०, शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

सभा का कार्य १४३७–३८

राज्य सभा से सन्देश १४३८

भारतीय चिकित्सा परिषद् विधेयक १४३८

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १४३८

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र १४३९

स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिकरण दमन विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४३९–४०

बाल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४४०–४१

स्त्री तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक १४४१

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में . १४४१–५३

खण्ड २ और १ . . . . . १४५२–५३

पारित करने का प्रस्ताव १४५३

भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था (खड़गपुर) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १४५३–८१

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . १४७५–८०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १४८०

ेल ग्रौर माप मापदण्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १४८१–८२
निक संक्षेपिका १४८३–८४

भा०स०मु०ना०—वि०३—२३१ लोक सभा/५६—२८–३–५८—१९०.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

१२.५ म० प०

स्वेज नहर के मामले पर वक्तव्य के सम्बन्ध में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मिश्र तथा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के बारे में हम बड़ी देर से अल्प सूचना प्रश्न पूछ रहे हैं, परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। समय है कि प्रधान मंत्री इस सभा को अपने विश्वास में लें तथा इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें विशेषतः जब वह सार्वजनिक सभाओं तथा अपने दल की कार्यकारिणी में घोषणा करते रहते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह सच है कि कई प्रश्नों और नियम संख्या २१६ के अधीन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं समझता हूं कि सभा में इस गंभीर स्थिति के कारण उत्सुकता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परन्तु क्योंकि स्थिति कुछ गंभीर सी है इसीलिये जब तक सभी तथ्य प्राप्त न हो जाये, मैं उसके बारे में वक्तव्य नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसा शब्द कह जाऊं जो कि बाद में हमारे मार्ग में बाधा सिद्ध हो। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस सम्बन्ध में परसों एक वक्तव्य दे सकूंगा।

†**श्री अशोक मेहता** (भण्डारा) : क्या हमें उस सम्बन्ध में चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभा के सामने पहले ही बहुत से विषय है, और इसलिये समय की संभवतः कमी होगी। तो भी चर्चा के लिये कोई उचित समय निश्चित किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले प्रधान मंत्री जी अपना भाषण दे दें, फिर यदि किसी बात पर चर्चा करनी हुई तो उसके बारे में वाद में निर्णय किया जायेगा।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : अल्प-सूचना प्रश्नों को हम किस प्रकार से आप तक पहुंचा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

1—206 L S./56

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं शाम को ६ बजे तक अपने कमरे में ही होता हूं, आप वहां मुझे मिल सकते हैं। इससे पहले कुछ अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं किये गये थे क्योंकि प्रधान मंत्री जी यहां पर नहीं थे। अब मैं सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लूंगा। परन्तु पहले प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य हो जाने दीजिये, और उसके बाद यदि कोई प्रश्न हुए तो उन पर चर्चा हो सकेगी।

स्थगन प्रस्ताव

त्रिपुरा में बाढ़

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दशरथ देव से निम्नलिखित विषय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है:—

"त्रिपुरा राज्य में, और विशेषत: केलासहर तथा कमलपुर सब-डिवीजन्स में अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए जिससे संचार के सभी साधन टूट फूट गये हैं और राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र पानी में डूब गया है, वहां की अन्न समस्या को दूर करने के लिये वहां सहायता पहुंचाने की बड़ी भारी आवश्यकता है।"

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा-पूर्व) : प्राप्त हुई सूचनाओं से मालूम हुआ है कि भारी बाढ़ों के कारण त्रिपुरा के कैलासहर का ४० वर्ग मील क्षेत्र पानी में डूब गया है। कैलासहर और कमलपुर के दोनों हवाई अड्डे जलग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त अगरतला आसाम सड़क भी पानी में डूबी हुई है जिस कारण अगरतला तथा कमलपुर के बीच मोटर गाड़ियों का चलना गत एक सप्ताह से बन्द है।

कमलपुर उप-विभाग में चावल पहले ही ५० से ६० रुपये प्रति मन के महंगे दर पर बिक रहा था। अब बाढ़ के कारण तो उसकी कीमत बहुत ही बढ़ गयी है, और रास्ते के बन्द होने के कारण वहां पर अन्न का घोर संकट उत्पन्न हो गया है।

अत: मैं चाहता हूं कि ऐसी घोर शोचनीय अवस्था में यह आवश्यक है कि वहां के लोगों को एकदम सहायता पहुंचायी जाये। यह एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है इसलिये मेरे स्थगन प्रस्ताव पर सभा में चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : जहां तक बाढ़ की स्थिति का सम्बन्ध है, हाल ही में एक पूर्ण तथा व्यापक वक्तव्य दिया गया था और उसकी प्रति सभा-पटल पर भी रखी गयी थी।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)**: वहां की स्थिति के बारे में सभा के सदस्यों और मंत्री महोदय में विचार विमर्श हुआ था। स्थगन प्रस्ताव में यह कहा गया है कि वहां पर भयंकर बाढ़ों के परिणाम संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इसलिये वहां पर अन्न की सहायता शीघ्र से शीघ्र पहुंचायी जाये। उसके बारे में मुझे यह ज्ञात हुआ है कि सहायता सबन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है, उसका ब्योरा भी दिया जा सकता है।

†**श्री दशरथ देव** : बाढ़ संकट तो हमारी चर्चा के बाद उत्पन्न हुआ था।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं नहीं जानता कि त्रिपुरा में हाल में कोई और भी बाढ़ आई है जानकारी तो यह बताती है कि बाढ़ ३१ मई और ३ जून के बीच में आई थी।

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : वहां पर कल ही बाढ़ आयी है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : कल ही ? मुझे तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि वहां पर कोई वर्षा हुई है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी वर्षा हुई है। क्या किसी सदस्य के पास कोई जानकारी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बीरेन दत्त** (त्रिपुरा पश्चिम) : पी० टी० आई० की यह खबर है कि कैलासहर और कमलपुर अन्य क्षेत्रों से पूर्णता कट गये हैं

†**पंडित गो० व० पन्त** : ३ जून से बाद की बाढ़ के सम्बन्ध म हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। बाढ़ तो ३१ मई और ३ जून के बीच में सबसे भयंकर बाढ़ आई थी, उसके बाद पानी उतर गया था। राज्य सरकार ने सहायता के उपाय तत्क्षण कर दिये थे। सहायता के विभिन्न उपायों पर ३ लाख से अधिक रुपया खर्च किया गया है। पीड़ित लोगों को चावल, ज्वार आदि बांटे गये थे। राज्य में अन्न की कमी के बारे में कुछ मास पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी और उसी समय वहां पर चावल भेज दिया गया था। तीन सौ टन चावल हवाई जहाज के द्वारा भेजा गया था और फिर कई हजार टन चावल रेल के द्वारा भेजा गया था और इस प्रकार से वहां पर ४,००० टन चावल भेजा जा चुका है। राज्य के कुल ८ लाख लोगों में से ४ १/२ लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड जारी किये गये हैं। लोगों को १५ रुपये प्रतिमन के हिसाब से चावल दिया जाता है जब कि उसकी खुले बाजार में कीमत २५ रुपये प्रतिमन है। इस समय उस राज्य में किसी प्रकार की कोई भी निराशा नहीं है। कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये अग्रिम धन देने के बारे में भी कार्यवाही की जा रही है। आसाम तथा पश्चिमी बंगाल से दो हजार मन धान के बीज लाये गये हैं और त्रिपुरा के काश्तकारों को सस्ते दामों पर बांटे गये हैं।

उस राज्य के किसी भाग में यदि अभी भी कोई कठिनाई है तो निस्संदेह हम उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं और उनकी मांग पूरी की जा सकती है। परन्तु हाल ही की इन बाढ़ों के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं आई हैं। मैं नहीं कह सकता कि किसी ने त्रिपुरा में इन हाल ही के बाढ़ों को देखा है। इसलिये हमें प्रमाणित जानकारी प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री बीरेन दत्त** : वह जानकारी तो हम आपको दे देंगे। परन्तु मैं तो आपका ध्यान इस बात की ओर लाना चाहता हूं कि वहां पर भीषण बाढ़ के कारण अन्न संकट पैदा हो गया है और वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कट गया है, इसलिये सरकार उस क्षेत्र में जहाजों के द्वारा अन्न पहुंचाने का कोई उपाय करे।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कन्ननूर) : बाढ़ों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने सभा-पटल पर एक विवरण रखा था, परन्तु उसमें उन सभी स्थानों के नाम नहीं है जिन्हें बाढ़ सम्बन्धी सहायता भेजी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि सहायता भेजने वालों तथा रिपोर्ट भेजने वालों में कोई समन्वय नहीं है। जहां तक त्रिपुरा का सम्बन्ध है, तीन या चार दिन पहले वहां भारी बाढ़ आई थी तथा अबके हानि पिछले जून से भी अधिक हुई है। इसलिये सरकार राज्यों को लिखे कि वे बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें केन्द्रीय सरकार को भेजे।

†**पंडित गो० व० पन्त** : इसके बारे में न तो हमें जानकारी प्राप्त हुई है और न ही कोई और सदस्य निश्चित रूप से कुछ कह सकता है। कोई कहता है कि कल बाढ़ आयी थी, और कोई कहता है कि कुछ दिन पहले आयी थी। वैसे तो जब भी किसी राज्य में बाढ़ या भूकम्प अथवा कोई और प्राकृतिक आपत्ति आती थी वहां की सरकारें हमें तत्काल सूचित कर देती थीं। इसके बारे में अब हम तार के द्वारा पता लगायेंगे और यदि वहां पर कोई बाढ़ आयी हुई होगी और उसके परिणाम स्वरूप यदि कोई कठिनाई हुई तो उस राज्य के लोगों की सहायता करने के लिये हर प्रकार का उपाय किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध त्रिपुरा राज्य में बाढ़ों से उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थिती से है। परन्तु इसमें स्थिति विशेष का कोई उल्लेख ही नहीं है। ये बाढें तो कई दिन पहले आयी थीं और उस समय सहायता सम्बन्धी हर प्रकार की कार्यवाही की गयी थी। अतः इन

---

†मूल अंग्रेजी में।

परिस्थितियों में इस पर चर्चा करने में समय व्यर्थ गंवाने से कोई लाभ नहीं। माननीय सदस्यों से मेरी यह प्रार्थना है कि उन्हें इस सम्बन्ध में जब भी कोई सूचना मिले, वे गृह-कार्य मंत्री अथवा सिंचाई मंत्री महोदय को भेज दें। मंत्री महोदय भी देश के विभिन्न भागों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से स्वयं को प्रत्येक सप्ताह परिचित रखें तथा गम्भीर स्थिति के उत्पन्न होने पर सभा को सूचना दें।

इस स्थिति में और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाती है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा १६५४-५५ के लेखों का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १६४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अधीन दामोदर घाटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तथा १६५४–५५ के लेखों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई–देखिये संख्या एस––२६२/५६]**

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

†**श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन २१ जुलाई, १६५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६६० की एक प्रति, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १६५२ में कई एक और संशोधन किये गये हैं, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी––देखिये संख्या एस––२६३/५६]**

आश्वासनों आदि के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण

†**संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित विवरण रखना चाहता हूं जिनमें बताया गया है कि विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५ . . लोक-सभा का १२वां सत्र, १६५६
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ . . लोक-सभा का ११वां सत्र, १६५५
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४८]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२ . लोक-सभा का १०वां सत्र, १६५५
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ . लोक-सभा का ६वां सत्र, १६५५
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५०]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २० . लोक-सभा का ८वां सत्र, १६५४
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २३ . लोक-सभा का ७वां सत्र, १६५४
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३५ . लोक-सभा का ५वां सत्र, १६५३
[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३]

---

†मूल अंग्रेजी में।

काफी नियमों का संशोधन

†**उपभोक्ता वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अधीन २८ जुलाई, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ०, १६७४ की, एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जिसमें १९५५ के काफी नियमों, में कई एक संशोधन किये गये है। [**पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एस—३०१/५६**]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देना चाहता हूं:—

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावलि के नियम संख्या १०१ के उपबन्धों के अनुसार मैं लोक-सभा को सूचित करना चाहता हूं कि राज्य सभा ने २ अगस्त, १९५६ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १७ जुलाई, १९५६ की अपनी बैठक में हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक, १९५५ में किये गये निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार कर लिया है:—

अधिनियमन सूत्र

१. पृष्ठ १, पंक्ति १ में—

"sixth year" [छटा वर्ष] के स्थान पर "seventh year" [सातवां वर्ष] रखा जाये।

खण्ड १

२. पृष्ठ १, पंक्ति ४ में—

"१९५५" के स्थान पर "१९५६" रखा जाये।

३. पृष्ठ १, पंक्ति २१ और २२ में—

"for which provision is made" [जिसकी व्यवस्था की गयी है] के स्थान पर "dealt with" [सम्बन्धित] रखा जाये।

खण्ड ४

४. पृष्ठ २ में—

(१) पंक्ति २६ में "or" [अथवा] को छोड़ दिया जाये ;

(२) पंक्ति २८ में "or" [अथवा] को छोड़ दिया जाये; और

(३) पंक्ति २९ में "or" [अथवा] के स्थान पर "and" [और] रखा जाये।

खण्ड ५

५. पृष्ठ ३, पंक्ति ३ में—

"made" [बना हुआ] के स्थान पर "contained" [रखा गया] रखा जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में।

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या)

विधेयक*

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राज्य पुनर्गठन विधेयक—क्रमागत

खण्ड २ से १५

†**अध्यक्ष महोदय** : अब संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित राज्य पुनर्गठन विधेयक पर अग्रेतर खंडश: विचार किया जायेगा ।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : आपके आने से पूर्व मैंने प्रार्थना की थी कि यदि आप अनुमति दें तो मैं आज की बजाय कल उत्तर देना चाहूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्डों के दोनों वर्गों पर ?

†**पडित गो० व० पन्त** : उन सभी पर ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इन खंडों पर मतदान कब होगा ? हमें कब तक प्रतीक्षा करनी होगी ?

†**श्री शं० शां० मोरे** (शोलापुर) : माननीय गृह-कार्य मंत्री की बाद में उत्तर देने की मांग को देखते हुए हमें इन खंडों पर विचार करना स्थगित कर देना चाहिये ।

†**पंडित गो० व० पन्त** : मेरे विचार से माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि पिछले सप्ताह जो खंड विचाराधीन थे उनके सम्बन्ध में लोक-सभा के अत्यन्त सुविख्यात सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं और उन संशोधनों को इस सदन के अधिकांश सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त है । प्रत्यक्षत: उन स्थितियों में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रस्तावों पर विचार करे और मामलों में जल्दबाजी से काम न ले । मेरा सदैव यही प्रयत्न रहा है कि इस विधेयक को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाय और मैं चाहता हूं कि यथासम्भव शीघ्र ही इसे विधि में परिवर्तित किया जाय । परन्तु इन बातों को पूरा करने की चिन्ता करते हुए मुझे बड़ी तथा अधिक महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इस लिये लोक-सभा द्वारा जो विचार अभिव्यक्त किये गये हैं उनका सम्मान करते हुए ही मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे आशा है कि सदन इस बात पर मुझसे सहमत होगा कि अनिच्छा दिखलाने और मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की अपेक्षा वे इसका हार्दिक अनुमोदन कर सकते हैं ।

†**श्री शं० शां० मोरे** : मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से पूर्णत: सहमत हूं । परन्तु सरकार जिन प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहती है उन्हें सदन में परिचालित करना चाहिये क्यों कि हम में से कुछ द्विभाषी सूत्र में अत्यन्त अभिरुचित हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

*भारत के असाधारण गजेट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ६ अगस्त, १९५६, में प्रकाशित ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ संसदों में खंडों पर विचार किया जाता है और सप्ताह के अन्त में या उससे अगले सप्ताह के कुछ संशोधनों को स्वीकार करने या उनसे असम्मत होने पर सहमत होते हैं और इस बीच वादविवाद जारी रहता है। हम इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इन परिस्थितियों में इन खण्डों पर वाद-विवाद समाप्त करने और अगले दिन तक खंडों के दोनों वर्षों पर माननीय गृह-कार्य मंत्री के उत्तर को सुरक्षित रखने और अगले वर्ग पर विचार करने में कोई अलाभ नहीं है। इससे कोई असुविधा नहीं होगी। हम खंडों के अगले वर्ग पर विचार करेंगे।

जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है कुछ संशोधन, संशोधन संख्या ४६२ और ४६३ पहले ही प्रस्तुत किये गये थे और उन संशोधनों पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है। यदि अग्रेतर संशोधन प्रस्तुत किये गये तो उन पर विचार किया जायेगा।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जिस रूप में आज विधेयक है क्या इसके अधीन वह विशिष्ट संशोधन मान्य है।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों के अधीन जो कुछ भी उचित है मैं वही करूंगा। खण्ड २ से १५ तक वाद-विवाद समाप्त हो चुका है। केवल माननीय गृह-कार्य मंत्री का उत्तर अभी शेष है। अब जब वह उत्तर देंगे तब यदि कोई औचित्य प्रश्न हुआ तो मैं उस पर विचार करूंगा। क्या सारा समय विभिन्न खंडों पर वाद-विवाद के लिये दिया जाये ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : आप पौने दो घंटे का सारा समय माननीय सदस्यों को बंटित कर सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अपना उत्तर कम कर दूंगा।

†**श्री फीरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : श्री व० बा० गांधी, मेरे तथा श्री अलगू राय शास्त्री और एक अन्य सदस्य के नाम में संशोधन संख्या ५१२ की एक सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह संशोधन १६ से ४९ खंडों के सम्बन्ध में है ?

†**श्री फीरोज गांधी** : यह संशोधन खंड ८ से १० के सम्बन्ध में है। हम यह संशोधन कब प्रस्तुत कर सकते हैं ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : एक औचित्य प्रश्न है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड २ से १५ पर वाद विवाद समाप्त हो चुका है और माननीय मंत्री ने कल उत्तर देना स्वीकार किया है। इसलिये अब उन पर विचार नहीं किया जायेगा। अब हम खंड १६ से ४९ पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : हमने संशोधन की सूचना पिछले शनिवार को दी थी। इसे माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है। क्या इसे प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि संशोधन भेजा गया है तो उचित अवसर पर उस पर विचार किया जायेगा। मैं उचित समय पर मामले पर विचार करूंगा। जहां तक श्री ही० ना० मुकर्जी के औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है इसे २ से १५ खंडों पर विचार करते समय ही उठाया जा सकता है। मैं इस पर भी अन्य मामलों के साथ विचार करूंगा।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम्) : एक औचित्य प्रश्न है। हमें यह मालूम नहीं है कि श्री ही० ना० मुकर्जी का औचित्य प्रश्न क्या है। इसे जाने बिना हम स्थिति को कैसे समझ सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ही० ना० मुकर्जी ने मुझे पहले एक पर्ची भेजी थी। जब वह खड़े हुए थे तो मैंने यह कहा था कि यह स्थान उस पर विचार करने के लिये उचित नहीं है। यदि मैं यह बता दूं कि वह क्या है तो इसका मतलब यह होगा कि इस समय हम मामले पर वाद-विवाद कर रहे हैं। औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध २ से १५ खंडों से है। उन पर विचार करते समय ही इसे उठाया जा सकता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : श्रीमान्, हम कार्यवाही के किसी समय भी औचित्य प्रश्न उठा सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह कहा था कि आज इन खंडों पर विचार नहीं किया जायेगा। औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में इतनी उतावली की क्या बात है?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कुछ खंड ऐसे हैं जिन पर लोक-सभा में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यदि इस मामले का निबटारा शीघ्रता से कर लिया जाय तो इससे हम सदन का समय बचा सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय उन पर विचार नहीं किया जा सकता। अब हम १६ से ४९ खंडों पर विचार कर रहे हैं। जब इन पर वाद-विवाद समाप्त हो जायेगा तब अन्य खंडों पर विचार किया जायेगा। जब तक सभी खंडों को निबटाया नहीं जाता तब तक माननीय सदस्य किसी भी समय औचित्य प्रश्न उठा सकते हैं। उचित समय पर मैं माननीय सदस्य को पुकारूंगा। अब मैं २ से १५ खंडों के सम्बन्ध में कुछ नहीं सुनना चाहता।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं?

†**श्री नि० चं० चटर्जी** : कृपया अगले वर्ग के खंड २५ को देखिये जिस पर हम अब विचार कर रहे हैं। इसमें राज्यों को राज्य परिषद् में कुछ प्रतिनिधान दिया गया है। यदि यही नहीं मालूम कि राज्यों का ढांचा ठीक ठीक किस प्रकार का होगा हम स्थानों का बंटवारा कैसे कर सकते हैं? इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप खंडों के पिछले वर्गों के सम्बन्ध में मामले का निर्णय नहीं करते तब तक खंडों के इस वर्ग पर वाद-विवाद वास्तविक नहीं होगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : दो दिन बीते यही बात डा० लंका सुन्दरम् ने भी कही थी और आपने निर्णय देते हुए कहा था कि हम १६ से ४९ खंडों पर विचार जारी रख सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो यह कोई नई बात नहीं है। इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है। यदि ऐसा हुआ कि २ से १५ खंडों के सम्बन्ध में संशोधन पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुके हैं—एकल भाषी राज्य के सम्बन्ध में और द्विभाषी राज्य के सम्बन्ध में भी—तो इधर या उधर थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में हम १६ से ४९ खंडों पर विचार जारी रखेंगे।

खंड १६ से ४९

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल—पश्चिम कटक) : गत बार मैं क्षेत्रीय परिषदों के सम्बन्ध में बोल रहा था और मैंने अपना संशोधन संख्या ५०३ प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार खंड २४(क) को जोड़ा जाना था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जब राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था तो विचार था कि सारा मामला हल हो जायेगा, और समस्या सदा के लिये समाप्त हो जायेगी। दुर्भाग्य से हमारे मामले को न आयोग ने समझने का यत्न किया है न सरकार ने ही। हमने समिति में भी और सदन में भी कहा कि राज्यों में परस्पर सीमा सम्बन्धी झगड़े हैं।

क्षेत्रीय परिषदें, सीमान्त झगड़ों, भाषाई अल्प संख्यकों और अन्तर्राज्य यातायात सम्बन्धी मामलों का निबटारा करने के लिये हैं। इसके अतिरिक्त विकास परियोजनाओं के बारे में भी वे बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। यदि किसी नदी का जलीय क्षेत्र एक राज्य में है और बांध दूसरे राज्य में बनता है तो क्षेत्रीय परिषद् इस मामले को भलीभांति निपटा सकेगी। परन्तु सीमा सम्बन्धी झगड़ों के विषय में सरकार की नीति यह रही है, कि दोनों पक्षों को मामले का मिल कर निपटारा करना चाहिये। परन्तु इस तरह से झगड़ों का समाधान नहीं हो सका है।

इस कारण जरूरी है कि ऐसे मामलों का अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया जाय, मैंने यह प्रस्ताव किया था कि जब भी कभी दो राज्यों को किसी एकमत निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई हो तो उनमें से कोई भी संघ सरकार से एक सीमा आयोग की स्थापना की प्रार्थना कर सकता है। इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होना चाहिये और आयोग के पंचाट को लागू करने की जिम्मेदारी भी संघ सरकार पर ही होनी चाहिये।

मेरी राय भी वही है जो सरकार की है, सीमा आयोग सम्बन्धी सुझाव से मेरा आशय यह था कि इससे मामले हल हो जायेंगे और आयोग का निर्णय अन्तिम रूप में सभी पक्षों को स्वीकार होगा, चाहे वह उसके असन्तुष्ट ही क्यों न रहें। उनमें यह भावना रहेगी कि वे सब एक ही राष्ट्र के अंग हैं न कि विभिन्न राज्यों के। इसलिये मैं सदन से अपील करता हूं कि इन मामलों को हल करने के लिये सीमा आयोग की स्थापना की जाये।

†**पंडित गो० व० पन्त** : क्या मैं आपसे बिहार, पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि को ७ से बढ़ा कर १० कर देने की प्रार्थना कर सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कल इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। कल की कार्यसूची में इसे रखा जा सकता है।

†**श्री बूवराघस्वामी** (पैरम्बलूर) : श्रीमान्, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य पुनर्गठन के बारे में हुए वाद-विवाद सुनता रहा हूं। मैं भी इसमें भाग लेने को उत्सुक था, क्योंकि मेरी भी अपने तामिलनाड राज्य में रुचि है।

†**श्री राघवाचारी** (पैनुकोंडा) : मद्रास, तामिलनाड नहीं।

†**श्री बूवराघस्वामी** : हम तामिल इसे तामिलनाड ही कहना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं उनकी शिकायतों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमें दुःख है कि हमारी सरकार ने मद्रास राज्य का नाम तामिलनाड नहीं रखा, क्योंकि आंध्र और केरल के निकल जाने से इसमें केवल तामिल भाषा भाषी लोग ही रह गये हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो तामिल भाषी इलाके केरल तथा आंध्र में मिलाये जाने हैं उनकी सीमाओं का परिसीमन सीमा आयोग द्वारा किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त देवीकुलम और पीरमीडी जैसे तामिल भाषी ताल्लुकों का भी तामिलनाड में सम्मिलित न किया जाना उसके साथ भारी अन्याय है। शैनकोट्टे का समूचा ताल्लुका भी इसी में सम्मिलित किया जाना चाहिये था। चित्तू और तिरूट्टनी तथा निरुपति मन्दिर भी तामिलनाड में ही रखे जाने चाहिये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य केवल मन्दिर को ही चाहते हैं अथवा उस इलाके को भी ?

†**श्री नम्बियार** : आपके चुनाव क्षेत्र समेत सारा इलाका ही चाहते हैं ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : यहां की अधिकांश जनता तामिल भाषी है और यदि प्रशासन के लिये यह इलाका आंध्र में मिलाया गया..... **अंतर्बाधा**

अंतर्बाधाऐं मुझे पसन्द नहीं हैं, क्योंकि थोड़े ही समय में मुझे अपनी पूरी बात कहनी है। यह सीमायें सीमा आयोग द्वारा ठीक ढंग से निश्चित की जानी चाहियें। तामिल जनता की इच्छा है कि सीमा आयोग अथवा जनमत संग्रह द्वारा इस समस्या का अन्तिम रूप से निर्णय किया जाये ।

जल सम्बन्धी संसाधनों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा और वह यह कि इस संसाधनों को केन्द्रीय सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिये। ऐसा करने के लिये यदि संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिये ।

बम्बई के सम्बन्ध में मेरी राय यह है कि इसे महाराष्ट्र को दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता। मैंने माननीय सदस्य को इसलिये अनुमति दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि सामान्य चर्चा के समय वह नहीं बोल सके थे वह मद्रास के निवासी है, उनका बम्बई से क्या सम्बन्ध है। अब तो उन्हें केवल खंड १६ से ४९ तक पर बोलना चाहिए ।

†**श्री बूवराघस्वामी** : मेरी प्रार्थना है कि मद्रास का नाम बदल कर तामिलनाड कर दिया जाये और सीमा सम्बन्धी झगड़ों को निपटाने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये ।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी) : अध्यक्ष महोदय, जब बिल पर बहस की पहली स्टेज खत्म होने पर मैं होम मिनिस्टर (गृह मंत्री) साहब का जवाब सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि बार्डर डिस्प्यूट्स (सीमा विवाद) के जितने भी झगड़े हैं उनको जोनल कौंसिलों (प्रादेशिक परिषद्) की तहत रखा जायेगा और उनके द्वारा ही साल्व (सुलझाना) करने की कोशिश की जायेगी, लेकिन जोनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद्) का जहां पर जिक्र है वहां पर बार्डर डिस्प्यूट्स का कोई भी जिक्र नहीं है कि किस तरीके से उनको साल्व किया जायेगा और उनको साल्व करने के लिये कौन से तत्व का इस्तमाल किया जायेगा। स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन (राज्य पुनर्गठन) के सिलसिले में दो ही बड़े क्वैश्चन (प्रश्न) नजर आते हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल बाम्बे का है, दूसरा सवाल बार्डर्स के सिलसिले में उठता है। मैं समझता हूं कि जो भी जोनल सिस्टम (प्रादेशिक प्रणाली) बिल में इंट्रोड्यूस (पुरःस्थापित) किया गया है, उसके अन्दर कोई एफेक्टिव पावर (प्रभावी शक्ति) नहीं है। फिर भी अगर म्यूचुअल अन्स्डरटेंडिंग (पारस्परिक विनिमय) के प्रिंसिपल (सिद्धान्त) पर उनको हल किया जाना है तो उसको विल में शामिल करने की मैं होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं ।

जब मैं म्यूचुअली (परस्पर) तय करने की बात सुनता हूं तो मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात याद आ जाती है, जो कि यह कहती थी कि अगर कांग्रेस और मुसलिम लीग दोनों कोई चीज तय करके आ जायें तो हम हिन्दुस्तान का इंडेपेंडेंस (स्वतन्त्रता) दे देंगे। बहरहाल अगर दक्षिण भारत में बार्डर डिस्प्यूटस के सिलसिले में आपस की बातचीत से मामला तय हो सकता है तो हमें कोई उज्र (आपत्ति) नहीं है। जब हम लोग लिंग्विस्टिक, प्रिन्सिपल (भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त) को छोड़ कर रास्ते में इधर उधर भटक जाते हैं तब स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन (राज्य पुनर्गठन) के

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सिलसिले में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि यहां पर म्यूचुअल अन्डर्स्टैंडिंग (पारस्परिक विनिमय) की बात कही जाती है, इसलिये हम आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीनों रीजन (प्रदेश) के एम० पीज (संसद सदस्य) वेस्टर्न कोर्ट में मिले और यूनैनिमसली (एक मत से) जिस प्रिंसिपल को हमने ऐक्सेप्ट (स्वीकार किया) उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कम से कम आप उनके ऊपर गौर करके जोनल कौंसिल के द्वारा उन मुश्किलात को हल कीजिये। मैं आपकी इजाजत से जो कुछ वहां तय हुआ उसको पढ़ना चाहता हूं।

सीमा विवादों का निबटारा

वेस्टर्न कोर्ट में ६ अगस्त, १९५६ को आन्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सब दलों के संसद सदस्यों की बैठक में यह निश्चय किया गया कि सीमा विवादों का निबटारा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर किया जाये :—

(१) भाषा भाषी क्षेत्र की समीपता;

(२) अन्तिम जनगणना विवरणों के अनुसार किसी विशेष भाषा भाषी जनसंख्या की ५५ प्रतिशत और अधिक बहु संख्या;

(३) क्षेत्र की इकाई एक भूराजस्व सम्बन्धी फिरका अथवा भूराजस्व सम्बन्धी सर्कल अथवा यदि फिरका से कम हो तो गांवों का समूह होना चाहिये ;

(४) यदि एक गांव अथवा कुछ गांव परस्पर सहमति से ऐसा चाहें तो और किसी आधार को न माना जाये ;

(५) प्रमुख प्रशासनिक अथवा आर्थिक आधार और उस इकाई गांव अथवा शहर की इच्छायें।

इन सिद्धान्तों के अनुसरण में सीमा विवादों के निबटारे के लिए एक समिति नियुक्त की जाये।

जिन विवादों का निबटारा न हो उनके बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि राज्य पुनर्गठन के लागू होने के बाद ६ महीने के बीच उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर समीपस्थ राज्यों की पारस्परिक सहमति द्वारा निबटारा किया जाये। उन से अतिरिक्त मामलों के लिये एक स्वतन्त्र अभिकरण का उपबन्ध किया जाये। इस तरह से जो म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स (परस्पर स्वीकृति प्राप्त सिद्धान्त) इन बार्डर डिसप्यूटस को तय करने के हमने तय किये हैं, मैं चाहता हूं इनको मान लिया जाय और इन, के आधार पर ही इन डिसप्यूटस को हल किया जाय। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि इन प्रिंसिपल्स को तय करने के लिये कोई आफिसर (पदाधिकारी) भी होम मिनिस्टरी (गृह कार्य मंत्रालय) की तरफ से डिप्यूट नहीं किया गया था कि जिसकी मदद से हम ऐसा कर सकते और न ही कोई नक्शे हमारे सामने थे। यह बात गलत है कि हर एक अपना अपना हिस्सा लेना चाहता है और उसी की फिक्र में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हम लोग लेने के लिये भी तैयार हैं और देने के लिये भी तैयार हैं। लेकिन यह काम तभी ठीक तरह से हो सकता है जब कोई सैंट प्रिंसिपल्स तय कर दिया जायें। जो लोग किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं उनकी इच्छा को हमें पूरा करना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में बैठ कर बिल्कुल ही अनप्रिंसिपल्ड (सिद्धान्तहीन) तरीके से आप इन बोर्डर डिसप्यूटस को तय कर दें। जिस तरह से आप माइनौरिटीज (अल्प संख्यक) के बारे में कुछ प्राविजंस इस बिल में रख रहे हैं और उनको सेफगार्ड्स देने की बात कर रहे हैं, उसी तरह से आपको इन बोर्डर डिसप्यूट्स (सीमा विवादों) को भी कम से कम तकलीफ लोगों को दिये तय करना चाहिये। लिहाजा मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर होम मिनिस्टरी इन डिसप्यूट्स को बहुत दिनों तक लटकाये नहीं रखना चाहती और ज्यूडिशिल एप्वाइंटमेंटस (न्यायिक नियुक्तियां) करके इनके सेटलमेंट में देर लगाना नहीं चाहती तो उसे इन प्रिंसिपल्स के आधार पर इनका फैसला कर देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री शिवमूर्ती स्वामी]

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह जोनल काउंसिल्स (प्रादेशिक परिषद) के बारे में है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं जोनल काउंसिल्स के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसका कारण यह है कि आपने कांस्टीट्यूशन में इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। अब आप स्टेट गवर्नमेंट्स (राज्य सरकारों) के साथ सलाह करके आपकी जो प्लानिंग (आयोजन) की स्कीम्स (योजनायें) हैं उनको ठीक तरह से चलाने के लिये इन काउंसिल्स का निर्माण करना चाहते हैं। ये काउंसिल्स एडवाइजरी (परामर्शदात्री) नेचर (प्रकार) की होंगी। अब जब आप इनको कांस्टीट्यूट (बनाने) करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं आपको इसके बारे में कांस्टीट्यूशन (संविधान) में कोई एमेंडमेंट भी कर देना चाहिये। अभी तक उनमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जिस तरह से आप इनको कांस्टीट्यूट करने जा रहे हैं, उससे तो मैं यह समझता हूं कि ये भी लोकल बाडीज की तरह से और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (जिला बोर्ड) की तरह से इनइफैक्टिव (अप्रभावी) होंगी।

ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन बोर्डर डिसप्यूट्स को आप परमात्मा के लिये खत्म कर दें। अगर आपने इनको अब खत्म न किया तो इसका नतीजा यह होगा कि स्टेट्स की तरफ से म्यूचुअली एग्रीड चीजें आपके पास आयेंगी और फिर आपको उन्हें यहां पर पास करवाना होगा जिससे कि पार्लियामेंट का बहुत सा वक्त खर्च होगा। मैं समझता हूं कि अब भी वक्त है और इनको सेटल किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ कर सुनाये हैं, उनको मान लिया जाये।

†**श्री न० प्रा० नथवानी** (सोरठ) : मैं अपने संशोधन संख्या ५०८ के सम्बन्ध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें कहा गया है कि कच्छ के सलाहकार का पद उस पर आसीन व्यक्ति को गुजरात विधान मंडल का सदस्य चुने जाने के लिये अनर्ह नहीं करेगा। खण्ड ३० के उपखण्ड (४) में यह उपबन्ध है कि कच्छ के निर्वाचक गण सदस्य स्वयं में से गुजरात विधान मंडल के लिए आठ सदस्य चुनेंगे। इस समय कच्छ निर्वाचक-गण के दो सदस्य कच्छ के मुख्यायुक्त के सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। यदि इन्हें अनुमति न मिली तो प्रशासन का पांच पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त ये व्यक्ति गुजरात विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनई हो जायेंगे। इस अनर्हता निवारण अधिनियम के अनुसार इस बात की छूट नहीं है। इसलिए जब तक कि इस अनर्हता को दूर न किया जाये, गुजरात विधान मंडल की सदस्यता के लिये खड़े नहीं हो सकेंगे। संभव है कि कच्छ की जनता की इच्छा उन्हें विधान मंडल का सदस्य बनाने की हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह अनर्हता दूर कर दी जाये।

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर उत्तर): मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस विधेयक पर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने संशोधन संख्या ५०५ प्रस्तुत किया है। यह खंड ४१ से सम्बन्धित है और इसमें निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की व्यवस्था है। इसके अनुसार लोक-सभा तथा स्थानीय राज्य विधान मंडलों के स्थानों की संख्या निश्चित की जानी है।

मैसूर के मामले में अनुपात को १·९ के स्थान पर १·७ कर दिया गया है। परन्तु विधेयक में तो इसके कारणों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मेरा परिसीमन आयोग से कुछ सम्पर्क था और मुझे ज्ञात है कि स्थानों की संख्या किसी सिद्धान्त के अनुसार निश्चित नहीं की गई है। केवल यह देख कर ही संख्या निश्चित कर दी गयी थी कि इतने स्थानों से राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से चल सकता है। मैसूर में तो १८६५ से प्रतिनिधि प्रणाली चल रही है। वर्तमान मैसूर राज्य में ३०० सदस्य थे। परन्तु अब तो यह राज्य क्षेत्रफल में दुगना हो जायेगा। जनसंख्या भी एक करोड़ से दो करोड़ हो जायेगी और राज्य का क्षेत्रफल ३६०० वर्गमील के बदले ८,००० वर्गमील हो जायेगा। इसका यह अर्थ तो नहीं कि स्थानीय विधान मंडल में स्थान कम कर दिये जायें। इस

---

†मूल अंग्रेजी में।

सम्बन्ध में मैसूर विधान मंडल ने एक संशोधन और प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें अनुपात को १:८ कर देने की प्रार्थना की गयी थी। मैंने भी संशोधन प्रस्तुत किया है कि १:९ का मूल अनुपात कायम रखा जाये, क्योंकि ऐसा न करने से हमारे ५२ स्थान कम हो जायेंगे और काफी कठिनाई होगी। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि मैसूर विधान मंडल के सदस्यों की संख्या १८२ से बढ़ा कर २३४ कर दी जाय।

इसके बाद क्षेत्रीय परिषदों का प्रश्न आता है। यदि बम्बई और गुजरात का द्विभाषी राज्य बना तो खंड १७ (घ) में आनुषंगिक संशोधन करना होगा। यह बहुत ही अच्छा कदम होगा और मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसके स्वीकार किये जाने के लिये अपने गुजराती और महाराष्ट्री मित्रों से अपील करूंगा।

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : श्रीमान जी मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर चर्चा न की जाये।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मुझे भी दक्षिण प्रदेश के बनाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : यह मामला विवादास्पद है, इसलिये हम सभी को इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाये।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्योंकि मैंने इससे पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा, इसलिए अब अवसर मिलने पर कुछ कह रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से सदस्यों को अवसर नहीं मिला परन्तु अब हम खंड २ से १५ तक पर चर्चा समाप्त कर चुके हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं तो केवल खंड १७(घ) का क्षेत्रीय परिषदों के सम्बन्ध में उल्लेख कर रहा था। इसलिये मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों की एक सरकार होनी चाहिए।

†**श्री केशव अय्यंगार** : यदि द्विभाषी राज्य की बात स्वीकार की जाती है तो मैं भी कह सकता हूं कि एक दक्षिण प्रदेश बनाया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य द्विभाषी अथवा बहुभाषी राज्य की बात क्यों करते हैं ? उन्हें कहना चाहिये कि क्षेत्रीय परिषदों को केवल सलाह देने के ही नहीं प्रत्युत प्रशासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त होने चाहियें।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मेरा विचार यह है कि 'मैसूर' नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि खंड १५ में यह व्यवस्था की गयी है कि यदि राज्य विधान मंडल चाहे तो नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए यदि नये कर्नाटक राज्य का नाम मैसूर ही रहे तो कोई बुराई नहीं है।

†**गृह मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : स्थानीय विधान मंडल को राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

†**श्री केशव अय्यंगार** : नाम, विस्तार और सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

†**श्री दातार** : जिला अथवा विभाग की सीमाएं तो विधान मंडल बदल सकता है, परन्तु राज्य की नहीं। ऐसा तो संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। खंड १५ के अनुसार राज्य का नाम नहीं बदला जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री केशव अय्यंगार** : तो मैसूर ही नाम रहना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर संविधान (संशोधन) विधेयक के समय विचार किया जायेगा ।

†**श्री दातार** : केवल संसद ही राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करके सदस्य संख्या को १८२ से बढ़ाकर २३४ कर दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय का कहना है कि यदि चार राज्यों के विलय होने से कोई एक राज्य बनता है तो क्या यह जरूरी है कि वह उन्हीं में से किसी नाम को रखे और किसी अन्य नाम से राज्य को न पुकारे ?

†**श्री दातार** : जी नहीं, यदि संविधान (संशोधन) विधेयक और इस विधेयक को पारित करते समय किसी नाम को स्वीकार किया हो तो राज्य विधान मंडल को यह अधिकार नहीं होगा कि उस में परिवर्तन कर सके । इस सम्बन्ध में खंड १५ का आश्रय नहीं लिया जा सकता है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैं सरकार से मेरा संशोधन स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करता हूं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : खंड ४९ के बारे में कुछ कठिनाई है और मैं कह नहीं सकता कि मेरे संशोधन संख्या ४२५ और ४२६ के बाद सरकार ने उस पर ध्यान दिया है अथवा नहीं । खंड ४९ में कहा गया है कि यदि किसी मतदाता के राज्य को मिला कर किसी नये राज्य का पुनर्गठन किया जाता है तो उसे चुनाव में खड़ा होने का अधिकार प्राप्त होगा । इस सारणी में राजस्थान का कहीं नाम नहीं है, इसलिए राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र के लोगों को, जिसे मध्य-प्रदेश में मिला लिया गया है, बड़ी कठिनाई होगी । इसी प्रकार अन्य सम्बद्ध राज्यों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना होगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे संशोधन को स्वीकार करके सारणी में समुचित परिवर्तन कर दिये जाने चाहिएं ।

श्रीमान् जी, मैं खंड १८ सम्बन्धी अपने संशोधन की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं और मेरा सुझाव है कि नाम निर्देशित सदस्यों में संघ मंत्री और मुख्य मंत्रियों के साथ साथ सबसे बड़े विरोधी दल का भी एक सदस्य, क्षेत्रीय परिषदों में सलाहकार के कार्य के लिये लिया जाय ।

खंड १८ के सम्बन्ध में भी मैंने संशोधन का सुझाव दिया है । क्षेत्रीय परिषदों के पास कोई अधिकार तो है नहीं, यह केवल सलाहकार का काम ही करेगी । इस लिये क्षेत्रीय परिषद् के सलाहकार को सलाह देने के लिये और सलाहकार रखना बेकार है । इससे आर्थिक हानि ही होगी । इसके लिये केवल मुख्य सचिव ही काफी है ।

खंड १९ इस मामले में चुप है कि निगम निकाय की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाई जानी चाहिए । यह निश्चित कर दिया जाना चाहिए । मेरा संशोधन यह है कि निगम निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार बुलाई जाये ।

खंड २३ के उपखंड (२) के सम्बन्ध में भी मेरा एक संशोधन है वर्तमान विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था है कि क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक का समाजिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले सामान्य रुचि के मामलों पर विचार करके सिफारिश कर सकती है ।

आर्थिक और सामाजिक योजना एक बहुत ही व्यापक परिभाषा है और इसकी किसी भी तरह से व्याख्या की जा सकती है । इसलिये, मेरा सुझाव है कि इसे अस्पष्ट न छोड़ा जाये, अपितु इस प्रकार सीमित कर दिया जाये जिससे कि उससे आर्थिक विकास का बोध हो और वही हमारी चर्चा का उद्देश्य भी बने ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

खण्ड २३(२) के उपखण्ड (ख) के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सीमा-विवादों, भाषावार अल्पसंख्याओं या अन्तर्राज्यीय परिवहन सम्बन्धी विषयों के साथ ही नदी-विवादों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम्) : उसके लिये एक दूसरा विधेयक है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिये भी तो एक दूसरा विधेयक है। कुछ व्यक्ति जब विवादों पर चर्चा करेंगे, तो उस समय अन्तर्राज्यीय नदी-विवादों के प्रश्न भी उठेंगे ही। इसलिए इन्हें भी जोनल (क्षेत्रीय) परिषदों को सौंप दिया जाये। यदि क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती हैं, तो ये अन्तर्राज्यीय विवाद भी उनको सौंपे जाने चाहिये।

†**श्री नम्बियार** : मेरे संशोधन संख्या १५६ और १५८ मुख्यतः मद्रास का नाम बदल कर तामिलनाड किये जाने के सम्बन्ध में है। इस विधेयक के पारित होने के बाद मद्रास राज्य में केवल तामिल भाषी क्षेत्र ही रह जायेंगे। तामिल साहित्य में कही भी मद्रास नाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। यह नामकरण अंग्रेजों का किया हुआ है। आज भी मलयाली उसे मदिरासी, तेलगु चेन्नाइपत्तनम् और तामिल लोग चेन्नाई कहते हैं। इसीलिये, अब तामिल लोग चाहते हैं कि इसका नाम तामिलनाड कर दिया जाये। मद्रास विधान मण्डल में इस प्रश्न के उठाये जाने पर कांग्रेस दल ने शायद पुरानी प्रतिष्ठा के ही विचार से इसका समर्थन नहीं किया था। लेकिन, नया राज्य तो ऐतिहासिक रूप में तामिलनाड ही होगा।

मद्रास शहर में भी उसे मद्रास नहीं कहा जाता है। सभी जगह तामिल लोग उसे चेन्नाई कहते हैं।

चूंकि क्षेत्रीय परिषदें अपने बहुमत द्वारा किसी बात का निर्णय करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिये वे किसी क्षेत्र विशेष के कई राज्यों से सम्बन्धित मामलों में अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकेंगी। उनके बहुमत द्वारा किये गये निर्णयों को विशेषकर सीमा विवादों सम्बन्धी निर्णयों को मानने के लिये राज्य बाध्य भी नहीं होंगे। इसलिये क्षेत्रीय परिषदें सीमा-विवादों का निर्णयन नहीं कर सकेंगी। फिर क्षेत्रीय परिषदों में भाग लेने वाले व्यक्ति भी तो वही होंगे जो उन सीमा-विवादों से प्रभावित होंगे। इसलिये उससे कटु भावनाओं के और भी अधीक बढने की सम्भावना है।

क्षेत्रीय परिषदें भाषावार अल्पसंख्यकों के प्रश्न को भी संतोषप्रद रूप से हल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय के पास ही बहुमत होगा और संभव है कि वह अल्पसंख्यकों की भावनाओं से सहमत न हो। मुझे भय तो यह है कि सरकार इन क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना इसीलिये कर रही है ताकि वह इनके द्वारा बड़े-बड़े द्विभाषीय राज्यों और प्रदेशों के निर्माण के पक्ष में जनमत बना सके। यदि सरकार का उद्देश्य यही है, तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन क्षेत्रीय परिषदों को द्विभाषी राज्यों या प्रदेशों के निर्माण के मसलों पर विचार नहीं करने दिया जायेगा। हम इस प्रकार कुछ राज्यों के बलात् निर्माण का विरोध करते हैं।

दक्षिण भारत के लोग दक्षिण प्रदेश के निर्माण का अन्त तक विरोध करेंगे। हम तो वहां भाषावार राज्यों की स्थापना चाहते हैं। केरल की जनता दक्षिण प्रदेश के पक्ष में नहीं है। वह इसका विरोध करेगी।

सरकार को अपने इन प्रयासों को यहीं समाप्त कर देना चाहिये। उसे बम्बई और बिहार बंगाल के मामले से सबक लेना चाहिये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन की योजना से मेल नहीं खाती है। वह अप्रासंगिक ही नहीं है वरन् वर्तमान विधेयक से असम्बद्ध भी है। विधेयक का भाग तीन अनावश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी]

क्षेत्रीय परिषदों के कार्यकरण से देश की एकता सुदृढ़ नहीं होगी। जो यह क्षेत्रीय परिषदें दो या तीन मुख्य समस्याओं पर विचार करेंगी। उनमें से पहली समस्या आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र की है। योजना आयोग उसे समूचे राष्ट्र के लिये एक संतोषप्रद ढंग से हल कर ही रहा है। वह स्वयं इस समस्या के सभी पक्षों पर विचार कर लेगा। इस कार्य के क्षेत्रीय परिषदों द्वारा कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद, सीमा-विवादों का भी क्षेत्रीय निबटारा परिषदें ठीक तरह से नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनमें भाग लेने वाले सदस्य स्वयं उन विवादों में ग्रस्त होंगे। सीमा-विवादों को तो सीमा-आयोगों या जनमत संग्रह द्वारा ही निबटाया जा सकता है।

क्षेत्रीय परिषदों के लिये तीसरा कार्य होगा भाषावार अल्पसंख्यकों और विभिन्न राज्यों के समान हितों की समस्या पर चर्चा करना। उसके लिये अभी भी अन्य अभिकरण मौजूद हैं। जहां तक भाषावार अल्पसंख्यकों का प्रश्न है। यह केन्द्र का दायित्व है, और इसे भी क्षेत्रीय परिषदों को नहीं सौंपा जाना चाहिये।

अन्तिम समस्या होगी पुनर्गठन से उत्पन्न होने वाले विषयों को निपटाने की। उन सबको तो हमें अभी और यहीं तय कर लेना चाहिये; अन्यथा उनसे जनता में कटुता की भावना के बढ़ते जाने की आशंका है। इनको बाद के लिये छोड़ना देश के हित में नहीं होगा। इसके कार्य के लिये भी क्षेत्रीय परिषदों की आवश्यकता नहीं है। इसलिये, मेरा विचार है कि ये क्षेत्रीय परिषदें अनावश्यक हैं; और यदि इनकी स्थापना करनी ही है तो उन्हें अधिक सरल ढंग से गठित किया जाना चाहिये। पांच क्षेत्रों के स्थान पर, तीन क्षेत्र रखे जाने चाहियें—पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। चूंकि क्षेत्रीय परिषदों के सामने बड़े ही सीमित विषय होंगे, इसलिये उनके क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से भी वे एक इकाई होंगे, और इससे योजना बनाने में आसानी होगी। अतः मेरा सुझाव है कि मेरा संशोधन संख्या ८८ स्वीकार कर लिया जाये।

क्षेत्रीय परिषदों के ढांचे के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध हैं। एक यह है कि उनके लिये एक परामर्शदाता समिति होनी चाहिये। यह अनावश्यक है, क्योंकि वे स्वयं परामर्शदाता निकाय हैं। खण्ड १८ के उपखण्ड (४) हटा देना चाहिये। उसमें केवल मुख्य मंत्री को ही रखा जाना चाहिये दो अन्य मंत्रियों को नहीं। भाग ग में के राज्य का केवल एक सदस्य रहना चाहिये। इससे क्षेत्रीय परिषदों का गठन अधिक सरल हो जायेगा और प्रशासनिक व्यय भी कम हो जायेगा।

विधान परिषदें लोकतंत्रात्मक समाज के साथ मेल नहीं खाती हैं। विधेयक में मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और पंजाब राज्यों में विधान परिषदें स्थापित करने की बात कही गई हैं; अन्य राज्यों में पुनर्गठन के बाद विधान-परिषदें नहीं रहेंगी। इन चार राज्यों में ही उन्हें क्यों रखा गया है; उनसे क्या कार्य सध सकेगा? एकरूपता के विचार से भी हमें विधान परिषदों को हटा देना चाहिये। इनका मुख्य उद्देश्य तो विधान सभाओं से ही पूरा हो जाता है। विधान परिषदें तो शीघ्रता में किये गये निर्णयों को रोकने के लिये ही रखी गई थीं, लेकिन अब तो ऐसे निर्णय बहुत ही कम किये जाते हैं। विधान सभाओं में ही हम खंडवार चर्चा कर सकते हैं और पूरी तौर से विचार विमर्श कर सकते हैं। इसलिये, विधान परिषदें अब अनुपयोगी और खर्चीली बन गई हैं। इसके अतिरिक्त, अब से आगे ये विधान परिषदें शीघ्रता से विधान बनाने में एक रोड़ा बन जायेंगी।

मैंने परिसीमन के सम्बन्ध संशोधन संख्या १७६, १७७, १७८, १८१ और १८२ प्रस्तुत किये हैं। उनका उद्देश्य यही है कि परिसीमन आयोग को यथा सम्भव वर्तमान संसदीय और विधान सभाई निर्वाचन-क्षेत्रों में रद्दो-बदल नहीं करनी चाहिये। पता लगा है कि कुछ निर्वाचन पदाधिकारियों ने परिसीमन के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमे उन्होंने बड़े-बड़े परिवर्तनों का सुझाव दिया है। यह भी सुनने में आया है कि राज्यों के सम्बन्धित मंत्रियों के अनुदेशों के अनुसार

ही उक्त प्रस्तावों के प्रारूप तैयार किये जा रहे हैं। विधि के अनुसार, सरकार परिसीमन सम्बन्धी कार्य में भाग भी नहीं ले सकती है। परिसीमन आयोग को उन प्रस्तावों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिये। इस विषय में परिसीमन अधिनियम के सभी सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिये और जब तक कि कोई नयी व्यवस्था नितान्त रूप से आवश्यक न हो तब तक उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि परिसीमन आयोग में पांच सह-सदस्यों के स्थान पर, सात सह-सदस्य रखे जाने चाहिये। पिछले परिसीमन के समय यही संख्या निर्धारित की गई थी।

पिछली बार सह-सदस्यों ने बडी शिकायतें की थीं कि उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इससे उनमें कटु भावनायें पैदा हो गई थीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि सभी सह-सदस्य परिसीमन सम्बन्धी किसी मसले पर सर्वसम्मत हों, तो उसे मानना आयोग के लिये अनिवार्य होना चाहिये। यदि उनमें मतैक्य न हो, तो आयोग अपने स्वयं विवेक का प्रयोग कर सकता है। मेरे संशोधन संख्या १८२ में यही कहा गया है।

सह-सदस्यों के नियुक्त करने का प्राधिकार अध्यक्ष को होना चाहिये। विधेयक के अनुसार तो सरकार उनकी नियुक्ति करेगी। अध्यक्ष ही अत्यधिक तटस्थता और न्यायपूर्ण भावना से कार्य कर सकता है। यह कार्य लोक-सभा और राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष को ही सौंपा जाना चाहिये।

यथासम्भव सभी पुराने सह-सदस्यों को ही दुबारा नियुक्त कर देना चाहिये, यदि उन्होंने अब तक अपने दल न बदल दिये हों तो।

अन्त में, परिसीमन आयोग अधिनियम की प्रक्रिया का पूरी तौर पर पालन किया जाना चाहिये। विधेयक में संक्षिप्त प्रक्रिया की बात कही गई है। उससे जनता में असंतोष बढ़ेगा। प्रारूप प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी चाहिये और सह-सदस्यों के मत के अतिरिक्त जनता की राय पर भी विचार किया जाना चाहिये। इससे कटुता नहीं बढ़ पायेगी। मुझे आशा है कि मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जायेंगे।

†**श्री आनंद चन्द** (बिलासपुर) : मेरा संशोधन संख्या ५०२ बम्बई, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मनीपुर से राज्य सभा के लिये चुने जाने वाले प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में है।

संयुक्त समिति का विचार था कि क्योंकि संसद ही भाग ग में के राज्यों में आने वाले क्षेत्रों के लिये विधान मण्डल का कार्य करेगी इसलिये दस लाख जनसंख्या पर उन्हें एक से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिलना चाहिये। विधेयक में भाग 'ग' में के विधान मण्डलों के हटाये जाने की व्यवस्था है। लेकिन उसके खण्ड २७ में बम्बई के अतिरिक्त भाग 'ग' में के अन्य राज्यों में राज्य सभा के लिये होने वाले चुनावों की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इसलिये, मेरा सुझाव है कि इस खण्ड में बम्बई के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मनीपुर को भी जोड़ दिया जाना चाहिये। राज्य सभा में मनीपुर और त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्तमान प्रतिनिधि त्रिपुरा का है, इसलिये अब इस बार मनीपुर का प्रतिनिधि आना चाहिये।

इन राज्यों के विधान मण्डलों के समाप्त कर दिये जाने के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सभा में इनके प्रतिनिधि शीघ्र ही पहुंच जायें। जन प्रतिनिधि अधिनियम, १९५० में निर्वाचन गण के स्थापित किये जाने की व्यवस्था है, इसलिये इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मनीपुर में तो एक निर्वाचन-गण है ही। कठिनाई केवल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में पड़ सकती है। पिछली बार मैंने कहा था कि इन भाग 'ग' में के राज्यों की ओर से राज्य-सभा के लिये निर्वाचक गणों द्वारा चुनाव किये जाने चाहियें। यह अप्रत्यक्ष चुनाव से उत्तम

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आनन्द चंद]

और अधिक लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया होगी। उसके लिये, हमें जन प्रतिनिधि अधिनियम, १९५० में केवल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के नाम भर जोड़ने पड़ेंगे और इनने निर्वाचकगणों की स्थापना करके, शीघ्र ही राज्य सभा के इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है।

†**श्री कृ० ल० मोरे** : (कोल्हापुर व सतारा––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं क्षेत्रों और क्षत्रीय परिषदों की योजना का स्वागत करता हूं। इससे परस्पर राज्यों के मध्य और राज्यों तथा केन्द्र के मध्य अच्छे स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित होंगे।

खण्ड १७ के उपखण्ड (घ) में पश्चिमी क्षेत्र की व्यवस्था है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई का भाग 'ग' में का राज्य रहेगा। लोक-सभा के माननीय सदस्यों की इच्छा को देखते हुए, हमें आशा करनी चाहिये कि महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई का भाग 'ग' में के राज्य मिला कर एक ही राज्य निर्मित किया जायेगा। यह संशोधन वर्तमान महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र आदि को मिला कर एक द्विभाषी राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

† **अध्यक्ष महोदय** : हम अभी उस संशोधन को नहीं ले रहे हैं।

†**श्री आनंद चंद** : उसका उल्लेख किया गया है। तब पश्चिमी जोन में एक ही राज्य होगा। यह बहुत अच्छा होगा। मेरा विचार है कि अधिक राज्य नहीं रखे जाने चाहियें, उन्हें विलीन करके बड़े बड़े जोन बना दिये जाने चाहियें। उससे एकीय प्रकार की सरकार की स्थापना की जा सकेगी।

†**श्री वि० घ० देशपान्डे** (गुना) :मैं धारा १७ पर अपने संशोधन संख्या २२९, २३०, २३१ और २३२ सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि सदन को ज्ञात ही है, इस धारा के अनुसार देश का विभाजन चार विभागों में––चार जोन्ज (प्रदेशों) में किया गया है। मेरे विचार में ये जोन्ज अत्यन्त अशास्त्रीय, अभौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से भी बिल्कुल गलत हैं। हम देखते हैं कि उत्तर विभाग में––नार्दर्न जोन में––उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश को सैंट्रल जोन में रखा गया है। मेरा मत यह है कि नार्दर्न जोन में उत्तर प्रदेश अवश्य होना चाहिए। अगर हम हिन्दुस्तान का चित्र आंखों के सामने लायें, तो हम अनुभव करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक ऐसा विभाग बनाते हैं, जो कि भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल कम्पैक्ट विभाग है।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि सैंट्रल जोन में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश होने चाहिएं। मध्य भारत के रहने वाले लोग जानते हैं कि मध्य भारत और राजस्थान करीब करीब एक ही विभाग के अंग हैं और चूंकि मध्य भारत को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, इसलिये मध्य प्रदेश और राजस्थान एक जोन में होने चाहियें। इस के अतिरिक्त हमारे मुन्शी साहब ने जिस महागुजरात का स्वप्न अपने ग्रन्थों में चित्रित किया है, उसमें राजस्थान का भी समावेश किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से और आर्थिक विकास की दृष्टि से यह उचित है कि गजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मध्य विभाग में––सैंट्रल (मध्य) जोन में––रखा जाय।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि वैस्टर्न (पश्चिमी) जोन में महाराष्ट्र के साथ आन्ध्र रखा जाना चाहिये। अगर हम हिन्दुस्तान के मानचित्र को देखें, तो हमको ज्ञात होगा कि आन्ध्र और महाराष्ट्र पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक चले जाते हैं। प्राचीन काल में हमारे राजा महाराजा अपने आपको आन्ध्रभत्य कहते थे। उस विभाग का नाम आन्ध्र-महाराष्ट्र रखा जाय। उन दोनों में कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं। मेरे विचार में प्लैनिंग, आर्थिक विकास और उन नदियों की स्थिति की दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा विभाग बन जायेगा।

इस अवस्था में दक्षिण विभाग में मैसूर, केरल और मद्रास ये तीन प्रदेश आ जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, उत्तर विभाग में उत्तर प्रदेश को रख देना चाहिए और राजस्थान को मध्य विभाग में डाल देना चाहिए। अगर हम मानचित्र को देखें, तो हमको ज्ञात होगा कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक एक बहुत लंबा प्रदेश बन जाता है। इसको एक विभाग कहना मुश्किल हो जायगा और वह भूगोल के विरुद्ध होगा। मैं अनुनय करूंगा कि यदि मेरे संशोधनों के अनुसार जोन्ज का निर्माण किया गया, तो देश का जोन्ज में विभाजन अधिक अच्छा और लाभदायक होगा।

एक माननीय सदस्य : और इस्टर्न ज़ोन ?

श्री वि० घ० देशपांडे : वह जैसा है, वैसा ही रहे। वह बहुत अच्छा है और उनमें प्रेम भी बहुत है। उनके एक होने की चर्चा भी चल रही है। इसलिये यह विभाग ऐसे ही रखा जाय।

लेजिस्लेटिव कौंसिल्ज (विधान परिषद्) के बारे में मेरा विचार यह है कि जैसे पहले बिल में महाराष्ट्र के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं रखी गई थी, वैसे ही अब भी उसको लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं दी जानी चाहिये। इसके दो कारण हैं--पहला कारण यह है कि मैं किसी भी प्रदेश में अपर चेम्बर रखने के खिलाफ हूं। अब वह कोई रिवाइजिंग बाडी नहीं रही है। इस का तो एक ही अर्थ और अभिप्राय है और वह यह कि जो हारता है, उस को पैट्रनेज देने के लिए वहां भेज दिया जाता है। मेरा कहना तो यह है कि महाराष्ट्र को लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं मिलनी चाहिये और जो हैं, वे भी खत्म होनी चाहिये। जो डिमांड मध्य प्रदेश के लिये लेजिस्लेटिव कौंसिल के विषय में की जा रही है, मैं उसका विरोध करता हूं। बम्बई की असेम्बली में एकमत से प्रस्ताव पास किया गया था कि हमको लेजिस्लेटिव कौंसिल न दी जाय और इस विषय में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था, वह वापिस ले लिया गया था। इन परिस्थितियों में समझ में नहीं आता कि यह नया ब्रेन-वेव (विचार परिवर्तन) क्यों आ गया।

श्री गो० वा० खेडकर (बुलडाना-अकोला) : आज उनकी डिमांड है।

श्री वि० घ० देशपांडे : यह गलती है। लोग गलतियां करते हैं और हम सब मेम्बरों को मिल कर, जो कि देश की इस सोविरेन बाडी (सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न) के अंग हैं, जिस पर देश के कल्याण के लिये असंख्य योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है, उन गलतियों को सुधारना चाहिए।

मध्य प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव कौंसिल रखने का जो संशोधन श्री राधे लाल व्यास ने रखा है, मै उसका विरोध करता हूं--इसलिये नहीं कि मध्य प्रदेश में न हो, बल्कि इसलिए कि किसी भी प्रदेश में न हो। इस दृष्टि से तो उनका कहना ठीक हो सकता है कि चूंकि सब जगह खैरात बंट रही है, इसलिये हमको भी कुछ दिया जाय--हमको कुछ क्यों नहीं दिया जाता है, लेकिन सच पूछिये तो उचित यही है कि न उत्तर प्रदेश में और न किसी और प्रदेश में ही लेजिस्लेटिव कौंसिल होनी चाहिये; महाराष्ट्र के लिये भी नहीं होनी चाहिये और मध्य प्रदेश के लिये भी नहीं होनी चाहिये।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) इससे पहले कि मैं आपका ध्यान खंड ३१, ३२, ३३ और ४२ की ओर दिलाऊं; मैं यह कहना चाहता हूं कि खंड २ से १५ पर मतदान को रोक दिये जाने के कारण हम खंड १७ और २५ पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सक रहे हैं।

बड़े दुःख की बात है कि सरकार गुजरात, महाराष्ट्र और बम्बई राज्यों के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं कर सकी है, इससे जनता यह समझने लगी है कि सरकार में दृढ़ निश्चय करने की क्षमता नहीं है।

बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधान मंत्री ने जिस मामले पर इतनी दृढ़ता से अपनी सम्मति प्रकट की थी उस पर पुनः विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री कामत]

खंड ३१ आंध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन के बारे में है। यदि इस विषय में संविधान के वर्तमान उपबन्धों का ही पालन किया जाये और आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की कालावधि को न बढ़ाते हुए अगले वर्ष लोक-सभा के सामान्य निर्वाचनों के साथ साथ इसमें भी निर्वाचन कराये जायें तो अधिक अच्छा होगा। क्योंकि संविधान में अनुच्छेद १७२ में यह उपबन्ध है कि प्रत्येक विधान सभा की कालावधि पांच वर्ष होगी इससे अधिक नहीं। इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

यदि राष्ट्रपति ने अपनी उद्घोषणा द्वारा त्रावनकोर कोचीन विधान सभा का विघटन न किया होता तो इस अधिनियम के लागू होने पर त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्य मद्रास विधान सभा में मालाबार के सदस्यों से मिलकर केवल राज्य विधान सभा का निर्माण कर सकते थे। परन्तु अब ऐसा करना सम्भव नहीं है। फिर भी मैं इस सम्बन्ध में श्री वे० प० नायर के संशोधन संख्या ४८८ का और उनकी दलीलों का समर्थन करता हूं। संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत संसद को मद्रास में मिलाये जाने वाले तालुकों को छोड़ कर पुरानी त्रावनकोर कोचीन विधान सभा के सदस्य और मद्रास विधान सभा में जिला मालाबार के सदस्यों को नये केरल राज्य की विधान सभा के सदस्य बने रहने देने का उपबन्ध करने की सामर्थ्य क्षमता प्राप्त है।

खंड ४२ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है। लोक-सभा में एक अनुसूचित आदिम जाति और अनुसूचित जाति आदेश विधेयक पुरः स्थापित किया गया था। न जाने उस पर कब विचार किया जायेगा। मैं अनुभव करता हूं कि जब तक कि वह विधेयक पारित न हो जाये तब तक खंड ४२ को लागू नहीं किया जा सकेगा। माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करें।

अन्त में मैं श्री म० शि० गुरुपादस्वामी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसीमन और प्रत्येक राज्य में सह-सदस्यों सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करता हूं। गत संसद् में परिसीमन समितियों में नाम निर्देशन करने की शक्ति अध्यक्ष को प्रदान की गई थी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस व्यवस्था को क्यों बदला गया है। हमें ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार की बजाये आप पर अधिक विश्वास है। मैं चाहता हूं कि इस खंड में संशोधन करके यह शक्ति आपको ही दी जाये ताकि संसद् के सभी दलों के प्रतिनिधि लिये जायें और आप तो विरोधी पक्ष को उसकी संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में हैं। मुझे आशा है कि परिसीमन आयोग में विरोधी दल के सदस्यों को पर्याप्त संख्या में रखा जायेगा।

श्री म० शि० गुरुपादस्वामी ने सदस्यों के एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाने के बारे में कहा। यहां मध्य प्रदेश से प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के तीन सदस्य थे। जिनमें से श्री मगनलाल बागड़ी ने त्यागपत्र दे दिया और शायद कांग्रेस में चले गये, श्री अशोक मेहता महाराष्ट्र के प्रतिनिधि होंगे और मैं मध्य प्रदेश का।

श्रीमान्, न जाने क्यों मंत्री महोदय वाद-विवाद को सुन नहीं रहे हैं। यह तो सभा का अपमान है।

†**श्री दातार** : मैं सुन रहा हूं।

†**श्री कामत** : क्या बता सकते हैं कि मैं किस मामले पर बोल रहा था? सभी सदस्यों को संसद का आदर करना चाहिये और माननीय मंत्री को चाहिये कि वह वाद-विवाद पर ध्यान दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : आवेश में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय उपस्थित हैं और वह सारी बात सुन रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह हर बात को नोट करें क्योंकि कई

†मूल अंग्रेजी में।

बातें अधिक महत्व की नहीं होती हैं और कई एक ऐसी होती हैं जो कि पहले किसी सदस्य द्वारा कही जा चुकी होती हैं। वर्तमान स्थिति में मंत्री महोदय के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता है। वह श्री कामत का भाषण बड़ी सावधानी से सुन रहे हैं।

†**श्री कामत** : खंड ४८ के उपखंड (३) में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस आदेश को प्राप्त किये जाने के तुरन्त पश्चात इसे यथास्थिति लोक-सभा अथवा राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा। इस धारा में यह उपबन्ध भी होना चाहिये कि सरकार द्वारा सभा के समक्ष रखे गये आदेश में एक निश्चित समय सीमा के अन्दर रूपभेद किया जा सकेगा जैसा कि हर एक विधेयक में किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड १६ से ४९ तक का उत्तर कल दिया जायेगा, और अब लोक-सभा खंड ५० से ७० तक पर विचार करेगी। इनके लिये २० घंटे का समय आवंटित किया गया है। जो सदस्य उन खंडों के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों वे कृपा करके १५ मिनट में अपने संशोधन सचिव को दे दें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : खंड ४९क, ४९ख, ४९ग और ४९घ पर कब विचार किया जायेगा ? मैंने इनके संशोधनों की पूर्व सूचना दे रखी है और मैं इन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब भी कभी माननीय सदस्य वर्तमान खंडों में कोई वृद्धि करने के लिये संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों तो उन्हें चाहिये कि अगले खंड समूह पर चर्चा आरम्भ होने से पूर्व वह उनके सम्बन्ध में बता दें। भविष्य के लिये यह नियम होगा। हम खंड ५० से ७० पर चर्चा आरम्भ करने वाले हैं यदि इस खंड समूह में किसी नवीन खंड के बढ़ाये जाने के बारे में संशोधन दिया गया है तो उस पर अभी चर्चा की जाये। उन सबको एक साथ लिया जायेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वस्तुतः इन चार संशोधनों का खंड ५० से ७० से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या खंड १६ से ४९ से भी इनका कोई सम्बन्ध नहीं है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सब संशोधनों को प्रस्तुत किया गया समझा जाये और दूसरे खंड समूह के साथ इनका निबटारा किया जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वस्तुतः मैं आपका परामर्श चाहता था कि क्या यह संशोधन इस विधेयक में प्रस्तुत किये जा सकते हैं या संविधान (९वें संशोधन) विधेयक में। मेरा विचार है कि यह दोनों स्थानों पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यदि आप संगत समझें तो मैं उन्हें प्रस्तुत करता हूं।

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला भटिंडा) : राज्य पुनर्गठन विधेयक में इस प्रकार के किन्हीं उपबन्धों का उल्लेख नहीं है। माननीय सदस्य के संशोधनों का सम्बन्ध पंजाब के प्रादेशिक सूत्र से है जो कि संविधान (९वें संशोधन) विधेयक के संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप के परिशिष्ट में दिया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अभी अभी कहा कि यह संशोधन यहां भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं परन्तु मेरी राय में वे संविधान (९वें संशोधन) विधेयक से अधिक संगत होंगे और विचाराधीन विधेयक के किसी खंड से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं मानता हूं कि इन संशोधनों का विचाराधीन विधेयक के उपबन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु फिर भी वे राज्य पुनर्गठन विधेयक का अंग हैं। मैं आपकी और सरदार हुक्म सिंह की राय के अनुसार कार्य करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** :. आप किन संशोधनों के बारे में कह रहे हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं संशोधन संख्या ४९० और ४९१ के बारे में कह रहा हूं ।

दूसरे विधेयक में भाषाई अल्प-संख्यकों को दिये जाने वाले परित्राणों का उल्लेख किया गया है । परन्तु इस विधेयक की प्रवर समिति ने इन सब मामलों का निर्देश किया है और राज्य पुनर्गठन विधेयक उस समिति के प्रतिवेद न पर ही आधारित है इसलिये ये मामले विधेयक के बाद विषय हैं और इसी कारण इन संशोधनों को संगत कहा जा सकता है, परन्तु मैं आपकी और लोक-सभा की इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा । मेरा उद्देश्य केवल यह है कि किसी भी विधेयक में यह उपबन्ध होना चाहिये और इसे परिशिष्ट में रखने की बजाये स्वयं विधेयक में रखा जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन किस तरह संगत हैं ? क्या इस विधेयक में कहीं अल्प-संख्यकों का उल्लेख है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : संशोधन संख्या ४९० क्षेत्रीय समितियों के बारे में है । संशोधन संख्या ४९१ में भाषाई अल्प संख्यकों का उल्लेख किया गया है ।

इस विधेयक में पंजाब का उल्लेख किया गया है और क्षेत्रीय समितियां पंजाब की योजना से सम्बद्ध हैं अतः समितियों से सम्बन्धित सभी बातें इसमें रखी जा सकती हैं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : प्रादेशिक सूत्र का राज्यों के पुनर्गठन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि माननीय सदस्य संविधान (९वें सशोधन) विधेयक के बारे में, जिसमें क्षेत्रीय सूत्र और क्षेत्रीय समितियों का उल्लेख है, इन संशोधनों को प्रस्तुत करें तो ठीक रहेगा । मेरा तो यही सुझाव है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : पुनर्गठन के बारे में विधेयक में प्रत्येक राज्य का उल्लेख किया गया है इसलिये वे सभी मामले, जिनका सम्बन्ध सारे पंजाब से या उसके कुछ भाग से है, इस विधे-यक की विषय वस्तु से संगत हैं और दूसरे विधेयक से भी संगत हैं । मैं तो सभा की राय लेना चाहता हूं और जैसे मुझ से कहा जायेगा मैं वैसे ही करूंगा ।

†**श्री दातार** : मैं आपका ध्यान संविधान (९वें संशोधन) विधेयक, जिस रूप में संयुक्त समिति ने उसे प्रतिवेदित किया है, के खंड २२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय सदस्य का संशोधन क्षेत्रीय सूत्र के बारे में है । इसका उपबन्ध दूसरे विधेयक में किया गया है । विधेयक के खंड २२ में कहा गया है :

"संविधान के अनुच्छेद ३७१ के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रखा जाये; अर्थात्:—

'३७१(१) इस संविधान में किसी अन्य बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंध्र प्रदेश अथवा पंजाब राज्य के बारे में, आदेश जारी करके, राज्य की विधान सभा की प्रादेशिक समितियों के कृत्यों और उनके गठन के बारे में, सरकार के कारबार के नियमों और राज्य की विधान सभा के प्रक्रिया नियमों में रूपभेद करने और प्रादेशिक समितियों के ठीक ठीक कार्य संचालन के लिये राज्यपाल को कोई विशेष कार्य सौंपने के बारे में उपबन्ध कर सकता है । "

माननीय सदस्य नियमों का स्पष्टीकरण चाहते हैं । दूसरे विधेयक के खंड २२ के इस उपबन्ध को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे माननीय मित्र के इन संशोधनों का न तो राज्य पुनर्गठन विधेयक में स्थान है और न ही संविधान (९वें संशोधन) विधेयक के खंड २२ में । यह ऐसे मामले हैं कि जिन के आधार पर कुछ नियम बनाये जायेंगे और उन नियमों का सम्बन्ध सरकार के कार्य संचालन नियमों से होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अतः मेरा निवेदन है कि मेरे माननीय मित्र के संशोधनों का दोनों में से किसी भी विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री र० द० मिश्र** (जिला बुलन्दशहर) : इस विधेयक के भाग ४ का शीर्ष "विधान मंडल में प्रतिनिधित्व" है । अतः क्षेत्रीय सूत्र का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इन्हें संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में रखा जाना चाहिये ।

†**श्री दातार** : वहां भी नहीं ।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : मुझे माननीय मंत्री की इस बात पर आश्चर्य है कि इन संशोधनों को न राज्य पुनर्गठन विधेयक में और न संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में सम्मिलित किया जा सकता है । मैं यह इसलिए निवेदन करता हूं क्योंकि पंजाब का पुनर्गठन क्षेत्रीय सूत्र पर ही आधारित है और जब तक इस विधेयक में या दूसरे विधेयक में संविधिक मान्यता न दी जाये तब तक सरकार हरियाना प्रांत की जनता को दिये गये वचन को पूरा नहीं कर सकेगी ।

मेरे विचार में पंडित ठाकुर दास भागर्व के संशोधनों को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में सम्मिलित करना उचित नहीं होगा । इनका उचित स्थान इसी विधेयक में है, जिस पर कि हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये संशोधन संविधान में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को, जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं, राज्य पुनर्गठन विधेयक में सम्मिलित करने के लिए दिये गये हैं । आप अपना विनिर्णय देते समय इस बात को ध्यान में रखें ।

†**श्री दातार** : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं । जहां तक क्षेत्रीय सूत्र का सम्बन्ध है, सरकार अपने वचन पर स्थिर है और अब पीछे नहीं हटना चाहती है । प्रश्न यह है कि क्या इसे संविधान संशोधन विधेयक में रखा जाये या राज्य पुनर्गठन विधेयक में रखा जाये । स्वयं अनुच्छेद ३७१ में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों और राज्य में विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने के लिए विधान सभा की क्षेत्रीय समितियों के गठन और कृत्यों के लिये उपबन्ध करेगा । मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो कार्य संचालन सम्बन्धी नियम बनाये जायेंगे वे उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितने कि संविधान के उपबन्ध या इस विधेयक के उपबन्ध हैं । केवल प्रविधिक या प्रक्रिया सम्बन्धी कारणों से ही इन्हें इस रूप में रखा गया है ।

मैं अपने माननीय मित्र को फिर आश्वासन देता हूं, कि हम इस निर्णय को बहुत महत्व देते हैं । चाहे ये नियमों के रूप में हो, या राज्य पुनर्गठन विधेयक के या संविधान के अंग हों, जैसा भी आप निर्णय करें, इन्हें स्वीकार और क्रियान्वित किया जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैंने यह समझा कि माननीय मंत्री के विचार में पंडित ठाकुर दास भागर्व के संशोधन इस विधेयक से संगत नहीं हैं ।

†**श्री दातार** : संभव है प्रक्रिया के अनुसार न हो ।

†**श्री वें० प० नायर** (चिरयिन्कील) : आप विधेयक का नाम पढ़ें तो यह इस प्रकार है:—

"राज्यों के पुनर्गठन और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाला विधेयक"

पंडित ठाकुर दास भागर्व के संशोधन राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी कुछ मामलों के बारे में हैं । इसलिये वे इस विधेयक के उपबन्धों से संगत हैं और इन पर चर्चा को रोका नहीं जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार** : चर्चा को रोकने का प्रश्न नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो हम पुनः विधि मंत्रालय से परामर्श करेंगे। हम केवल इतना चाहते हैं कि इन्हें उचित रूप और स्थान दिया जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्री र० द० मिश्र की इस आपत्ति के कि मेरे संशोधन भाग ४ के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उत्तर में मैं यह निवेदन करता हूं कि वे भाग ४क के अन्तर्गत आते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या यह संशोधन राज्य पुनर्गठन विधेयक से सम्बन्धित है या नहीं। राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन विधयक के अन्तर्गत किया जा रहा है। हमें यह कहने का हक है कि जितने भी उपबन्ध या प्रत्याभूतियां आपने हमें दी हैं, वे इस विधेयक में रखी जायें। किन्तु माननीय मंत्री ने कहा कि ये बातें नियमों में रखी जायेंगी। मैं चाहता हूं कि पंजाब के गठन के बारे में आप जो भी निर्णय करें, उसे इस विधेयक में, जो कि सारे भारत के पुनर्गठन से सम्बन्धित विधेयक है, रखा जाय। हम चाहते हैं कि जहां तक पंजाब सम्बन्धी सूत्र का सम्बन्ध है, हमें इस में सुधार करने के लिये औपचारिक रूप से संशोधन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये। किन्तु आप इसे गुप्त रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सूत्र को इस विधेयक का जो कि सारे भारत के लिये है, अंग बना कर इसे अनुल्लंघनीय बनाया जाये। यदि सीमाओं का प्रश्न इस विधेयक में आ सकता है, तो यह प्रश्न भी, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र की सीमाओं के बारे में है, इस में आ सकता है।

जहां तक अल्प-संख्यकों को संरक्षण देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरे विचार में ये दोनों विधेयकों के अन्तर्गत आ सकता है।

मेरा निवेदन है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक ही मेरे संशोधनों के लिये उचित स्थान है। मान लीजिये कि संविधान संशोधन विधेयक पारित ही नहीं हो पाता है और आपको तीन चौथाई बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो हम कहां जायेंगे ? मैं सारे पंजाब के बारे में कह रहा हूं और चाहता हूं, कि जो भी निर्णय किया जाये, उसे विधि का अंग बनाया जाये।

यदि आप संशोधन (नवां संशोधन) विधेयक के खंड २ को देखें, तो मालूम होगा कि उसमें राज्य वैसे दिये गये हैं, जैसे कि राज्य पुनर्गठन विधेयक में दिये गये हैं। इसलिये वास्तव में जहां तक सीमाओं और क्षेत्रीय समितियों का सम्बन्ध है, इन्हें दोनों विधेयकों में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका विषय एक ही है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे विनिर्णय देने की प्रार्थना करूंगा।

किन्तु मैं एक बात पर आप का निर्णय चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा है कि पंजाब के मामले का उल्लख इन दोनों विधेयकों में से किसी में नहीं होगा। यदि इसका उचित स्थान इस विधेयक में है, तो यह उपबन्ध अवश्य इस विधेयक में रखा जाना चाहिये किन्तु यदि आप की राय में इसका उचित स्थान दूसरे विधेयक में है, तो हमें इन संशोधनों के मामले में अधिक कठिनाई होगी। म कह नहीं सकता कि आप क्या निर्णय देंगे किन्तु सारे पंजाब को दृष्टि में रखते हुए मेरा निवेदन ह कि इन संशोधनों को दोनों विधेयकों में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक इन मामलों का सम्बन्ध है, ये संशोधन निस्संदेह संविधान के संशोधन हैं, किन्तु संविधान के ऐसे संशोधन हैं, जो अनुच्छेद के अन्तर्गत, राज्यों के पुनर्गठन से उत्पन्न होते हैं अर्थात् दो राज्यों को मिलाने, तथा राज्य बनाने, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने आदि से सम्बन्धित हैं। यदि किसी विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये, तो संविधान में भी आनुषंगिक संशोधन करने पड़ेंगे और संविधान में संशोधन करने के लिये जो विशेष बहुमत की प्रक्रिया है उसका अनुसरण करना पड़ेगा। किन्तु यदि वे संशोधन परिसीमन आदि के बारे में हों, तो वे अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत आयेंगे और विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्न यह है कि क्या ये संशोधन, जो संरक्षणों आदि सम्बन्धी नये खंडों को जोड़ने के लिये हैं, राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों के क्षेत्रों के बढ़ाये या घटाये जाने से सम्बन्धित हैं। मेरे विचार में इन संशोधनों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये मैं इनकी अनुमति नहीं देता। ये दूसरे विधेयक में लाये जा सकते हैं।

दूसरी बात यह थी कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले नियमों में नहीं रखे जाने चाहियें। यदि सदन ऐसा समझता है, तो इन्हें दसवीं अनुसूची या ग्यारहवें अनुसूची में रखा जा सकता ह। अब हम खंड ५० से ७० तक पर चर्चा करेंगे।

(खंड ५० से ७०)

†**श्री नेसामनी** (नागर कोइल) : मैंने अपना संशोधन संख्या २०९ इसलिये प्रस्तुत किया है क्योंकि खंड ६७ में उन अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है, जो त्रावनकोर-कोचीन के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और उन क्षेत्रों में विधि व्यवसाय करते हैं, जो अब त्रावनकोर-कोचीन से मद्रास को हस्तान्तरित किये जाने वाले हैं। मेरे विचार में संयुक्त समिति का ध्यान इस त्रुटि की ओर आकर्षित नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ त्रुटि प्रतीत होती है।

†**श्री दातार** : मैं इसकी जांच करूंगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मेरे संशोधन खंड ५०, ५१ और ५२ के बारे में हैं। मैं यह नहीं समझ सका हूं कि खंड ५० में केवल मध्य प्रदेश और पंजाब को क्यों चुना गया है, क्योंकि कुछ और नये राज्य भी तो बन जायेंगे। खंड ५० के उपखंड (३) में कहा गया है कि केरल, मैसूर और राजस्थान के नये राज्य बनने पर इनमें एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जायेगा और इनके पहले उच्च न्यायालय समाप्त समझे जायंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये भाग ख में के राज्य हैं और मध्य प्रदेश और पंजाब भाग क में के राज्य हैं स्पष्ट है कि इन दोनों प्रकार के राज्यों में विभेद किया गया है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि भाग ख में के राज्यों के उच्च न्यायालयों का दर्जा भाग क में के राज्यों के उच्च न्यायालय के दर्जे से किसी प्रकार कम है। अब जब कि यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि भाग ख में के राज्यों के अपर न्यायाधीशों का वेतन भाग क में के राज्यों के न्यायाधीशों के बराबर कर दिया जाये, तो इस प्रस्ताव से कि ये उच्च न्यायालय समाप्त कर दिये जायंगे और इनके स्थान पर नये उच्च न्यायालय स्थापित किये जायंगे, लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो गया है कि अब जो न्यायाधीश काम कर रहे हैं, उन्हें नये उच्च न्यायालयों में पुनः नियुक्त नहीं किया जायेगा और कुछ नई नियुक्तियां की जायेंगी। अर्थात् कुछ पुराने न्यायाधीशों को हटा दिया जायेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि संविधान के अन्तर्गत आज तक नियुक्त किये गये न्यायाधीशों को जो संवैधानिक प्रत्याभूति दी गई है, यह राज्य पुनर्गठन विधेयक के इस उपबन्ध से समाप्त हो जायेगी। मेरे विचार में यह उचित नहीं है। यदि सरकार यह कहती है कि हम ने सभी पुराने न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त करने का निर्णय किया है, तो उच्च न्यायालयों के समाप्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि आपने राजस्थान का नया राज्य बना कर इसे भाग ख में के राज्य से भाग क में का राज्य बना दिया है।

किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय अधिनियम में यह नहीं दिया गया है कि यह उच्च न्यायालय भाग क राज्य का उच्च न्यायालय है या भाग ख राज्य का उच्च न्यायालय है। हमारे संविधान में इन में कोई भिन्नता नहीं रखी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

मैं अपने संशोधन के द्वारा 'पंजाब' के पश्चात् 'मैसूर तथा राजस्थान' शब्द रखना चाहता था । त्रावनकोर-कोचीन का नाम बदल कर अब केरल किया गया है । परन्तु केरल, मैसूर तथा राजस्थान के उच्च न्यायालयों में कोई अन्तर नहीं है। यह कहा गया है कि न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये कुछ व्यक्ति विद्वान नहीं थे । किन्तु भाग 'ख' के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से नियुक्ति हो । यह कहा जाता है कि विधि के पारंगत व्यक्ति न्यायाधीश के पद के लिये उपलब्ध नहीं हो रहे हैं परन्तु इसका यह कारण है कि उन्हें भाग क राज्यों के बराबर पारिश्रमिक नहीं मिलता है ।

१९५० से १९५६ तक राजस्थान न्यायालय काम करता रहा है । इसमें सभी नियुक्तियां नई हैं । यही स्थिति मध्य भारत उच्च न्यायालय की है । पहले आप उच्च न्यायालय को समाप्त कर देना चाहते हैं तथा फिर उच्च न्यायालय को स्थापित करना चाहते हैं । यह दुहर क्यों की जाएं ?

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

खण्ड ५४ में यह कहा गया है कि नवीन राज्य के उच्च न्यायालय को एडवोकेटों तथा महान्याय-वादियों को रखने, मुअत्तल करने और हटाने का अधिकार होगा । अब नये एडवोकेट रखे जायंगे । न्यायालयों के प्रशासन में अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होंगी । मेरा यही निवेदन है कि यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो यह सब कठिनाइयां दूर हो जायेंगी ।

पंडित भार्गव ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवीन राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीश रहेंगे तथा मैंने कहा था कि मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसको स्पष्ट करे । दुर्भाग्य-वश यह बात स्पष्ट नहीं की गई है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : न्यायाधीशों की वरिष्ठता किस प्रकार विनियमित की जायेगी ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : यदि समस्त भारत की वरिष्ठता की सूची बनाई जाये तो वह न्यायाधीशों की नियुक्ति की तिथि से बननी चाहिये । परन्तु भाग ख राज्यों के सभी न्यायाधीशों को भाग क वालों से कनिष्ठ नहीं बना देना चाहिये । मैंने एक संशोधन खण्ड ६५ पर प्रस्तुत किया है जो एक आनुषंगिक संशोधन है । यदि राजस्थान में उच्च न्यायालय को हटाया न जाये और पुराना उच्च न्यायालय जारी रहे तो "विद्यमान राजस्थान राज्य का न्यायालय", शब्दों के स्थान पर "राजस्थान का उच्च न्यायालय" शब्द काफी होंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सदस्यों द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३ और खण्ड ५० से ७० में निम्न संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की गई है :

खण्ड संख्या	संशोधन की संख्या
१७	२८, १५६, २२९, २३०, २३१, २३२
१८	९१, ९२, ९३
१९	९४
२३ . .	९६, ९७
२४क (नया) . . .	५०३

†मूल अंग्रेजी में ।

खण्ड संख्या	संशोधन की संख्या
२५ .	१५८
२७ .	५०२
३० .	५०८
४९ .	४२५, ४२६
तृतीय अनुसूची	५०५
५० .	९, २२५, १११, ३१३ (१११ के समान)
५१	११२, ३१४ (११२ के समान)
५२ .	११४, ३१५ (११४ के समान)
५४	४६८
६२ .	४०९
६६ . .	२५६
६७ .	२०९

सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये

सदस्य का नाम	सशोधन संख्या
खण्ड १७—क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना	
श्री उ० मू० त्रिवेदी . . .	२८ (श्री न० रा० मुनिस्वामी द्वारा ३ अगस्त को प्रस्तुत संशोधन संख्या ३०४ के समान)
श्री नम्बियार . .	१५६
श्री वि० घ० देशपांडे	२२९, २३०, २३१, २३२
खण्ड १८—परिषदों का गठन	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	९१,९२,९३ (संशोधन संख्या ९२ और ९३ श्री न० रा० मुनिस्वामी द्वारा प्रस्तुत संख्या ३०७ और ३०८ के समान है ।)
खण्ड १९—परिषद की बैठक	
श्री उ० मू० त्रिवेदी .	९४ (श्री न० रा० मुनिस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ३०९ के समान)
खण्ड २३—परिषदों के कृत्य	
श्री उ० मू० त्रिवेदी . . .	९६, ९७ (श्री न० रा० मुनिस्वामी द्वारा प्रस्तुत संख्या ३१० और ३११ के समान)

[उपाध्यक्ष महोदय]

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या

नया खण्ड २४ क

श्री सारंगधर दास . . . ५०३

खण्ड २५—संविधान की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

श्री नम्बियार . . . १५८

खण्ड २७—रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उप-चुनाव

श्री आनन्द चंद ५०२

खण्ड ३०—गठन में परिवर्तन आदि

श्री न० प्रा० नथवानी ५०८

खण्ड ४९—कतिपय निर्वाचनों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . ४२५, ४२६

तृतीय अनुसूची

श्री केशव अय्यंगार . . . ५०५

खण्ड ५०—नये राज्यों के लिये उच्च न्यायालय

डा० रामा राव (काकिनाडा) ८

श्री गाडिलिंगन गौड़ २५५

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . १११

श्री न० रा० मुनिस्वामी (बान्दिवाश) ३१३ (श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १११ के समान)

खण्ड ५१—कतिपय न्यायालयों को समाप्त करना

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . . ११२

श्री न० रा० मुनिस्वामी . . . ३१४ (श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ११२ के समान)

खण्ड ५२—प्रधान न्यायासन और अन्य स्थान आदि

श्री उ० मू० त्रिवेदी . ११४

श्री न० रा० मुनिस्वामी . . ३१५ (श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ११४ के समान)

सदस्य का नाम **संशोधन संख्या**

खण्ड ५४—एडवोकेट के नामांकन आदि की शक्ति

श्री न० रा० मुनिस्वामी . . ४६५

खण्ड ६२—मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को कार्यवाही का हस्तान्तरण

श्री उ० मू० त्रिवेदी ४०९

खण्ड ६६—आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय

श्री गाडिलिगन गौड़ (कुरनूल) . २५६

खण्ड ६७—मद्रास में मिलाये जाने वाले क्षेत्रों के लिये उच्च न्यायालय

श्री नेसामनी २८९

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सब संशोधन अब सभा के समक्ष हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या खण्ड २ से १५ में कुछ और नये संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं है । कतिपय संशोधनों की सूचना दी गई थी और उन्हें प्रस्तुत करने के लिये चुन लिया गया था । समय पर इसकी घोषणा नहीं की जा सकी । केवल यही अन्तर है अन्यथा नये संशोधनों की अनुमति नहीं दी गई है । चर्चा समाप्त होने पर नये संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ।

†**डा० रामा राव** : मैंने खण्ड ५० पर संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत किया है । खण्ड ५० के अधीन महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य तथा भाग ग बम्बई राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा । मैंने अपने संशोधन द्वारा यह अपेक्षा की है कि बम्बई के वर्तमान उच्च न्यायालय को महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय बना देना चाहिये क्योंकि मैंने अपने पहले संशोधन के द्वारा बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाना चाहा है । एक तीसरा संशोधन गुजरात राज्य के लिये नवीन न्यायालय बनाने के सम्बन्ध में है ।

श्रीमान्, आप जानते हैं कि द्विभाषाभाषी राज्य का प्रस्ताव फिर उठाया गया । परन्तु गुजरात तथा महाराष्ट्र के दो राज्य बनाने के प्रस्ताव के कारण मेरा संशोधन बडा महत्त्वपूर्ण है । गुजरात की जनता को महागुजरात मिल गया है तथा वह लोग अपना अलग उच्च न्यायालय बनाकर बड़े प्रसन्न होंगे ।

मेरे पहले संशोधन के अनुसार बम्बई नगर महाराष्ट्र राज्य में सम्मिलित होना चाहिये । तथा इन संशोधनों पर अभी मतदान नहीं हुआ है इसलिये मेरा सुझाव है कि दो उच्च न्यायालय बनने चाहिये । एक उच्च न्यायालय से हम जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं ।

आन्ध्र के सम्बन्ध में, विधेयक के प्रस्ताव से मैं सहमत हूं । मेरा यही कहना है कि यथासंभव सभी बैंकों को एक स्थान पर रखना चाहिये तथा यह स्थान है दराबाद होना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने पता लगाया तथा मुझे ज्ञात हुआ कि ये संशोधन खण्ड १६ से ४९ के हैं तथा खण्ड २ से १५ के नहीं हैं । इन संशोधनों की सूचना शुक्रवार तथा शनिवार को मिली थी । प्रातःकाल इनके सम्बन्ध में घोषणा कर दी जानी चहियें थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया । जैसा मैंने पहले कहा, चर्चा समाप्त होने पर नवीन संशोधन नहीं लिये जायेंगें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अच्युतन** (क्वेंगनूर) : मैं डा० रामा राव के दो उच्च न्यायालय बनाने के विचार से सहमत नहीं हूं। केरल उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में यद्यपि विधेयक में उपबन्ध है तथापि इसके बारे में कुछ संदेह सा है। यद्यपि भाग ख राज्यों के न्यायाधीशों को कम वेतन मिलता है और इसीलिये उनके न्याय की उतनी महत्ता नहीं मानी जा सकती जितनी कि मद्रास, बम्बई, तथा कलकत्ता के न्यायालयों के निर्णयों की, तथापि मुझे प्रसन्नता है कि विभेद समाप्त कर दिया गया है। परन्तु मेरा भी श्री त्रिवेदी के समान यही कहना है कि जब वरिष्ठ न्यायाधीशों का प्रश्न आता है तब ऐसा न हो कि अधिक वेतन पाने वाले भाग क के राज्यों के न्यायाधीशों को अधिक महत्त्व दिया जाये। सभी को इसी की शंका है।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के मम्बध में यह कहना चाहता हूं कि वहां के न्यायाधीशों को भी मद्रास न्यायालय के न्यायाधीशों से कम वेतन मिलता है इसलिये मैं यही चाहता हूं कि सरकार इस शंका का निवारण करे कि इन न्यायाधीशों को इस प्रकार की किसी कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा।

इस विधेयक में यह उपबन्ध भी है कि राष्ट्रपति, सम्बन्धित सरकारों से परामर्श करके उच्च न्यायालय की और भी बैंचें स्थापित कर सकता है। त्रिवेन्द्रम में अभी एक बैंच है। संभवतया मलाबार बन जाने पर वहां की जनता भी अलग बैंच की मांग करे। यह उचित भी है। मैं यह नहीं चाहता कि प्रत्येक ताल्लुके में एक बैंच हो परन्तु हमें जनता की कठिनाई पर अधिक ध्यान देना चाहिये। मैं विधेयक के उपबन्धों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस कथन से सभी सहमत होंगे कि नवीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कोई हानि नहीं होनी चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन क्रम समान रखे हैं। इस सभा तथा राज्य सभा में चर्चा के समय सभी सदस्यों का यही विचार था कि वेतनक्रमों में भिन्नता रखना उचित नहीं है। उस समय माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि यदि मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन तथा राजस्थान की सरकारें, अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतनक्रम अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान कराने के पक्ष में होंगी तो वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी। संयुक्त समिति में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि कोई भिन्नता नहीं रहनी चाहिये तथा विधेयक में से यह उपबन्ध हटा देना चाहिये। संयुक्त समिति ने इस निर्णय के साथ साथ यह भी निर्णय किया है कि भाग ख राज्यों के उच्च न्यायालयों को समाप्त कर देना चाहिये तथा राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नवीन उच्च न्यायालय में नवीन नियुक्तियां करनी चाहिये। जो भय श्री अच्युतन को है वही मुझे भी है। संविधान में भाग क तथा ख समान माने गये हैं, परन्तु वेतन क्रम में भिन्नता होने के कारण भाग ख के न्यायाधीशों से भाग क के न्यायाधीशों के समान व्यवहार नहीं होगा। संविधान लागू होने के पश्चात् बहुत सी नियुक्तियां की गईं परन्तु आपको यह जानकारी होगी कि भाग ख राज्य का कोई भी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया है अच्छे तथा बुरे न्यायाधीश सभी न्यायालयों में होते हैं तथा किसी न्यायाधीश के विरुद्ध इस बात पर विभेद नहीं किया जायेगा कि वह भाग 'ख' का है मैं तो यह कहूंगा कि भाग ख राज्यों के कुछ निर्णय भाग क राज्यों से भी अच्छे हैं, परन्तु फिर भी उनको भाग क के न्यायाधीशों से निम्न स्तर का समझा जाता है। इसलिये वेतनक्रम की भिन्नता हटा देनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि भाग ख राज्यों के न्यायाधीशों के स्थान पर भाग क राज्यों के न्यायाधीशों को अधिक मान्यता देना उचित नहीं होगा। विधेयक के अनुसार कुछ उच्च न्यायलयों को समाप्त करना होगा तथा यह भाग ख राज्यों के होंगे। मैं इससे बिल्कुल

†मूल अंग्रेजी में।

भी सहमत नहीं हूं । जिन भाग ख राज्यों में उच्च न्यायालय हैं उनमें इनको समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है । मैं संयुक्त समिति के इस उपबन्ध से सहमत नहीं हूं कि भाग ख राज्यों के न्यायालय समाप्त किये जायें ।

यह कहा जाता है कि भाग ख के न्यायालयों को भाग क के न्यायालय बनाने के कारण भाग ख न्यायालयों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है । मुझे यह तर्क अजीब लगता है । सिवाय संविधान के अनुच्छेद २१७ के अंतर्गत, कोई भी न्यायाधीश हटाया नहीं जा सकता है । इसलिये यह उचित नहीं है कि संविधान में दी गई गारंटी में हस्तक्षेप किया जाये ।

मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि भाग क राज्यों के न्यायाधीशों को केवल इसलिये अधिक मान्यता नहीं देनी चाहिये कि उनका वेतन क्रम अधिक है ।

मैं सभा के समक्ष एक बात और रखना चाहता हूं । जब भाग ख राज्यों के उच्च न्यायालय बनाये गये थे तब राष्ट्रपति ने जिनको उचित समझा वह व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे । इसलिये सभी न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से की गयी थी और इसलिये इनको भाग 'क' के न्यायाधीशों के समस्तल पर न रखना उचित नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : प्रादेशिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ प्रदेश नवीन राज्यों में मिलाये जाने की अपेक्षा की गयी है तथा कुछ वर्तमान राज्यों से निकाले जाने की और मैं यही कहना चाहता हूं कि इन प्रदेशों के एडवोकेटों को नवीन राज्यों में भी वही सुविधायें मिलनी चाहिये जो उनको पुराने राज्यों में मिलती थीं । इसी सम्बन्ध में मैंने संशोधन संख्या ४६८ प्रस्तुत किया है । मेरा ख्याल है कि इस पर संयुक्त समिति ने विचार नहीं किया है । मेरा सुझाव है कि पुराने राज्यों के एडवोकेटों को नवीन राज्यों में ठीक वही सुविधायें तथा अधिकार दिये जाने चाहियें जो उनको वहां प्राप्त थे ।

उच्च न्यायालयों की समाप्ति के सम्बन्ध में यह शंका है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त किया जायेगा अथवा नहीं । मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री आश्वासन दें कि वर्तमान उच्च न्यायालयों की समाप्ति पर न्यायाधीशों को पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा तथा न्यायाधीशों को कोई भय नहीं हैं ।

†**पंडित मु० बि० भार्गव** (अजमेर-दक्षिण) : खण्ड ५२ के अधीन राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की स्थापना के स्थान का निर्णय करेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि खण्ड ५२ के उपखण्ड (१) तथा (२) के बीच कुछ विभिन्नता है । जहां तक उच्च न्यायालय की स्थायी बैंच का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से इनके बारे में परामर्श लेंगे । परन्तु जहां तक उच्च न्यायालय की स्थापना के स्थान का प्रश्न है, उसका राष्ट्रपति ही निर्णय करेंगे ।

अजमेर राज्य अब राजस्थान में मिलाया जा रहा है तथा राजधानी के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं किया गया है । इसका निर्णय करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है तथा उच्च न्यायालय की स्थापना के स्थान का निर्णय करने की भी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की ही है । मेरा निवेदन है कि अजमेर राजस्थान के मध्य में है तथा सभी स्थानों से आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है । इसलिये समस्त राजस्थान के हित के लिये अजमेर में उच्च न्यायालय स्थापित करना चाहिये ।

उप-खण्ड (२) के सम्बन्ध में में यह कहना चाहता हूं कि स्थायी बैंचों को कई स्थानों पर स्थापित करना उचित नहीं है । परन्तु यदि कार्य इतना अधिक है कि विभिन्न स्थानों पर इन बैंचों को रखना आवश्यक हो तो मामला दूसरा है । राजस्थान के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[पं० मु० बि० भार्गव]

इतने मामले नहीं होते जिनके कारण उच्च न्यायालय की कई बैंचें स्थापित की जायें। मेरा यह नम्र निवेदन है कि अजमेर की स्थिति तथा महत्त्व को ध्यान में रख कर, केन्द्रीय सरकार को अजमेर में राजस्थान के नवीन राज्य के उच्च न्यायालय को रखना चाहिये।

†**श्री दातार** : इस विधेयक के सिलसिले में उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में दो तीन प्रश्न उठाये गये हैं।

†**श्री सिंहासन सिंह** (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : श्रीमान् मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक के भाग ४ तथा संविधान संशोधन विधेयक में, जो कि संयुक्त समिति से प्राप्त हुआ है, कुछ अन्तर है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बहुत देरी से उठे हैं। अब मैंने माननीय मंत्री को बोलने के लिये कह दिया है अतः अब बीच में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जानी चाहिये।

†**श्री दातार** : यह प्रश्न उठाया गया है कि सभी उच्च न्यायालयों को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिये। सभी में एक ही जैसे वेतन क्रम होने चाहियें और संयुक्त समिति द्वारा भाग 'ख' राज्यों में उच्च न्यायालयों को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी।

'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में हमें उनके शनैः शनैः होने वाले विकास को देखना चाहिये। पहले 'ख' राज्यों में कई देशी राज्य थे और अभी हाल तक इनमें से प्रत्येक में एक उच्च न्यायालय हुआ करता था। कई अवस्थाओं में वहां के शासक के न्याय के मामले में भी अनन्य सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे, किन्तु बाद में तत्कालीन वायसराय के परामर्श से भिन्न-भिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना कर दी गई। इसके बाद जब इन राज्यों को मिला कर 'ख' राज्य बनाये गये उस समय यह प्रश्न उठा कि क्या इनके प्रत्येक प्रदेश में नये उच्च न्यायालय बनाये जायें और यदि बनाये जायें तो किस आधार पर। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्य देखा गया। मैं इसके लिये "छानबीन" शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत अच्छा शब्द नहीं है। तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्य पर विचार किया गया और उसके आधार पर उनमें से कुछ लोगों को 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों में नियुक्त कर दिया गया। इस दिशा में यह सबसे पहला कदम था।

इस सम्बन्ध में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि अधिकतर देशी राज्यों में इनका वेतन क्रम बहुत थोड़ा था। मैसूर में भी विलय से पहले उच्च न्यायालय के एक सामान्य न्यायाधीश का वेतन १,५०० रुपये था और मुख्य न्यायाधीश का वेतन २,००० रुपये था, जब कि संविधान के बनने से पहले 'क' राज्यों में एक सामान्य न्यायाधीश का वेतन ४,००० रुपये था और मुख्य न्यायाधीश का ४,५०० रुपये। विलय के बाद 'ख' राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना के बाद से हम वेतन क्रमों में यथासम्भव एकरूपता लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु राज्य सरकारें कुछ कठिनाइयों के कारण, और वे स्वाभाविक भी हैं, इस बात से सहमत नहीं हैं कि 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन क्रम 'क' राज्यों के न्यायाधीशों के बराबर रखें जायें। इसलिये, जब अभी हाल ही में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के समय यह मामला हमारे सामने आया था उस समय भी हमें इस अन्तर का ध्यान रखना पड़ा था।

मैं माननीय सदस्यों को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि 'क' राज्यों में सभी उच्च न्यायालयों म मुख्य न्यायाधीश का वेतन ४,००० रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का ३,५०० रुपये। किन्तु 'ख' राज्यों में कोई एकरूपता नहीं है। राजस्थान, हैदराबाद, मध्य भारत और पेप्सू के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ३,००० रुपये प्रतिमास है और अन्य न्यायाधीशों

---

†मूल अंग्रेजी में।

का २,५०० रुपये सौराष्ट्र में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ३,००० रुपये है। और अन्य न्यायाधीशों का २,००० रुपये मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन में मुख्य न्यायाधीश का वेतन २,५०० रुपये है और अन्य न्यायाधीशों का २,००० रुपये प्रतिमास। इस प्रकार आपको आज भी 'ख' राज्यों तथा 'क' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन क्रमों में अन्तर दिखाई देगा।

इस विधेयक का मसौदा बनाते समय सरकार के सामने दो रास्ते थे। प्रथम, कि वह वेतन क्रमों को एक जैसे स्तर तक न बढ़ावे। यह कुछ राज्य सरकारों का मत था। राज्य सरकारों को ही न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीश का वेतन देना पड़ता है। इसलिये उनको इस विषय में अपना मत प्रकट करने का पूरा अधिकार है। फिर सवाल यह उठा कि क्या इन वेतन क्रमों को मुख्य न्यायधीश के लिये ४,००० रुपये और अन्य न्यायाधीशों के लिये ३,५०० रुपये किया जाना चाहिए। इस प्रकार मैसूर अथवा त्रावनकोर-कोचीन अथवा सौराष्ट्र के एक सामान्य न्यायाधीश को २,००० रुपये की बजाय ३,५०० रुपये देने पड़ते इससे उनके वेतन में एक दम १,५०० रुपये की वृद्धि हो जाती। इसी प्रकार इन स्थानों के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन भी १,५०० रुपये बढ़ जायेगा। अब हमारे सामने यह प्रश्न था कि क्या एकरूपता लाने के लिये वेतनों में इतनी अधिक वृद्धि करके राज्य सरकारों पर इस प्रकार यह अतिरिक्त भार डाला जाये अथवा नहीं।

जब हमने उनसे मशविरा किया तो कई राज्यों ने और खास कर राजस्थान, मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन के तीन राज्यों ने यह विचार प्रगट किये कि वेतन क्रम नहीं बढ़ाये जाने चाहिये। और माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इसके पीछे पर्याप्त तर्क था। उन्होंने यह कहा कि अगर वे न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के वेतन को बढ़ायेंगे तो कई अन्य प्रकार के निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी भी इसी सादृश्य पर ऐसा ही दावा कर सकते हैं। इसलिये उन्होंन यह कहा ह कि वेतन क्रमों में कोई दखल नहीं दिया जाना चाहिये और उन्हें जैसे का तैसे रहने देना चाहिये। उनकी यह आपत्ति, खास कर वित्तीय आधार पर, बड़ी प्रबल थी।

† **श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री द्वारा वर्णित राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को वहां पर काम करने वाले आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के अधिकारियों के भी वेतन देने पड़ते हैं जैसे डी० एस० पी० . . . . . .

† **श्री दातार** : जहां तक आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के अधिकारियों के वेतन का प्रश्न है, वह एक सर्वथा भिन्न बात है। ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अतः इनका वेतन क्रम सर्वत्र एक समान होना बड़ा आवश्यक है। यही कारण है कि उक्त अधिकारी चाहे जहां भी जायें उन्हें एक ही जैसा वेतन मिलता ह। यद्यपि उसी राज्य में यदि वही कार्य किसी पी० सी० एस० द्वारा किया जाये तो उसे कम वेतन मिलता है। मुझे उनसे बड़ी सहानुभूति ह। किन्तु हमें अखिल भारतीय सेवाओं का अखिल भारत में एक ही स्वरूप रखने का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिये हम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी एक ही वेतन क्रम रखना चाहते हैं और यदि वह सभा इस विधेयक को पास कर देगी तो इस सम्बन्ध में भी सब जगह एकरूपता हो जायेगी। हमने इस सम्बन्ध में भी वही आधार माना जो कि अखिल भारतीय सेवाओं में। इसलिये अब माननीय सदस्यों के आपत्ति करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। वैसे मुझे उनकी आपत्ति से पूर्ण सहानुभूति है मगर मैंने इसके बारे में कठिनाइयों का पहले उल्लेख कर दिया है।

पुनः मुख्य विषय की ओर आते हुए, जब यह वित्तीय आपत्ति उठाई गई उस समय फिर हमारे सामने दो रास्ते थे। एक, सब के वेतनक्रम समान स्तर तक बढ़ा दिये जायें। दूसरा किन्हीं उच्च न्यायालयों को अपने वेतन क्रम स्वयं नियत करने के लिये छोड़ दिया जाता। इसी आधार पर जब लोक-सभा में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो उसके

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

खंड २२ में यह उपबंधित कर दिया गया था कि जहां तक अन्य सभी उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है, उनके मुख्य न्यायाधीशों को, ४,००० रुपये वेतन मिलेगा और न्यायाधीशों को ३,५०० रुपये। वहां पर हमने केरल, मैसूर और राजस्थान के उच्च न्यायालयों को अपवाद के रूप में रख दिया था। इनके मुख्य न्यायाधीशों को ३,००० रुपये और न्यायाधीशों को २,५०० रुपये वेतन मिलेगा। हमारा मूल प्रस्ताव यह था। अगर अब यही स्थिति बनी रहती है तो उक्त तीनों स्थानों के सभी न्यायाधीश वैसे ही बने रहते क्योंकि वे उच्च न्यायालय में भी काम करते रहते। किन्तु संयुक्त समिति ने यह निश्चय किया है कि क्योंकि अब 'क' और 'ख' राज्यों का भेद मिटने जा रहा है इसलिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये सर्वत्र एक ही समान वेतन क्रम होना चाहिये। इनमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये।

अब क्योंकि संयुक्त समिति ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया इसलिये सरकार को 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों की स्थिति पर फिर से विचार करना पड़ गया है। मैंने 'ख' राज्यों में उच्च न्यायालयों के विकास का उल्लेख पहले कर दिया है। मेरे एक माननीय मित्र ने भी इस ऐतिहासिक सम्बन्ध का वर्णन किया है। लेकिन संविधान के अनुसार तथा संसद् द्वारा दो वर्ष पहले पारित किये गये 'क' राज्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश अधिनियम के अनुसार अब हम न्यायाधीशों को निकाल नहीं सकते हैं और न ही उनके कार्य पर विचार कर सकते हैं। इसलिये हमने इन स्थानों के उच्च न्यायालयों को बिल्कुल समाप्त करने का निश्चय किया है। इस स्तर पर मैं यह कह सकता हूं कि सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, 'ख' राज्यों के न्यायाधीशों समेत, आज बहुत आवश्यक कार्य कर रहे हैं और वे इसे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इन सब न्यायाधीशों के कार्य को एक समान बना सकते हैं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, जिसका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, क्या हम 'क' तथा 'ख' राज्यों के न्यायाधीशों के कार्य को एक कर सकते हैं? मान लीजिये यदि संयुक्त समिति ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर भी लिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन क्रम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये, फिर भी हमें यह देखने का अवसर मिलना चाहिये कि क्या ये न्यायाधीश एक ही स्तर पर पहुंच गये हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम यह देखें कि क्या उनका कार्य सन्तोषजनक है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में तो मैं स्पष्टतया यह कह सकता हूं कि 'क' तथा 'ख' राज्यों के सभी न्यायाधीशों का कार्य सन्तोषजनक था।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली): माननीय गृह-कार्य मंत्री ने तो यह कहा था कि हमारा इरादा यह है कि केवल एक शर्त के अधीन ये सभी न्यायाधीश वैसे ही बनें रहेंगे अर्थात् यदि मुख्य न्यायाधीश इनका समर्थन कर देंगे तो ये सभी बने रहेंगे। मेरे विचार में सरकार का यह इरादा अब भी वैसा ही है?

† **श्री दातार**: मैं इसी बात पर आ रहा हूं।

तो, जब यह वेतन क्रम की समानता का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया अथवा यह मान लिया गया कि सभी एक जैसे स्तर पर पहुंच गये हैं तब सरकार को यह विचार करना पड़ा कि इन उच्च न्यायालयों की समाप्ति के बाद यहां के न्यायाधीशों की क्या स्थिति होगी। समानता लाने के लिये 'ख' राज्यों में उच्च न्यायालयों का समाप्त करना बड़ा आवश्यक था। क्योंकि हमें सभी न्यायाधीशों को एक जैसी स्थिति में रखना था।

† **श्री नि० चं० चटर्जी**: न्यायाधीशों में समानता!

† **श्री दातार**: संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ७ पर यह कहा था कि उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव करने तथा उनकी नियुक्तियां करने के लिये, जो कि 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थान पर रखे जायेंगे, एक ही जैसा वेतन दिया जाना

---

†मूल अंग्रेजी में।

बड़ा आवश्यक है। उसने यह सिफारिश भी की थी कि 'ख' राज्यों के उच्च न्यायालय समाप्त कर दिये जाने चाहिये। उक्त कारण से ही ये उच्च न्यायालय समाप्त किये गये हैं। अन्यथा हमारे लिये किसी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव नहीं हो सकता था। यह सब कुछ मैं ने इस सिद्धान्त के बारे में कहा है कि कुछ उच्च न्यायालयों को क्यों हटाना पड़ा।

इसका तात्पर्य यह नहीं कि केवल उच्च न्यायालयों को हटा देने से सेवा की शर्तें उनके हित में नहीं रहेंगी अथवा न्यायाधीश बिल्कुल हटा ही दिये जायेंगे या उनकी छंटनी कर दी जायेगी। सरकार का यह विचार बिल्कुल ही नहीं है। सरकार उस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये जिस पर चुनाव किया जाता है, यथा सम्भव अधिकाधिक न्यायाधीश रखना चाहती है। इनका चुनाव सरकार भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य पदाधिकारियों के परामर्श से करेगी। अतः मैं एक सामान्य आश्वासन के रूप में कह सकता हूं कि सरकार यह नहीं चाहती कि जो न्यायाधीश सन्तोषजनक ढंग से अपना कार्य करते रहे हैं उनकी तत्काल ही छंटनी कर दी जाये। हम मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से यथासम्भव अधिकाधिक न्यायाधीशों को खपाने का विचार करते हैं और यही कारण है कि "चुनाव" शब्द का उपयोग किया गया है। यदि किसी विशेष मामले में जहां तक उच्च न्यायालयों का सम्बन्ध है सरकार और मुख्य न्यायाधिपति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सामान्य स्थिति की स्थापना करने की दृष्टि से अत्यधिक प्रतिभाशाली और योग्य न्यायाधीश रखना वाँछनीय है, तो यह अनिवार्य है कि कुछ न्यायाधीशों को हटाना पड़ेगा। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त नहीं किये जा सकते तो उन्हें किन्हीं अन्य अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाये। अतः मैं यह सामान्य आश्वासन देता हूं कि उनका काम कैसा है और किस सिद्धान्त पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये इन बातों को देखते हुये ये सारे लोग ले लिये जायेंगे। अतः आप देखेंगे कि न्यायाधीशों के साथ अन्याय करने की हमारी इच्छा नहीं है, जैसा कि हमारे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है। हमारे न्यायाधीश समान और सन्तोषजनक ढंग से न्याय कार्य कर रहे हैं, अतः उनके साथ अन्याय करना उचित नहीं होगा। अतः जहां तक हो सकेगा हम उनके साथ न तो अन्याय होने देंगे और न उनकी स्थिती पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने देंगे। यदि आप इन दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखें तो देखेंगे कि संयुक्त समिति ने जो कुछ किया है उचित किया है।

उसने भाग ख के राज्यों के सभी उच्च न्यायालय समाप्त कर दिये हैं और सरकार और मुख्य न्यायाधिपति को यह अवसर दिया है कि उनमें से वे ऐसे व्यक्तियों को चुन लें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाये जाने के योग्य हों क्योंकि सारे उच्च न्यायालय अब समान स्तर के हो गये हैं।

मैं इससे सहमत हूं कि जहां तक कार्य का सम्बन्ध है वेतन का प्रश्न इतना अधिक महत्व नहीं रखता। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, जहां तक मुख्य न्यायाधिपति और अन्य न्यायाधीशों के वेतनों का सम्बन्ध है, जब कि १,५०० रुपये प्रति मास का अन्तर है और जब कि हम इन को १,५०० रुपये प्रतिमास और देने जा रहे है तो क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि हम यह पता लगाये कि उन्होंने कैसा काम किया है और फिर उनका चुनाव कर सकें? मैं केवल "चुनाव की प्रक्रिया" ही इसे कहूंगा। क्या इस बात से सहमत होगी कि जो सिद्धान्त संयुक्त समिति ने निर्धारित किये हैं वे बड़े सुदृढ़ है और यही कारण है कि वर्तमान भाग ख राज्यों में न्यायाधीशों के चुनाव और उनकी नियुक्ति करने में सुविधा की दृष्टि से उच्च न्यायालय हटाने पड़े हैं। किन्तु बाद में उन्हें एक ही स्तर पर रख दिया जायेगा। मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वेतन क्रमों में इतनी असमानता होने से उनकी स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा और जैसा कि सभा को विदित है संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरण हो सकता है। ऐसे न्यायालयों के न्यायाधीशों को जिनका कम वेतन हो अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानान्तरित करने में कठिनाई होगी। अतः संयुक्त समिति ने ऐसे न्यायालयों

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

को हटा कर ठीक ही किया है। न्यायाधीशों को चुनने का अधिकार देने का निर्णय भी संयुक्त समिति का ठीक है। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस अधिकार का बहुत सोच-विचार कर उपयोग करेंगे और सभी सम्बन्धित दलों के साथ न्याय करेंगे।

मेरे मित्र श्री नेसामनी ने एक आपत्ति उठायी थी।

† **श्री ब० द० पांडे** (जिला अल्मोड़ा—उत्तर-पूर्व) : क्या सारे न्यायाधीशों के लिये अखिल भारतीय पदालि होगी और क्या उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादला भी हो सकेगा ?

† **श्री दातार** : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। जहां तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना करने का सम्बन्ध है, जिसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। जिस प्रकार अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवायें आदि हैं इसी प्रकार एक सुझाव यह भी है कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी होनी चाहिये। किन्तु यह विषय ऐसा है जिस पर हमें राज्य सरकारों की भी सम्मति लेनी चाहिये जिसके पक्ष में सामान्यतः राज्य सरकारें नहीं हैं। अतः जब तक कि राज्य सरकारें इसके लिये सहमत न हों कि हम एक नयी सेवा का निर्माण करें, तब तक इस सम्बन्ध में केन्द्र के लिये कोई निर्णय कर सकना बड़ा कठिन होगा।

जहां तक मेरे मित्र श्री नेसामनी के संशोधन संख्या २०९ का सम्बन्ध है, मैं उनका ध्यान खण्ड ६८ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को, जिसे नियत दिनांक से पूर्व विद्यमान राज्य के उच्च न्यायालय में वकालत करने का अधिकार प्राप्त था, किसी अन्य न्यायालय में उन्हीं कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वकालत करने का अधिकार होगा।

तत्पश्चात् मैं उनका ध्यान खण्ड ५४ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके परन्तु क के अनुसार हस्तान्तरित भूभाग में भी अधिवक्ताओं को वकालत करने का अधिकार रहेगा।

† **श्री नेसामनी** (नागर कोइल) : यह खण्ड तो विद्यमान राज्यों में नहीं अपितु नये राज्यों में लागू होता है।

† **श्री दातार** : खण्ड ५४ इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि यह चीज नये पुराने सभी राज्यों के साथ लागू होती है।

जहां तक हैदराबाद उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, उसके लिये हमने विशेष उपबन्ध किया है कि जो खण्ड ६६(४) में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि नियत दिनांक से पूर्व जिस व्यक्ति को हैदराबाद के उच्च न्यायालय में वकालत करने का अधिकार था, उसे नियत दिनांक से आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में भी वकालत करने का अधिकार प्राप्त होगा।

जहां तक त्रावणकोर-कोचीन के अधिवक्ताओं का सम्बन्ध है, यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता हुई तो या तो मैं माननीय मित्र का संशोधन स्वीकार कर लूंगा अथवा नया संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

अतः मैं आपसे निवदन करूंगा कि इस खण्ड पर मतदान न लें क्योंकि जहां तक हस्तांतरित भूभागों का सम्बन्ध है, मैं अधिवक्ताओं को कोई असुविधा नहीं होने देना चाहता।

† **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या राजस्थान और मध्य भारत के अधिवक्ताओं के लिये भी इसी प्रकार का उपबन्ध किया जायेगा ?

† **श्री दातार** : मैं समझता हूं उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

† **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : उनके लिये भी कठिनाई है।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : इसकी जांच की जा सकती है। मैं इन खण्डों पर आज मतदान नहीं करवा रहा हूं।

† **श्री दातार** : मैं इस सबकी जाँच कर लूंगा और यदि कोई कठिनाई हुई तो निश्चय ही उसे दूर कर दूंगा।

† **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : एक बहुगर्भित नियम बनाया जा सकता है।

† **श्री दातार** : डा० रामा राव ने जो प्रश्न उठाया वह द्विभाषी राज्य के सम्बन्ध में नीति का प्रश्न है जिसके बारे में माननीय सदस्य चार-पांच दिनों से बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं कोई सम्मति प्रकट नहीं करूंगा।

मैं यह बताना चाहूंगा कि होना यह चाहिये कि या तो महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई तीनों के लिये उच्च न्यायालय होने चाहिये अथवा अलग न्यायिक प्रबन्ध होना चाहिये। मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरे मित्र महाराष्ट्र और बम्बई नगर को बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किस प्रकार रखना चाहते हैं और गुजरात को उससे वंचित रखना चाहते हैं।

† **डा० रामा राव** : मेरा संशोधन गुजरात के लिये अलग उच्च न्यायालय बनाने और वर्तमान बम्बई के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र में, जिसमें बम्बई भी सम्मिलित है, रखने के बारे में है।

† **श्री दातार** : अन्ततोगत्वा यह एक ही बात हो जाती है।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक अलग उच्च न्यायालय केवल गुजरात के लिये चाहते हैं, महाराष्ट्र के लिये नहीं।

† **श्री ब० ये० रेड्डी** (करीमनगर): वह गुजरात के लिये अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने की बात कह कर गुजरात का पक्ष ले रहे हैं।

† **श्री दातार** : मैं बात तो समझ गया किन्तु इसका तर्क नहीं समझ सका। या तो जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित किया गया है, महाराष्ट्र, गुजरात और बम्बई के लिये एक सम्मिलित उच्च न्यायालय होना चाहिये अथवा हमें अलग न्यायिक प्रबन्ध करने चाहिये जिससे कि जहां तक गुजरात और महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, उनके लिये अलग उच्च न्यायालय हो जाता है और बम्बई के बारे में यह विचार करना होगा कि वहां उच्च न्यायालय होना चाहिये अथवा न्यायिक आयुक्त का न्यायालय हो। यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है।

किन्तु माननीय सदस्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय में जो विभेद कर रहे हैं वह मैं नहीं समझ सका। जहां तक न्याय सम्बन्धी कार्य का सम्बन्ध है, बम्बई और गुजरात को एक साथ क्यों न रख दिया जाये ?

† **डा० रामा राव** : मेरे संशोधनों में, जिन पर अभी तक मतदान नहीं हुआ है, यह कहा गया है कि बम्बई नगर महाराष्ट्र का एक भाग होना चाहिये।

† **श्री दातार** : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, बम्बई के भविष्य के बारे में यह एक विशद नीति का प्रश्न बन जाता है। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन पर इस प्रक्रम पर जोर न दें। देखें कल क्या होता है ?

इस सम्बन्ध में उठाई गई तीनों बातों का उत्तर मैं दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

† **श्री नम्बियार** : यदि ऐसी स्थिति है तो मतदान कैसे हो सकेगा ?

† **उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की इच्छा से सहमत हूं और मतदान कल तक के लिये स्थगित करता हूं ।

खण्ड ७११ से १४ और अनुसूची ४ से ६

† **उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ पर विचार करेगी जिसके लिये चार घंटे नियत किये गये हैं । जो माननीय सदस्य इन खण्डों पर अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे सचिव को १५ मिनट के भीतर सूचित कर दें ।

† **श्री नेसामनी** : पहले मैं खण्ड ११३ के अपने संशोधन संख्या ४१७ के बारे में कहना चाहूंगा ।

प्रजा-समाजवादी दल की सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा में भूमि सुधार सम्बन्धी सात विधेयक पुर:स्थापित किये थे जिनमें से एक का नाम भूमि विशेषाधिकार (उन्मूलन) विधेयक है । यह विधेयक तीन भागों में बंटा हुआ है ।

कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपनी समाप्ति से पूर्व इदावागी अधिनियम पारित कर दिया था जिसके द्वारा काश्तकारों को वार्षिक लगान का ८-२/३ इदावागी मुखियों को प्रतिकर भुगतान के रूप में देना पड़ा था और उसके बाद से भूमि पर इदावागी मुखियाओं का कोई अधिकार नहीं रह गया । किन्तु श्री पद्मनाभस्वामी मन्दिर की तथा प्रासाद की सम्पत्ति के बारे में कांग्रेस ने कोई विधान नहीं बनाया ।

इसके पश्चात १९५२ में त्रावणकोर-कोचीन सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने इस पर विचार करके यह सिफारिश की काश्तकार को जितना शुद्ध लगान देना है उसका १६-२/३ भुगतान कर देने से मुखियाओं का मन्दिरों आदि पर कोइ अधिकार नही रह जायेगा । सरकार को समय नहीं मिलता कि वह अन्य दो भागों के बारे में भी विधान बनाये इसी कारण मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

जहां तक देवास्वम्स का सम्बन्ध है जो त्रावणकोर-कोचीन से मद्रास को हस्तान्तरित किया जाने वाला है, उसकी आस्तियों और दायित्वों का मामला तय हो चुका है ।

त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा द्वारा पारित इदावाकाई अधिनियम के अनुसार मैंने यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है कि नियत दिनांक को या उसके पश्चात् त्रिवेन्द्रम के श्री पद्मनाभ-स्वामी मन्दिर को प्रतिकर मिल जाने के बाद उसका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा । मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिकर पदाधिकारी प्रतिकर निर्धारित करेंगे ।

मेरा संशोधन विधेयक के केवल प्रवर्ती हिस्सों के बारे में है जो त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा को प्रस्तुत किया जा चुका है और जिसे प्रवर समिति ने भी देखा है ।

संशोधन संख्या ४१० का सम्बन्ध उस राशि के हस्तान्तरण से है जो कि हस्तान्तरित क्षेत्रों में लोक कार्यों के लिये निर्धारित की गई थी । त्रावणकोर-कोचीन से मद्रास में जाने वाले क्षेत्रों के लिये १३·८ लाख रुपये दिये गये थे परन्तु उस राशि में से हम पर एक पाई भी व्यय नहीं की गयी है । सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है । हम जब आय-कर अदा कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में हमारे लिये सुविधा-कार्य भी किये जाने चाहिये परन्तु बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता इसलिये मेरा निवेदन है कि वह राशि हमें दे दी जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

इससे इस बात की भी आशंका है कि इन क्षेत्रों के लिये जिन स्टोरों का हस्तान्तरण करना था वह भी न हो सकेगा। मैं चाहता हूं कि वे सभी स्टोर उन क्षेत्रों की आस्ति समझी जाय और उन्हें मद्रास राज्य के हवाले कर दिया जाय।

मैंने खण्ड ७७ सम्बन्धी अपने संशोधन नं० ४११ में यह निवेदन किया है कि उन क्षेत्रों के शिक्षा केन्द्रों तथा अस्पतालों आदि में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे उन्हें तत्काल संभरित कर दी जायं ताकि उन्हें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बारे में हम राज्य प्रमुख के सलाहकार से प्रार्थना कर चुके हैं परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिये मेरा निवेदन है कि इनकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाय तथा ३१ मार्च को जिन औषधियों आदि के क्रयादेश दिये गये थे, वे इन संस्थाओं को नियत तिथि से पहले अवश्य दिये जाय।

मेरे संशोधन संख्या ४१२ का सम्बन्ध एक राष्ट्रीयकृत कम्पनी से है। ावनकोर मिनरल कम्पनी नमक एक राष्ट्रीयकृत समवाय का एक भाग तो मद्रास राज्य में आ गया है जब कि दूसरा भाग केरल राज्य में है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव ह कि इस राष्ट्रीयकृत समवाय का जो भाग हस्तान्तरित क्षेत्र में हैं, उसे मद्रास राज्य को हस्तान्तरित कर दिया जाय और उसके प्रबन्ध कार्य का सारा भार मद्रास राज्य को सौंप दिया जाय।

दूसरी राष्ट्रीयकृत कम्पनी राज्य परिवहन कम्पनी है। अब क्योंकि यह क्षेत्र मद्रास राज्य में मिल रहे हैं इसलिये उन परिवहन बसों के एक अनुपातक अंश पर हमारा भी अधिकार है इसलिये वह अंश मद्रास राज्य को सौंप दिया जाय।

खंड ८७ के संशोधन संख्या ४१३ में मैंने वन रक्षण का उल्लेख किया है। वस्तुस्थिति यह है कि इन क्षेत्रों के हस्तान्तरित होने से कुछ समय पूर्व ही उन क्षेत्रों में से बहुत सी लकड़ी काट कर त्रावनकोर-कोचीन में भेज दी गई थी। यह एक अन्यायपूर्ण बात है, क्योंकि वह हमारी सम्पत्ति है। इसलिये वह हमारे हवाले कर दी जाय। मुझे आशा है कि मेरे इन संशोधनों पर अच्छी प्रकार से विचार किया जायेगा और उन्हें अवश्य स्वीकार कर लिया जायेगा।

† **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैंने कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं। अधिक महत्वपूर्ण संशोधन खण्ड संख्या १०२ के बारे में है जिसमें मैंने यह सुझाव दिया है कि वे वित्तीय निगम जो कि विभिन्न राज्यों में पहले स्थापित किये गये थे, उन्हें अब समाप्त कर दिया जाये और उनके स्थान पर नये प्रस्ताविक राज्यों में नये वित्तीय निगम स्थापित किये जायें। उन पुराने निगमों को समाप्त करने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि उनमें बिना किसी औचित्य के ही बहुत अधिक धन दे दिया गया था। वह धन तो ऐसे लोगों को दिया गया था जो कि सरकार को वोट दे सकें। अब जब कि हम नये विधान बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस काम को नये, योग्य तथा उत्साही लोग संभालें। पुराने निगमों के सभी लोग कांग्रेस के चाटुकार हैं। मुझे पता है कि मध्य भारत और राजस्थान में इतना अधिक रुपया केवल वोटें प्राप्त करने के लिये ही लुटा दिया गया ह। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह धन जो पुराने राज्यों को दिया गया है उसका भार नये राज्यों पर न पड़े। इसलिये उन पुराने निगमों को समाप्त कर दिया जाये और उनके स्थान पर नये निगम स्थापित किये जायें। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दिये गये अग्रिम धन वापिस न लिये जायें। वे अग्रिम धन तो बड़ी सस्ती से न केवल निगमों से बल्कि व्यक्तियों से भी वसूल किये जायें। अतः अन्त में फिर से निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये और पुराने निगमों को समाप्त कर दिया जाये।

† **श्री अच्युतन** : आस्तियों तथा दायित्वों के विभाजन के बारे में बहुत कठोरभाव व्यक्त किये गये हैं। परन्तु मैं श्री नेसामनी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि एक निश्चित क्षेत्र से कई लाख रुपयों की कीमती इमारती लकड़ी त्रावनकोर त्रिवेन्द्रम भेज दिया गया है। वहां पर तो राष्ट्रपति का प्रशासन था जिसमें इस प्रकार की घटना होना असम्भव है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अच्युतन]

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बारे में श्री नेसामनी को स्वयं कोई ज्ञान नहीं है, उनका यह संशोधन तो श्री गोपालन द्वारा पूछे गये एक प्रश्न पर ही आधारित ह। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रकार की भावुक बातों में बह न जायें।

पंडारावगाई तथा अन्य विधेयकों के बारे में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के संशोधन को प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसलिये उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

उन्होंने यह भी कहा ह कि कुछ राशियों को, जो व्यय नहीं की गई हैं, आस्तियां समझ लिया जाय। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि उनके मन में त्रावनकोर की राज्य सरकार और कांग्रेस के प्रति कोई अच्छे विचार नहीं हैं, इसीलिये वे चाहते हैं कि कुछ एक व्यय न की गई राशियों को आस्तियां समझा जाय और उन्हें मद्रास सरकार को दे दिया जाये। परन्तु इस बात का सम्बन्ध तो दोनों सरकारों से है, इसलिये इसका निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाये। इन बातों का राज्य पुनर्गठन विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये इन संशोधनों को स्वीकार करने में कोई औचित्य नहीं है।

†**श्री गाडीलिगन गौड़** : मेरे दो संशोधन हैं अर्थात् संशोधन संख्या २५५ तथा २५६। संशोधन २५५ में यह कहा गया है कि बम्बई को ग श्रेणी के राज्यों से निकाल कर महाराष्ट्र में मिला दिया जाये। महाराष्ट्र का बम्बई पर पूरा पूरा अधिकार है। और संशोधन संख्या २५६ में यह कहा गया है कि 'मैसूर' शब्द के स्थान पर 'कर्नाटक' रख दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जिन संशोधनों के बारे में कह रहे हैं उन्हें तो हम पहल ही निपटा चुके हैं।

†**श्री गाडीलिगन गौड़** : तो फिर मैं औद्योगिक वित्त-निगमों के बारे में बोलूंगा। इस सम्बन्ध में मैं श्री त्रिवेदी के इस सुझाव से सहमत हूं कि उन निगमों को समाप्त कर दिया जाये।

†**श्री अ० म० थामस** : इस विधयक के खण्ड संख्या ७५ के बारे में मैंने संशोधन संख्या ५१३, ५१४, ५१५ और ५१६ प्रस्तुत किये हैं। खण्ड ७५ के अनुच्छेद २७० तथा २७२ के अनुसार केन्द्र द्वारा इकट्ठा किया गया आय-कर तथा उत्पादन शुल्क विभिन्न राज्यों म अनुपात से बांटा जायेगा।

वास्तविक विधेयक में खण्ड ७५का उप-खण्ड (२) था ही नहीं। यह तो बाद में भारतीय राज्य वित्त जांच समिति की सिफारिश पर केन्द्र तथा त्रावनकोर-कोचीन, सौराष्ट्र, और मैसूर राज्य में एक करार होने पर सम्मिलित किया गया था। यदि उन राज्यों को कोई विशेष अधिमान न दिया गया, अर्थात् उन्हें केवल अनुपात से ही आय-कर तथा उत्पादन शुल्क दिया गया तो उससे उन राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। भारतीय राज्य वित्तीय जांच समिति ने भी यही सिफारिश की है कि कम से कम पांच वर्षों के लिये उन राज्यों को भाग क राज्यों के समान ही भाग दिया जाये, अधिक से अधिक भाग दिया जाये। इस करार में यह निर्णय किया गया था कि सौराष्ट्र को २७५ लाख रुपया, त्रावनकोर-कोचीन राज्य को २७९·५ लाख रुपया और मैसूर को ३४५ लाख रुपया दिया जाये। उस जांच समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि १९६० तक इन राशियों को कम न किया जाये।

जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि त्रावनकोर राज्य में आन्तरिक उत्पादन शुल्कों के उत्पादन पर उसे ३३० लाख रुपये की हानि होगी। सौराष्ट्र और मैसूर की भी वहीं स्थिति है। इसीलिये उसने यह सिफारिश की है कि तीनों राज्यों के सम्बन्ध में उल्लिखित राशियों

---

†मूल अंग्रेजी में।

को १९६० तक जारी रखा जाये, और यह कहा था कि यदि विधान सभा यह स्वीकार कर ले तो उसे १९६० के बाद भी जारी रखा जा सकता है। परन्तु दुर्भायवश विधान सभा ने इसे स्वीकार न किया अत: यदि संयुक्त समिति इस उपखण्ड को स्वीकार न करती तो निश्चित किया हुआ वह करार समाप्त हो गया होता।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : खण्ड संख्या ७५(२)(क), और ७५(२)(ख) के सूत्र में यह बताया गया है कि गुजरात को ६ प्रतिशत भाग दिया जाये और महाराष्ट्र को ११·८५ प्रतिशत दिया जाये। परन्तु मैं समझ नहीं सका कि ऐसा क्यों किया गया है। गुजरात से अधिक आय-कर प्राप्त होता है, तो उनको भाग भी अधिक मिलना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं इसका उत्तर न देकर केवल अपने संशोधनों के बारे में ही बोलूंगा। जहां तक उस करार का सम्बन्ध है, हमें वह पूर्णरूपेण स्वीकार है, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि उस करार को १९६० तक जारी रखा जाये।

यदि भारतीय राज्य वित्तीय जांच समिति की सिफारिश तथा उन राज्यों के सम्बन्ध में किये गये करार को ही ध्यान में रखें तब तो १९५६ के बाद उन राज्यों को कम धन मिलेगा। इस सम्बन्ध में मेरी यही प्रार्थना है कि १९५६–५७ के सिद्धान्त को १९६० तक लागू रखा जाय। मैं चाहता यह हूं कि १९६० तक इस राशि में किसी प्रकार की कोई कमी न की जाय। जांच समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में इसी बात की सिफारिश की है। अब भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर के १९५५–५६ के द्वितीय वर्ष में राशि को कम नहीं किया है और १९५६–५७ के लिये राज्य पुनर्गठन विधेयक में यह स्पष्ट कहा गया है कि राशि कम न की जाय। मेरा निवेदन यह है कि यही सिद्धान्त आगामी वर्षों में भी लागू किया जाय। मुझे आशा है कि इन तीनों राज्यों के सदस्य मेरे इन संशोधनों का समर्थन करेंगे।

यह सच है कि संयुक्त समिति इस सम्बन्ध में विधेयक में कोई संशोधन न कर सके परन्तु इस बात का हर्ष है कि केन्द्रीय सरकार ने इसे १९५५–५६ तथा १९५६–५७ के लिये स्वीकार कर लिया है। मेरा यह निवेदन है कि इस सिद्धान्त को आगामी वर्षों पर भी लागू किया जाय।

अब क्योंकि यह सभा सम्पूर्ण प्रश्न पर तथा आगामी वर्षों के लिये अनुदानों पर विचार कर रही है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन तीनों राज्यों के साथ न्याय किया जाय और क्योंकि वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग प्रारम्भ कर रहे हैं इसलिये उन्हे दी जाने वाली राशियों में कोई कमी न की जाय।

त्रावनकोर-कोचीन को मिलने वाला अनुदान केरला और मद्रास को देना पड़ेगा क्योंकि एक भाग मद्रास में जाता है। इसी कारण मैंने अपने संशोधन में कहा है कि मद्रास को २४·६५ लाख रुपये की बजाय २६·६ लाख रुपये जायेंगे। फिर, क्योंकि मैसूर राज्य बृहत्तर मैसूर में आता है, अत: ३४५ लाख रुपये बृहत्तर मैसूर को देने होंगे। मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्रालय को यह संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें।

मेरे मित्र श्री नेसामनी ने जो शिकायतें की हैं, उनके बारे में और उनके बदले में की गई शिकायतों के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते रहे हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि त्रावनकोर-कोचीन और मद्रास की सरकारें इन शिकायतों को अस्वीकार करती हैं। मैं इन शिकायतों पर इस डर से चर्चा करना नहीं चाहता हूं कि हो सकता है कि इसका मिल कर काम करने वाले दो राज्यों पर प्रभाव पड़े। यह ठीक है कि यदि किसी बात विशेष के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय को बताया जाता है, तो मुझे विश्वास है कि गृह-कार्य मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही करेगा। वास्तव मैं मैं जानता हूं कि गृह-कार्य मंत्रालय ने अनुदेश दिये हैं कि ऐसी शिकायतों के लिये कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री अ० म० थामस]

इस विधेयक में खंड ११३ संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के पैरा ४९ में बताये गये कारण के आधार पर समाविष्ट किया गया है। इसमें उपबन्ध किया गया है कि त्रावनकोर-देवस्वम बोर्ड के देवसोम अतिरिक्त निधि का दो राज्य सरकारों में हुए समझौते के आधार पर ३७·५:१३·५ के अनुपात में विभाजन किया जाय। मैं गृह-कार्य मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वह मद्रास पर अपना प्रभाव डालें और यदि सम्भव हो तो मद्रास सरकार को त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड की अतिरिक्त निधि का अधिक वैध और समन्याय्य विभाजन स्वीकार करने के लिये सहमत करे। यह बात अच्छी है कि निधि के प्रारम्भ के बारे में हम कुछ जानते हैं। अतः यह सभा यह तय करने में समर्थ हो सकती है कि इस निधि का किस अनुपात में विभाजन किया जाय। त्रावनकोर में मन्दिरों की अचल सम्पत्तियां थी और कर्नल मुनरो के दीवान-काल में ये सम्पत्तियां राज्य ने ले ली थीं और मन्दिरों का व्यय भी राज्य उठाता था। त्रावनकोर और कोचीन राज्यों के एकीकरण के समय प्रसंविदा में यह उपबन्ध किया गया कि राज्य द्वारा ली गई सम्पत्तियों के बदले में त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड को ४५ लाख रुपये दिये जायं। इसके अतिरिक्त श्री पद्मनाभास्वामी मन्दिर से ली गई सम्पत्ति से होने वाली आय ६ लाख रुपये मानी गई, तथा इस प्रकार देवस्वम बोर्ड को ५१ लाख रुपये का भुगतान होना था। अतः इस बोर्ड का प्रारम्भ यह था। परन्तु, अब जब कि मद्रास में मिलाये जाने वाले चार ताल्लुकों के मन्दिरों को त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड के क्षेत्राधिकार से निकाला है, तो उन मन्दिरों के व्यय के लिए धन की व्यवस्था करनी होगी।

† **श्री नेसामनी** : औचित्य के प्रश्न पर। सभा में खंडवार चर्चा होते समय क्या कोई सदस्य, जिसने कोई संशोधन न रखा हो, खंड या किसी संशोधन पर बोल सकता है?

† **उपाध्यक्ष महोदय** : खंडों पर विचार किये जाते समय वह खंड या किसी भी संशोधन का समर्थन या विरोध कर सकता है।

† **श्री अ० म० थामस** : मूल विधेयक में त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड को ४६·५ लाख रुपये और अवशेष ४·५ लाख रुपये मद्रास राज्य को देने के उपबन्ध का आधार यह था कि इन सम्पत्तियों से होने वाली आय के अनुसार मद्रास राज्य को मिली सम्पत्तियों से भी इतनी ही आय होती। परन्तु बाद में पिछले तीन वर्षों के औसत व्यय की दृष्टि से यह स्वीकार किया गया कि मद्रास राज्य में जाने वाले मन्दिरों के व्यय के लिये १३·५ लाख रुपये दिये जाने चाहिये और यह राशि ५१ लाख रुपयों में से कम की जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि यदि व्यय के आधार पर नियतन किया जाता है तो ऐसा करना उचित है,परन्तु यदि इस निधि के प्रारम्भ की दृष्टि से और आस्तियों व दायित्वों के आधार पर विभाजन किया जाता है, तो यह उचित न होगा। यदि व्यय ही आधार माना जाता है, तो त्रावनकोर-कोचीन के अवशिष्ठ राज्य के मन्दिरों के लिए भी यही आधार माना जाना चाहिये। त्रावनकोर-कोचीन सरकार और मद्रास सरकार के बीच हुए समझौते की उपेक्षा करने में केन्द्रीय सरकार की कठिनाइयों को मैं समझता हूं, क्योंकि यद्यपि न मन्दिरों के कार्य के लिये उनके पास ४·५ लाख रुपये के राजस्व की भूमि है, फिर भी इन्हें वर्तमान रूप में चलाने के लिये ९ लाख रुपये और व्यय करने होंगे। अतः यही उचित समझा गया कि, अतिरिक्त निधि के विभाजन के लिये भी वही आधार स्वीकार किया जाना चाहिये।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुये]

अनुच्छेद २७५ के अनुसार त्रावनकोर-कोचीन राज्य को एक तदर्थ अनुदान दिया जाना है। संयुक्त समिति में तर्क दिये गय थे कि आस्तियों व दायित्वों के विभाजन के मामले में और निधियों के नियतन के मामले में पिछड़े हुए क्षेत्रों का कुछ ध्यान रखना होगा। उदाहरणार्थ, मलाबार पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। त्रावनकोर-कोचीन राज्य के अन्य क्षेत्रों की भान्ति उसका विकास करना भावी केरला राज्य पर एक बहुत बड़ा भार होगा। अतः इस बात पर

†मूल अंग्रेजी में।

अनुरोध किया गया था कि उपयुक्त बंटवारा किया जाय परंतु मंत्री महोदयने बताया था इन मामलों पर नियुक्त होने वाला वित्त आयोग विचार करेगा। इस आश्वासन की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिये कोई नियतन करने के किसी भी संशोधन पर जोर नहीं दिया गया। अतः अब मेरा निवेदन यही है कि गृह-कार्य मंत्रालय यह ध्यान रखे कि वित्त आयोग अपनी अन्तिम सिफारिश करते समय इन विचारों का ध्यान रखे।

†**सभापति महोदय** : सदस्यों द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक में खण्ड ७१ से ११४ और अनुसूची ४ से ६ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की गई है :

खण्ड संख्या	संशोधन संख्या
७२	४१०
७५	५१३, ५१४, ५१५, ५१६
७७	४११
८२	४१२
८७	४१३
१०२	४१४, ४१५, ४१६
११३	४१७ और ५१७

निम्नलिखित संशोधन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये :

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खण्ड ७२—(व्यय के लिये धन का विनिमय आदि)	
श्री नेसामनी	४१०
खण्ड ७५—राजस्व का वितरण	
श्री अ० म० थामस (एरणाकुलम)	५१३, ५१४, ५१५, ५१६
खण्ड ७७—भूमि तथा सामान	
श्री नेसामनी	४११
खण्ड ८२—राज्य उपक्रमों की आस्तियां तथा दायित्व	
श्री नेसामनी	४१२
खण्ड ८७—संविदे	
श्री नेसामनी	४०
खण्ड १०२—कतिपय राज्य वित्त निगमो के बारे में उपबन्ध	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	४१४,४१५,४१६
खण्ड ११३—त्रावणकोर की देवस्वम अतिरिक्त निधि के बारे में उपबन्ध	
श्री नेसामनी	४१७
श्री अच्युतन	५१७

†**सभापति महोदय** : यह संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : मैं श्री नेसामनी के संशोधन संख्या ४१२ के भाव से सहमत हूं। श्री नेसामनी के कथन में कुछ जान है क्योंकि कुछ औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रम उस प्रकार के हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। विशेष कर त्रावनकोर-कोचीन राज्य परिवहन विभाग के मामले में खंड ८२ से, जिस रूप में वह अब है, अवश्य ही कुछ भ्रम होगा। यह त्रावनकोर-कोचीन की ही विचित्रता नहीं है अपितु मद्रास राज्य में "शक लिवर आयल फेक्टरी" का भी यही हाल है अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस खंड-विशेष को पुनः इस प्रकार बनाने पर विचार करें कि संशोधन की आवश्यकता न रहे। इसके अतिरिक्त, दोबारा तैयार किये गये खंड में एक यह भी उपबन्ध होना चाहिये कि राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप किसी राज्य द्वारा भी गये वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रम सरकारी उपक्रमों के रूप में ही काम करते रहेंगे। मैं इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि त्रावनकोर-कोचीन के बहुत से परिवहन कार्यकर्त्ताओं ने मुझे बताया है कि ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं कि मद्रास सरकार इस उपक्रम को किसी गैर-सरकारी अभिकरण को देने पर विचार कर रही है। यदि आप ऐसा उपबन्ध नहीं करते तो इससे कुछ गड़बड़ी पैदा होगी। हम जानते हैं कि गैर-सरकारी मालिक के यहां सेवा की शर्त्तें सरकार की सेवा की शर्त्तों अपेक्षा निश्चय ही बुरी हैं। इसके साथ ही कई वर्षों तक सरकारी नौकरी करने के बाद उनसे गैर-सरकारी मालिक की नौकरी करने के लिये कहना बहुत बड़ी ज्यादती होगी।

परिवहन विभाग की आस्तियों का युक्तिपूर्ण विभाजन होना चाहिये। न्यायोचित बंटवारे के लिये, आज उस विभाग के पास जो मोटर गाड़ियां, गेराजें, प्रतीक्षा शैड आदि हैं, वे मद्रास सरकार को मिलने चाहियें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : खंड में कहा गया है कि वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम उस उत्तराधिकारी राज्य को दे दिया जायेगा जिसमें वह स्थित हैं। "स्थित" शब्द का क्या अर्थ है? क्या यह वह स्थान है जहां मुख्य कार्यालय स्थित है या जहां सारा उपक्रम विद्यमान है?

†**श्री वें० प० नायर** : मैंने कहा था कि "स्थिति" कारखाने की स्थिति हो सकती है या मुख्य कार्यालय की। खंड को पुनः बनाकर इसे स्पष्ट करना होगा।

एक और सरकारी उपक्रम का मामला है जिसका श्री नेसामनी ने उल्लेख किया था। इस उपक्रम का नियन्त्रण करने वाला कार्यालय केरला राज्य में आयेगा, परन्तु एक कारखाना उस क्षेत्र में रहेगा जो मद्रास राज्य में मिलाया जा रहा है। परन्तु मद्रास राज्य में मेरा ख्याल है कि आज कल कोई ऐसा सरकारी उपक्रम नहीं है जो 'मोनाजाइट फैक्टरी' जैसी कोई फैक्टरी चलाता है। ऐसे मामले में बाद में उत्तराधिकारी राज्य द्वारा कोई ऐसा तर्क नहीं दिया जाना चाहिये कि उनके पास दक्ष व्यक्ति नहीं हैं या सुविधा नहीं है, या उनके लिये दूरी की समस्या है। हो सकता है कि यह एक समस्या हो क्योंकि यह मद्रास सरकार के स्थान से ५५० मील दूर है। सरकारी उपक्रम सरकार द्वारा ही चलाया जाना चाहिये ताकि कर्मचारी लोग राज्य उपक्रम के काम करने के सारे लाभ उठा सकें। इस खण्ड में हमें इसका उपबन्ध अवश्य करना चाहिये।

मैं श्री नेसामनी द्वारा रखे गये संशोधन संख्या ४१३ से सहमत नहीं हूं। यह कहना कि जैसा कि श्री नेसामनी ने अपने संशोधन में उल्लेख किया है, वन मामलों सम्बन्धी किये गये सारे ठेके शून्य हो जायेंगे, उचित नहीं है। क्योंकि ठेका एक वह समझौता है जो विधि द्वारा लागू किया जा सके। यदि किसी पार्टी ने यह जाने बिना कि राज्यों का विद्यमान आधार पर या राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार पुनर्गठन होगा, उस समय की विधिपूर्वक बनी सरकार से ठेका किया है, तो यह उसकी गलती नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

और यदि ठेकेदार अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता, तो ठेके के अन्तर्गत बहुत से ऐसे खंड हैं, जिनके आधीन आप उसे दंड दे सकते हैं। यदि वह यह तर्क देते कि निश्चित तारीख से ठेके शून्य हो जायेंगे, तो कुछ समझा जा सकता था। परन्तु वह तो कहते हैं कि ये २ मई, १९५६ से शून्य माने जायेंगे। ईश्वर का शुकर है कि उन्होंने यह नहीं कहा ये ठेके गत वर्ष से शून्य माने जायेंगे। अतः मेरा निवेदन ह कि हमें यह संशोधन अस्वीकार कर देना चाहिये क्योंकि इस योग्य नहीं है कि हम इस पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन संख्या ४१२ के भाव का समर्थन करता हूं परन्तु संशोधन संख्या ४१३ का कड़ा विरोध करता हूं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस प्रकार के विस्तृत विधेयक की भाषा बहुत निश्चित होनी चाहिये तथा जहां प्रश्न राज्यों के बीच आस्तियों तथा दायिताओं के बंटवारे के सम्बन्ध में है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि भाषा बिल्कुल निश्चित प्रकार की हो।

यद्यपि 'उत्तराधिकारी राज्य' शब्द खण्ड ८० तथा ८७(१)(ग) में प्रयुक्त हैं तो भी इन शब्दों की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। यह परिभाषा कहीं न कहीं अवश्य दी जानी चाहिये। खण्ड ८२ में 'स्थित' शब्द का भी प्रयोग किया गया है तथा यह इस प्रकार से है कि "किसी विद्यमान राज्य की आस्तियां तथा दायिताएं उस उत्तराधिकारी राज्य को हस्तान्तरित होंगी जिसमें कि वे स्थित हैं"। कई उदाहरण हैं जिनमें किसी विशेष सहकारी संस्था का पंजीबद्ध कार्यालय उसी राज्य में न होकर दूसरे राज्य में था। इस कारण 'स्थित' शब्द की परिभाषा भी दी जानी चाहिये तथा यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि क्या इसका तात्पर्य उस स्थान से है जहां काम हो रहा है अथवा उस स्थान से कि जहां संस्था काम कर रही है।

६ म० प०

एक और बात जो मैं नहीं समझ सका, यह है कि चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित वितरण किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। प्रारम्भ में बम्बई को कर का १७·५ प्रतिशत भाग दिया गया था परन्तु इसके भाग 'ग' राज्य बन जाने से महाराष्ट्र को ११·८५ प्रतिशत तथा गुजरात को ६·०२ प्रतिशत दिया गया है। यह बांट किस आधार पर की गई है? क्या यह जन संख्या के आधार पर है अथवा इस आधार पर कि गुजरातियों का उस नगर की समृद्धि में अधिक अंशदान है?

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ६ अगस्त, १९५६] पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ६९६–९८

गृह-कार्य मंत्री पंडित गो० व० पन्त द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने उस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जो त्रिपुरा राज्य में बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई कथित स्थिति के बारे में था और जिसकी सूचना श्री दशरथ देव और श्री बीरेन दत्त द्वारा दी गई थी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ६९८–९९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :

(१) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वर्ष १९५४–५५ के लिये निगम के लेखे पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में और आगे संशोधन करने वाले अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६६०, दिनांक २१ जुलाई, १९५६ की एक प्रति।

(३) विभिन्न सत्रों के दौरान में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५ . लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ . लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १२ . लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ . लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २० . लोक-सभा का आठवां सत्र, १९५४

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २३ . लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३६ . लोक-सभा का पांचवा सत्र १९५३

(४) काफी अधिनियम १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६७४, दिनांक २८ जुलाई, १९५६ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ६९९

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा हिन्दू अवस्यकता तथा संरक्षकता विधेयक, १९५५ में लोक-सभा द्वारा १७ जुलाई, १९५६ को किये गये संशोधनों से सहमत हो गई है ।

विधेयक पुरःस्थापित ७००

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन ७००–३९

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित, राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्डों पर और आगे विचार जारी रहा ।

विधेयक के खण्ड २ से १५ के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री का उत्तर तथा उन पर मतदान सभा की अनुमति से मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित कर दिया गया ।

खण्ड १६ से ४९ तथा अनुसूची १, २ और ३ पर चर्चा समाप्त हुई।

इन खण्डों के समूह तथा अनुसूचियों पर पूरी चर्चा के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्री का उत्तर तथा मतदान सभा की अनुमति से मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६ तक के लिये स्थगित कर दिया गया ।

खण्ड ५० से ७० पर भी चर्चा समाप्त हुई ।

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) द्वारा उत्तर दिये जा चुकने के पश्चात् खण्डों के उक्त समूह पर मतदान सभा की अनुमति से मंगलधार, ७ अगस्त १९५६ के लिये स्थगित कर दिया गया ।

खण्ड ७१ से ११४ तथा अनुसूची ४, ५ और ६ पर विचार आरम्भ हुआ तथा समाप्त नहीं हुआ ।

मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, राज्य पुनर्गठन विधयक के खण्डों पर और आगे विचार ।

———